खण्ड-280, अंक-2
शुक्रवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(27 फरवरी, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ फरवरी १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--४१२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर , श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त , श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री
(उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री

कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री

निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण, अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री

रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती

शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबच्चन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती , श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--खाद्य तथा रसद मंत्री श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ह्विटले कौंसिल

**१--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के मामलों के निपटारे के लिये ह्विटले कौंसिल बनाने का निश्चय कुछ दिन पहिले किया था ? क्या वह कौंसिल बन गई ? यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

यह विषय अभी विचाराधीन है और इस प्रश्न पर आवश्यक निर्णय शीघ्र ही लिया जायगा ।

श्री गेंदा सिंह--

इस विषय पर विचार देर में होने से कुछ बेचैनी है लोगों में तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपा करके कुछ जल्दी करेंगे ताकि इस पर कार्यवाही हो सके ?

श्री चरण सिंह--

मैं समझता हूं कि एक हफ्ते के अन्दर फैसला हो जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह विषय उनके विचाराधीन है या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पहले कुछ विचार कर चुकी है और यदि विचार कर चुकी है, तो क्या ?

श्री चरणसिंह--

यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ८ तारीख को विचार कर चुकी थी लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मित्र को यह भी मालूम है कि इस सरकार ने उन सब फैसलों पर दोबारा विचार करने का निर्णय किया है जो पहली फरवरी के बाद लिये गये । तो सिद्धान्त रूप में जो इस तरह के फैसले हैं उनमें कोई इरादा हमारा हत्तुलइमकान रद्दोबदल करने का नहीं है लेकिन उनको स्टडी करने की जरूरत है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

जबकि पिछली सरकार ने ह्विटले कौंसिल को स्थापित करने का निर्णय किया था तो वर्तमान मुख्य मन्त्री उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में ?

श्री चरणसिंह--

मैं तो जवाब दे चुका हूं कि प्राइमा फेसी उसके हक में हू लेकिन इसको स्टडी करना चाहता हूं क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिये ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

इस ह्विटले कौंसिल की घोषणा होने के पूर्व जो ९३ कर्मचारी निकाल दिये गये थे क्या उन्हें भी अपने पदों पर लिया जायगा जैसा कि पिछली सरकार ने निर्णय किया था ?

श्री चरणसिंह--

जहां तक मुझको याद पड़ता है ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था कि डिस्मिस्ड कर्मचारी ले लिये जायंगे। ऐसी उनकी ख्वाहिश मालूम होती थी लेकिन मैं समझता हूं कि कोई अन्तिम फैसला इस विषय में हुआ नहीं था।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

वह क्या विशेष कारण हुये कि जो पहली सरकार ने निर्णय लिये थे १ फरवरी के बाद उनको रोक कर पुनः विचार करने का निश्चय किया गया है ?

श्री चरण सिंह--

एक कारण तो इसका यही था कि वह फैसला जल्दी-जल्दी में हुआ था।

शर्मा कमीशन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

**२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, तथा भत्तों आदि के सम्बन्ध में शर्मा कमीशन की सब सिफारिशें कार्यान्वित कर दी है या नहीं ? यदि नहीं, तो किन-किन सिफारिशों को नहीं स्वीकार किया है तथा क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री आर० एन० शर्मा को राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये ही "एक सदस्यीय जांच कमीशन" के रूप में नियुक्त किया गया था। इस आयोग का सम्बन्ध कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों आदि से नहीं था। इस आयोग द्वारा संस्तुति मंहगाई भत्ते की प्रस्तावित दरों का परिष्कार करते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिनांक १ अप्रैल, १९६७ से मंहगाई भत्ते की दरें स्वीकृत की हैं। किन्तु ६०० रु० से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

**३--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि शर्मा कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि जब कभी केन्द्रीय सरकार भत्ता बढ़ावेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार को बढ़ाना चाहिये ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सिद्धान्त लागू कर दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां।

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य सरकार ने भी समय-समय पर महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की है।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या माननीय वित्त मंत्री जी उस शर्मा आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह--

इस वक्त तो उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह आयोग कब बैठा था और उसके जो अधिकार थे उनको वह पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह---

यह वेतन अभिनवीकरण आयोग ३० जनवरी, सन् १९६७ को कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९६० ...(५२) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट ३१ मार्च, १९६७ को दी थी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

अभी जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की जरूरत नहीं मालूम होती, तो वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वह रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं समझते ?

श्री बलबीर सिंह---

इस वक्त समय नहीं है, कम समय के कारण ही कठिनाई है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मंत्री जी ने कहा कि सिद्धान्त के तौर पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि जब-जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बृद्धि होगी तो मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो बृद्धि हुई है उसका केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई बृद्धि से क्या अनुपात है ?

श्री बलबीर सिंह---

मैं इतना बता सकता हूं कि बृद्धि बराबर हुई है, लेकिन कब-कब कितनी वृद्धि हुई है इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

यह जो शर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें परिष्कार क्यों किया गया और वह ज्यों की त्यों क्यों स्वीकार नहीं की गई ?

श्री चरणसिंह---

कमीशन की रिपोर्ट ३१ मार्च, १९६७ को आई थी और उसके बाद संविद सरकार आई उसने उस पर पूरा विचार किया ,उसके बाद यहां राष्ट्रपति शासन हुआ और उसके बाद फिर एक सरकार आई, यह सब उस पर विचार कर चुकी है, लिहाजा अब यह सवाल पूंछना कि उस पर विचार क्यों नहीं किया गया, मैं समझता हूं इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

सरकारी कर्मचारी यह कहते हैं कि उनका भत्ता केन्द्र के अनुपात में नहीं बढ़ाया गया है जैसा कि शर्मा कमीशन से स्वीकृत था, तो क्या इस विभेद को दूर करने के लिये सरकार तुरन्त इसका निरीक्षण करेगी कि वास्तव में वह उस अनुपात से बढ़ाया गया है या नहीं और क्या वह इस विषय को भी जो अब पे-कमीशन बना है, उसके सुपुर्द कर देगी ?

श्री चरणसिंह---

वे फैसले संविद सरकार के थे कि जैसे ही ऊपर भत्ते बढ़ते रहेंगे, वैसे ही यहां पर भी बढ़ते रहेंगे । उन फैसलों का पालन वह ही सरकार कर सकती थी । डैमोक्रेसी में जो सरकार आती है, मेजर क्वेस्चन्स पर, अपनी ही पौलिसी रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि १९६७ में जो सरकार ने फैसले लिए थे उनकी पाबन्दी इस सरकार पर है, जो कि दूसरी सरकार है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

माननीय मुख्य मन्त्री, संविद सरकार के भी मुख्य मन्त्री थे तो अब कौन-सी परिस्थिति बदल गयी जो इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री चरणसिंह--

जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं उनके मित्रों का सहयोग अब मुझे हासिल नहीं है।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

सदन और सरकारी कर्मचारियों की मांग के बाद कमीशन या कमेटी मुकर्रर होती है लेकिन उस कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाती कि फिर मामले को टालने के लिये दूसरा कमीशन मुकर्रर कर दिया जाता है। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास करेंगे ?

(मुख्य मन्त्री को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

श्री रामचन्द्र विकल--

जब कि आई ० ए० एस०, आई० सी० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो ६०० रुपये से अधिक पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न दिया जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--

माननीय मित्र को मालूम है बहुत कुछ कि सन् १९६६ में जब कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा था तो उनकी मांग के सिलसिले में कैबिनेट ने या तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस मामले में मैं अपनी रिपोर्ट दूं। और मेरी रिपोर्ट में था कि ऊपर के अधिकारियों और जिनकी तनख्वाह ५०० रु० से अधिक है उनको महंगाई भत्ता न दिया जाय। मैंने केवल ३०० रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने का सुझाव दिया था लेकिन चूंकि ५०० रु० तक पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिल रहा था। इसलिये मैंने सोचा कि उन्हें भी मिलने दिया जाय। यह मेरी राय थी। इससे अन्दाज लगा लिया जाय कि मेरी क्या राय थी। जहां तक आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी जो पा रहे हैं, वे मेरी मर्जी के खिलाफ पा रहे हैं। हमने इस संबंध में गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा और वहां से यह जवाब आया कि अन्य जगहों पर इनको मिल रहा है तो आप भी देते रहें।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, मैं इस पर विवाद की नोटिस देता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

अभी अभी माननीय वित्त मंत्री ने शर्मा आयोग की रिपोर्ट के सदन के पटल पर रखे जाने के बारे में कहा कि समय कम है। तो मैं जानना चाहता हूं कि समय के कम होने का निर्धारण आप करेंगे या माननीय मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों करेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री--

जब इस तरह के प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे तो जो मंत्री जी कह देंगे, उसको ही आप आधार मानेंगे। इसमें आप अपनी राय दे दें कि क्या जो मंत्री जी कहेंगे वह ही माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

तो अगर इतना समय एक-एक प्रश्न पर दिया जायगा तो कैसे १०० या १५० प्रश्न हो जायेंगे ?

श्री चरण सिंह--

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आप हम लोगों से यह अनुरोध करें कि जब आप बोल रहे हों तब कोई अन्य माननीय सदस्य न बोला करें। हम लोगों का फज है कि उस समय हम लोग न बोलें।

श्री अध्यक्ष--

वह तो फर्ज है ही।

एक सदस्य--

फिर माननीय मुख्य मंत्री क्यों बोलने लगे जब आप बोल रहे थे?

श्री रामधारी शास्त्री--

समय का निर्धारण कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष--

वह मैं करूंगा।

गणेशगंज, लखनऊ की घटना की जांच

**४--श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १८ जनवरी, १९७० को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ने के सिलसिले में गणेशगंज लखनऊ में गोली चलाकर अपनी कार से भागते हुए चुंगी नाका रायबरेली पर पुलिस द्वारा पकड़े गये? यदि हां, तो उपर्युक्त अधिकारी का नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह--

यह सही नहीं है। गणेशगंज में १८ जनवरी को एक घटना तो अवश्य हुई किन्तु उसमें कोई लड़की को पकड़ने इत्यादि का कोई काण्ड नहीं हुआ।

यह भी सही नहीं है कि उक्त घटना में कोई आई० ए० एस० अधिकारी का संबंध था बल्कि यह घटना कुछ लोगों के लेन-देन के मामले से संबंधित थी और जिसमें मामूली तनातनी हो गई। इस घटना से संबद्ध गाड़ी की तलाश में रायबरेली की पुलिस द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगरमहापालिका की गाड़ी रोकी गई, जिसको श्री जी० एस० चूड़ामणि चला रहे थे। उस गाड़ी में लगी नम्बर प्लेट वही थी जो गणेशगंज की कथित फियेट गाड़ी में लगी बताई गई। सारे मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चूड़ामणि उस दिन रायबरेली किस उद्देश्य से गये थे और क्या उन्होंने स्टेशन लीव करने की परमीशन प्राप्त कर ली थी? यदि हां, तो वह परमीशन लिखित थी या ओरल थी?

श्री चरणसिंह--

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी। यह मालूम करना पड़ेगा कि छुट्टी ली गई थी या नहीं या किस उद्देश्य से गये थे। इतना जरूर है कि उस गाड़ी में वही प्लेट नम्बर लगी थी जो गनेशगंज में पकड़ी गई गाड़ी पर थी। उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। सी० आई० डी० की दो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और तीसरी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है उससे स्थिति साफ हो जायेगी।

श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या यह सही है कि चूड़ामणि साहब की कार की नम्बर प्लेट में दो नम्बर लिखे हुए थे--एक तरफ एक नम्बर और दूसरी तरफ दूसरा नम्बर ताकि लखनऊ नगर की सीमा के बाहर अगर ले जायं तो किराया न देना पड़े ? अगर हां, तो क्या एक आई० ए० एस० आफिसर के जिये भ्रष्ट तरीका नहीं है ? वह क्या इतना भ्रष्टाचारी हो सकता है ?

श्री चरणसिंह--

जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ दिन पहले उसके अनुसार यह इत्तला सही है कि दोनों नम्बर प्लेट में थे। अब आई० ए० एस० आफिसर इतना भ्रष्ट हो सकता है या नहीं, यह मुझे एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, किसी और क्वार्टर को एड्रेश करने की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री १८ जनवरी, १९७० को गनेशगंज में घटी उस घटना का कुछ विवरण देंगे ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच अलाहदा से हो रही है। उसके सिलसिले में मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि कोई तफसील में बात बताई जाय। खासकर के जबकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। लेकिन उस जांच में, किसी लड़की के अपहरण के बारे में जो समाचार अखबारों में छपे हैं, उसमें बिलकुल-बिलकुल कोई तथ्य नहीं है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के एक ट्रेजरी के अधिकारी के मकान पर कुछ लोग गये थे, उस समय झगड़ा हुआ। मामूली सी कुछ मारपीट हुई, किसी के नाक में चोट लगी, वे भी पूरा अपना बयान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह का भीषण काण्ड अखबारों में जाहिर हुआ है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका जाना

*१--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की १९६९ ई० की परीक्षाओं का फल जौनपुर जिलान्तर्गत कितने परीक्षा केंद्रों का रोका गया है ? क्या कतिपय परीक्षा केंद्र ऐसे भी हैं जिनका सम्पूर्ण परीक्षाफल रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक परीक्षाफल प्रकाशित होगा ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामकिंकर)--

जौनपुर जिले के १३ परीक्षा केंद्रों के कतिपय परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया था। इनमें से केवल सार्वजनिक इन्टर कालेज, मुंगराबादशाहपुर केंद्र के समस्त परीक्षार्थियोंका परीक्षा फल रोका गया था। परीक्षाफल रोकने का कारण केंद्रों पर सामूहिक नकल था। ऐसे कुल १,४५२ परीक्षार्थियों के रोके गये परीक्षाफलों में से लगभग १२८ को छोड़कर शेष सभी मामले परिषद् द्वारा निर्णीत कर दिये गये हैं और निर्णय की सूचना संबंधित परीक्षा केंद्रों व विद्यालयो को प्रेषित की जा चुकी है।

श्री रामदेव--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि सामुहिक नकल की जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद् को किन स्रोतों से हुई थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जो परीक्षक कापियों की जांच करते हैं, उनके स्रोतों से यह मालूम हुआ है कि किस तरह से क्या हुआ। उनकी जांच के दौरान उन्हें यह मालूम हुआ है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें ऐसे भी परीक्षार्थी पाए गए जो निर्दोष साबित हुए हैं, लेकिन उनकी अगली परीक्षा रुक गई है इस विलम्ब के कारण ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो निर्दोष साबित हुए हैं उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो निर्दोष साबित हुए हैं उनका भी परीक्षाफल रोक रखा जाय।

श्री दीपनारायण मणि—

बहुत से विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोक लिया गया और बाद में उनमें से काफी ऐसे छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया गया। लेकिन उनकी अगली परीक्षा में भर्ती नहीं हो पा रही है, उनका साल बेकार जा रहा है। तो इसका दोष किस पर है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसा यदि हुआ है तो दोषी का पता लगाया जायगा। ऐसा होगा तो वह दण्डित किया जायेगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिन तक परीक्षाफल रुके रहे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

*२—श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

[२रे मंगलवार के लिये प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३—४—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त किये गये।]

परीक्षाओं में नकल विषयक प्रतिवेदन

*५—श्री हिम्मत सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों द्वारा परीक्षाओं में नकल किये जाने की समस्या एवं उसके निदान के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम किंकर—

जी हां। समिति के †प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा गया है, उसकी कितनी सिफारिशों को आपने मान लिया है और कितनो को नहीं ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री राम किंकर–

जो सिफारिशें हैं, वे कुल २४ हैं और करीब-करीब सब पर कार्यवाही की जा रही है या की जाने वाली है, इस प्रकार की सूचना इसमें है ।

श्री रामगोपाल सण्ड––

क्या मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे व कौन-कौन सदस्य थे ? और जैसा आपने बताया कि २४ संस्तुतियां हैं, तो उसमें से कौन-कौन सी लागू कर दी गई हैं ? क्या उन्हें पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष––

इसमें तो बहुत समय लगेगा ।

श्री रामगोपाल सण्ड––

लेकिन यह बहुत आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष––

आप समिति के सदस्यों के नाम पूछ सकते हैं ।

श्री श्रीपति मिश्र––

इसमें सदस्यों के नाम बतलाने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी । यह बताना इस समय संभव नहीं है ।

श्री दीपनारायण मणि––

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में हजारों परीक्षार्थी सालाना जाते हैं, संस्तुति में कोई विशेष व्यवस्था है जिससे आगे नकल न हो सके, आगे के लिये नकल न हो सके ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई सिफारिश आई है ?

श्री अध्यक्ष––

आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री दीपनारायण मणि––

मैं यह पूछ रहा हूं कि संस्तुति में कोई ऐसी सिफारिश है कि भविष्य में परीक्षार्थी नकल न कर सकें ? अगर ऐसी कोई सिफारिश है तो क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र––

समिति का प्रतिवेदन आपके सामने रख दिया गया है । विस्तृत विवरण आप देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष––

जो प्रश्न पूछा था, समिति के सदस्यों के नाम उसमें दिये गये हैं ।

श्री रामगोपाल सण्ड––

मैं उस समति का सदस्य था । उसमें चार-पांच ठोस सुझाव दिये गये थे जिससे नकल रुक सकती थी । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन चार-पांच संस्तुतियों को, जैसा कि माननीय दीप नारायण मणि त्रिपाठी ने कहा, अब तक लागू नहीं किया गया है ? वह रिपोर्ट देने के बाद संविद सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आपने बताया है कि उसमें कुछ ठोस सुझाव दिये गये थे। आपने यह भी बताया कि उसके बाद संविद सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, फिर दूसरी सरकार आई। फिर जब उसको देखने का अवसर लगा है तो ठोस सुझाव अवश्य कार्यान्वित होंगे। हमको उसमें परेशानी नहीं होगी। इतना अवसर दें कि सुझाव कार्यान्वित करने का समय मिल सके।

हरनरायन इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा का प्रबन्ध

*६--श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरनरायन इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा (एटा) की प्रबन्ध समिति का चुनाव, १९५८ से अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम किंकर--

दिनांक २४ अक्तूबर, १९६९ को चुनाव हो गया है।

*७--श्री तिरमल सिंह--

क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों से हर वर्ष अनियमित शुल्क लिया जा रहा है और प्रबन्धक द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है?

श्री राम किंकर--

जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि पिछले तीन वर्षों से छात्रों से कुछ अनियमित शुल्क लिया गया तथा प्रबन्धक द्वारा उपभोग में लाया गया।

श्री तिरमल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अनियमित शुल्क लिया गया है, वह कितना है और किन-किन से लिया गया है?

श्री राम किंकर--

४ हजार ३ सौ ७७ रुपये अनधिकृत शुल्क वसूल किया गया है, जिसमें २२४ रुपये विद्यार्थियों को वापस कर दिया है। बाकी ४ हजार २ सौ ५३ प्रबन्धक महोदय की रिपोर्ट है उन्होंने भवन निर्माण में लगा दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा प्रश्न उठा है, प्रत्येक विद्यालय में दो अकाउन्ट होते हैं एक ब्वायज फण्ड और दूसरा अनुदान वगैरह का होता है। क्या ब्वायज फण्ड के ऊपर कोई अंकुश सरकार रख सकेगी, उसका आडिट हो सके कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे ताकि आगे से ऐसी गड़बड़ियां न हों?

श्री श्रीपति मिश्र--

मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री शंभूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनियमितताये हुयीं हैं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीपति मिश्र--

जो प्रश्न से संबंधित अनियमितताये हैं, नियमों के विरुद्ध कार्य करना, अनधिकृत शुल्क लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है, तथा अनुदान में कटौती करन की सिफारिश निरीक्षक द्वारा की गई है।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि विद्यालयों में बच्चों से अनियमित शुल्क लिया जाता है यह राज्य व्यापी शिकायत है तो इसको रोकने के लिये वे क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह शिकायत तो रिपोर्ट से ही साबित है कि ऐसी बात सही थी। आपकी सूचना के आधार पर अगर ऐसी बात है तो उसके लिये निश्चय ही बहुत ठोस कदम उठाया जायेगा कि आगे ऐसी अनियमितता न हो।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी यह भार ग्रहण किया है मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि इसको रोकने के लिये इन्सपेक्टर से तुरन्त जांच कराकर कार्यवाही करें ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय सदस्य की सूचना पर अवश्य ही विचार किया जायगा और अगर यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे कदम की आवश्यकता है तो निश्चय ही उठाया जायेगा।

श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि विद्यालयों में जो अनियमित शुल्क लिया जाता है तो क्या वह उसकी कोई रसीद काटकर देते हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अनियमित काम की रसीद देने की बात तो मैं बता नहीं सकता हूं।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

अभी इस प्रश्न के संबंध में बताया कि उनका अनुदान बन्द करने के लिये भी सोचा जा रहा है तो अनुदान बन्द करने से स्कूलों पर असर पड़ सकता है तो क्या मंत्री जी कोई ऐसा दण्ड देने का विचार करेंगे जिसका असर केवल प्रबन्धकों पर ही पड़े ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मैंने माननीय सदस्य को यह बताया कि अनुदान बन्द करने के संबंध में भी विचार किया जा सकता है। साथ ही जो आवश्यक कदम होगा यथावत् जो ज्यादा दोषी होगा उसको ज्यादा दण्ड दिया जायगा और जो कम दोषी होगा उसको कम दण्ड दिया जायगा।

के० वी० इन्टर कालेज, माछरा तथा डिग्री कालेज, माछरा में भ्रष्टाचार की शिकायत

*८--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि के० वी० इन्टर कालेज, माछरा व डिग्री कालेज माछरा (मेरठ) में गबन तथा भ्रष्टाचार आदि के विषय में श्री महावीर सिंह, सदस्य, कालेज कमेटी, माछरा तथा अन्य के शिकायती-पत्र सं० १०१०/६, दिनांक ५ अक्तूबर, १९६७ उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कायवाही की गई ?

श्री राम किंकर--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि के० वी० इन्टर कालेज, व डिग्री कालेज माछरा के बारे में सन् ६७ से गबन के संबंध में जो जांच हो रही है, उसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और उसकी सूचना कब तक मिल जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह बात ठीक है कि इसमें बहुत समय लग गया है और यह उचित नहीं प्रतीत होता कि इतने समय तक सूचना एकत्रित नहीं हो सकी । मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब इसमें अधिक से अधिक समय देकर जल्दी से जल्दी इसकी सूचना एकत्र करके आपको संतोषजनक उत्तर दे दिया जायगा ।

श्रीमती शाहिदा फीरोज, अध्यापिका, नगरपालिका सोरों द्वारा दोहरा वेतन लेना

*९--श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्रीमती शाहिदा फीरोज, सहायक अध्यापिका ने एक समय में ही नगरपालिका सोरों, जिला एटा व नगरपालिका बदायूं द्वारा संचालित कन्या विद्यालयों में अपना कार्यकाल दर्शाकर दोनों नगरपालिकाओं से एक ही समय (१९६५-६६) का वेतन प्राप्त किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम किंकर--

श्रीमती शाहिदा फीरोज ने दिनांक १ अक्तूबर, १९६६ से ८ अक्तूबर, १९६६ का वेतन दोनों नगरपालिकाओं--नगरपालिका, बदायूं तथा नगरपालिका, सोरों--से प्राप्त किया । यह ज्ञात होने पर कि उन्हें उक्त अवधि का दोहरा वेतन मिल गया है तो उन्होंने उक्त अवधि का वेतन नगरपालिका, बदायूं को दिनांक १२ नवम्बर, १९६८ को वापस कर दिया । इसके लिये अध्यक्ष, नगरपालिका, सोरों द्वारा उन्हें कठोर चेतावनी दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र--

श्रीमती शाहिदा फीरोज, सहायक अध्यापिका के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ऐसा था कि केवल ८ दिन का वेतन २७ रु० १० पै० जब वे छुट्टी पर थीं उन्होंने ले लिया था और जैसे ही उनको सूचना मिली उन्होंने उसे वापस कर दिया और उस संबंध में उनको चेतावनी दे दी गई कि भविष्य में वे ऐसा कार्य नहीं करेंगी । इससे अधिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--

जब उक्त अध्यापिका ने इतना साहसपूर्ण भ्रष्टाचार किया तो क्या उस हालत में चेतावनी देना ही काफी था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । थोड़ा सा विवरण दिये देता हूं जिससे आपको संतुष्टि हो जायेगी । यह अध्यापिका ३ अप्रैल, १९६६ से ८ अक्तूबर, १९६६ तक सहायक अध्यापिका रहीं । फिर उन्होंन बीमारी के कारण ३० सितम्बर, १९६६ तक अवकाश ग्रहण

कर लिया और कुछ समय तक आकस्मिक अवकाश भी लिया और इस अवधि में छात्र आन्दोलन के कारण स्कूल भी बन्द रहा। घरेलू परिस्थितियों के कारण उक्त अध्यापिका ने त्याग-पत्र दे दिया और स्कूल ने उसे स्वीकार कर लिया। उनको चूंकि २७ रु० १० पै० वेतन अधिक दे दिया गया था उसकी जानकारी नवम्बर, ६६ में हुई और जब उसकी सूचना श्रीमती शाहिदा फीरोज को दी गई तो उन्होंने उसे वापस कर दिया। इससे ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं था, नासमझी की बात थी, इसलिये चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न करूंगा कि वह यह समझ कर कि यह भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि फोरजरी थी तो इसके लिये ऐसी कोई सीमा निर्धारित करेंगे या चेतावनी देंगे कि आइन्दा इस तरह का अनुसरण न हो ?

श्री श्रीपति मिश्र---

माननीय सदस्य को मैं शायद समझा नहीं सका। मैंने इसको न तो भ्रष्टाचार समझा और न फोरजरी समझा और बताया कि भूल समझ कर ऐसा हुआ है और यदि भूल से ऐसा होगा तो अवश्य ही उसको साधारण दण्ड मिलेगा। जिसमें फोरजरी और भ्रष्टाचार की बात होगी तो निश्चित रूप से वह दण्ड का भागी होगा।

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे पास प्रश्न ९६ तथा ९७ का लिखित उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर लम्बी सूची है तो क्या उसका लिखित उत्तर भी नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपको लिखित उत्तर नहीं मिला तो आप थोड़ी तकलीफ करके दफ्तर से ले लेते।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात सुन लें। आफिस से लेने का सवाल नहीं है बल्कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो कागजात हमें मिलना हों वह मिल जाया करें। वैसे नहीं मिलते हैं तो हम ले लेते हैं। लेकिन आप व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था तो हम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कागजात नहीं पहुंचें तो मेरे दफ्तर से मालूम कर लें।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय सदस्यों ने कहा था कि प्रश्नों का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से मिलना चाहिये, टाल-मटोल की भाषा में नहीं होना चाहिये। अभी जो यहां पर सवाल हो रहे हैं उनमें तीन मंत्रियों ने तीन प्रकार के उत्तर दिये हैं। एक ने तो कहा कि समय कम है। दूसरे ने कहा कि उत्तर इकट्ठा किया जा रहा है। तीसरा जो उत्तर मिला है उसमें कहा गया है कि जांच हो रही है तो इसका स्पष्ट मन्तव्य यह है कि प्रश्नों के उत्तर सदन के सामने सरकार सही-सही देने में असमर्थ है। इसलिए आप व्यवस्था देने की कृपा करें कि मंत्री जी या तो स्पष्ट उत्तर दें, नहीं तो यदि टाल-मटोल की भाषा में उत्तर दिये जायेंगे तो प्रश्नों के पूछने का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

कोई प्रश्न आए तो बात कीजियेगा।

कानपुर नगरमहापालिका के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*१०--श्री उपेन्द्रनाथ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका के अध्यापकों को अगस्त, १९६७ से लेकर मार्च, १९६९ तक बढ़े हुए महंगाई भत्ता देने हेतु, सरकार द्वारा कानपुर नगर महापालिका को कितनी अनुदान की धनराशि दी गई है और नगर महापालिका द्वारा उसमें से कितनी धनराशि अध्यापकों को वितरित कर दी गई तथा कितनी धनराशि वितरण के लिये शेष है ?

श्री राम किंकर--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोका जाना

*११--श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६७-६८ की इन्टरमीडिएट परीक्षा में डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ, के कुछ परीक्षार्थी जो विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ केन्द्र से परीक्षा में बैठे थे, उनको उत्तीर्ण घोषित करने के उपरान्त उनका परीक्षाफल क्यों रद्द कर दिया गया ?

श्री राम किंकर--

१९६८ की इन्टरमीडिएट परीक्षा में डी०ए०वी० कालेज, लखनऊ के ११४ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल, परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के आरोप में, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा रोक लिया गया था। इनमें से १०३ परीक्षार्थियों की परीक्षा, आरोप सिद्ध होने पर, परिषद् द्वारा निरस्त कर दी गई। ऐसे किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल परिषद् द्वारा विधिवत् घोषित नहीं किया गया था ।

श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह उत्तर में ही बता दिया गया है कि ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या ११४ थी, जिन्होंने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया था, इनमें से १०३ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल परिषद् द्वारा रोक दिया गया था, घोषित नहीं किया गया था।

श्री हरनरायन--

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जो यंत्र लगे हुए हैं उनके द्वारा आवाज ठीक नहीं आती है। हमारी समझ में कुछ नहीं आता है, आप ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि जो सदस्यगण यहां बैठे हैं, उनकी समझ में सब बातें आ जाया करें।

क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रकार की दुर्व्यवस्था के बारे में सावधानी से जांच करके उसको दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र---

ये जो अनियमितताएं होती हैं, उनके लिये कमेटी है, लेकिन भविष्य में इसको और सुधारने का प्रयत्न किया जायगा ।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अदीक्षित अध्यापकों का बकाया वेतन

*१२--श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा कितने अदीक्षित अध्यापकों का वेतन कितने वर्षों से बकाया है, और क्यों ?

श्री राम किंकर--

२०६ अदीक्षित अध्यापकों का अप्रैल, १९६६ से जुलाई १९६९ तक का वेतन बकाया था, जिसके भुगतान हेतु बिल बन गये हैं। उक्त अध्यापक जिला परिषद् द्वारा अवैध रूप से रखे गये थे ।

श्री श्याम लाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन २०० अध्यापकों को अवैध रूप से सेवा कार्य के लिए रख लिया गया था, उनके वेतन को ५ साल तक भुगतान न करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कौन जिम्मेदार था, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन जो तकर्रुर की गयीं वे जरूर अनियमित थीं ।

श्री श्याम लाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन अध्यापकों का वेतन कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उनके बिल बन चुके हैं। भुगतान हो गया होगा अथवा शीघ्र ही हो जायेगा ।

एक सदस्य--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों को अनियमित रूप से रक्खा गया है, उनका वेतन उनसे दिलाया जाय जिन्होंने ने यह अनियमितायें बरती हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। अभी तक तो वेतन उन्हीं से दिलवाया गया है लेकिन भविष्य में इस अनिश्चितता को रोकने के लिये प्रयास किया जायेगा ।

श्री रामगोपाल सण्ड--

कृपा करके क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो अवैध रूप से शिक्षक रक्खे गये थे, उनका क्या अपराध था कि उन्होंने पढ़ाया परन्तु उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह जिला परिषद् से प्रश्न संबंधित है। उनको इस प्रकार से अवैध रूप से शिक्षकों को नहीं रखना चाहिये था। उन्होंने रक्खा इसलिये शासन की तरफ से यह एतराज उठाया गया है। यह सही है कि उन्होंने सेवा की है। यह देखकर उनको वेतन दिया जा रहा है।

*१३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रिमण्डल में समावेश के कारण अपास्त ।]

गाजियाबाद में शिक्षा संस्थाओं को बढ़ाने की मांग

*१४--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिल्ली से गाजियाबाद पढ़ने के लिये ७-८ हजार छात्र प्रतिदिन कालेजों में आते-जाते हैं, जिनके कारण गाजियाबाद के विद्यार्थियों के दाखिले पर असर पड़ता है ? यदि हां ? तो क्या सरकार दिल्ली सरकार से उन विद्यार्थियों को नये कालेज व इमारत बनवाने हेतु धन की मांग करेगी अथवा स्वयं नये कालेज बनवाने हेतु धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम किंकर--

दिल्ली से गाजियाबाद प्रतिदिन लगभग चार हजार छात्र / छात्रायें पढ़ने के लिये आते हैं। इसके कारण गाजियाबाद के किसी विद्यार्थी को प्रवेश न मिलने अथवा प्रवेश में कठिनाई उत्पन्न होने की कोई शिकायत विभागीय अधिकारियों को नहीं प्राप्त हुई है।

श्री प्यारे लाल--

गाजियाबाद के कालेजेज की कितनी क्षमता है कि वहां पर दिल्ली से आए हुए १०,००० से ऊपर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिल्ली से गाजियाबाद पढ़ने के लिये कक्षा ९ से १२ तक तथा बी० ए०, एम० ए०, एल-एल० बी० कक्षाओं में लगभग चार हजार एक सौ पच्चीस छात्र छात्राएं प्रतिदिन आते-जाते हैं। सूची में इंगित सभी विद्यालय राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं। गाजियाबाद व उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से गाजियाबाद पढ़ने आए हुए छात्रों को भी अन्ततः वहां की ही शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश मिल जाता है और इस प्रकार किसी छात्र के वहां प्रवेश न हो सकने की कोई शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु गाजियाबाद के विद्यालयों में दिल्ली के छात्रों के प्रवेश लेने से काफी भीड़ हो जाती है जिससे कक्षाओं में जितना स्थान उपलब्ध होता है, उससे अधिक छात्र भर्ती करने पड़ते हैं और इस कारण छात्रों की पढ़ाई के स्तर पर प्रभाव पड़ता होगा।

श्री प्यारे लाल--

गाजियाबाद में बाहर से पढ़ने वालों की संख्या मेरे खयाल से १०,००० से ऊपर है। तो जब वहां पर बैठने के लिये भी जगह नहीं है तो जो गरीब छात्र हैं उनको सिफारिश का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद भी उनको दाखिला नहीं मिलता है। तो जो सूचना दी गई है उसको फिर एकत्र किया जाय क्योंकि यह सही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझ नहीं पाया, फिर से प्रश्न किया जाय।

श्री प्यारे लाल--

गाजियाबाद में जो छात्र दिल्ली से पढ़ने आते हैं उनके आंकड़े सही नहीं हैं। मेरे खयाल से १०,००० से ऊपर छात्रपढ़ने आते हैं।

श्री श्रीपति मिश्र--

आंकड़े सही है और जो श्रोत आंकड़े एकत्र करने का है उन्हीं से ये आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

मेरठ जिले में अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१५--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के ऐसे कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके अध्यापक व अध्यापिकाओं को अब तक २ माह से अधिक से वेतन नहीं मिला है तथा क्यों ?

श्री राम किंकर--

दिनांक ३० सितम्बर, १९६९ तक की सूचनानुसार मेरठ जिले के ऐसे माध्यमिक विद्यालय ६ तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ३५ हैं जिनके अध्यापकों को २ माह से अधिक वेतन नहीं मिला है। वेतन समय से न मिलने का मुख्य कारण धनाभाव है।

श्री मोहनलाल कपूर--

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने कन्या विद्यालय हैं और कितने बालक विद्यालय हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इसकी सूचना इस वक्त हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मेरे पास इस समय इतनी ही सूचना है कि वहां पर कुल कितने विद्यालय हैं। जो प्रश्न आपने पूछा है उसकी सूचना प्राप्त करना होगा।

एक सदस्य--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि जो शिकायत बराबर आया करती है कि अध्यापकों का वेतन समय से नहीं वितरित किया जाता है वह उनको मिलना चाहिये। क्या माध्यमिक अध्यापकों को वेतन कोषागार से दिलवाने का आप प्रयत्न करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह आपका प्रश्न पूर्णतः नीति से संबंधित है और बहुत सी बातें इससे संबंधित पैदा हो सकती हैं। यह निश्चित ही हमारी सरकार का मत है कि अध्यापकों को समय पर ही वेतन मिलना चाहिए और वह उचित ही है। जहां तक कि कोषागार से उनका वेतन मिलने का प्रश्न है इस वक्त हम इस विषय में कोई बात नहीं कह सकते हैं। इस पर हम विचार कर रहे हैं। जो भी निर्णय उनके लिये हितकर होगा वह किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

अध्यापकों का वेतन समय से भुगतान करने की जिम्मेदारी क्या सरकार अपने कन्धों पर लेने के लिये तैयार है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है।

एक सदस्य--

क्या शिक्षा मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग से सहयोग न मिलने के कारण ही अध्यापकों को समय से वेतन नहीं मिल सका। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन ३५ शिक्षा संस्थाओं में समय से उनको सहायता नहीं मिल सकी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ऐसी कितनी शिक्षा संस्थाएं हैं जहां पर अध्यापकों को ६ माह से वेतन नहीं मिला है अथवा एक वर्ष से ऊपर से उनको वतन नहीं मिला है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस संबंध में सूची संलग्न है जिसमें यह दिया हुआ है। पूरी सूचना के लिये समय की आवश्यकता है कि किस शिक्षा संस्थान को कितना अनुदान मिलता है और वह कब उसको दिया गया। इस समय यह नहीं दिया जा सकता है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री जी इसकी सूचना मंगवाने का कष्ट करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)--

इस प्रकार की गड़बड़ियां पूरे प्रदेश में हो रही हैं जिनकी सूचना हम सभी को मिल रही हैं। क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आपने बड़ा बुनियादी प्रश्न उठाया है परन्तु इसका उत्तर देना अभी संभव नहीं होगा।

श्री मोहनलाल कपूर--

जिन विद्यालयों में दो माह अथवा उससे ऊपर का वेतन नहीं मिला है क्या उनको तुरन्त वेतन दिलवाने का प्रयास किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मैंने पहले ही कहा कि जिन अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है उनको वेतन दिलवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री दीपनारायण मणि--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने यह स्पष्ट किया है कि अध्यापकों का वेतन सरकारी खजाने से लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या शिक्षा मंत्री जी इसकी तफसील में जो विचार और निर्णय हुए हैं, उनको सदन को अवगत करवायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माध्यमिक शिक्षक संघ के जो विचार रखे गये हैं वे हम लोगों के सामने आये हैं और शासन का भी जो विचार है वह भी सामने आया है। इन सब पर विचार विमर्श हो रहा है और जो हर एक हित में--शिक्षा और राज्य दोनों के हित में होगा, वैसा निर्णय लिया जायेगा।

*१६--श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)--

[२रे मंगलवार के लिये प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शिक्षा संस्थाओं को मान्यता

*१७--श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मान्यता समिति ने हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की मान्यता किस-किस जिले के किस-किस विद्यालय को प्रदान की एवं क्या सरकार मान्यता समिति के सदस्यों की सूची और पते सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

नोट--तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीपति मिश्र--

वांछित †सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

खुरजा में हरिजन छात्रावास खाली कराने का मामला

*१८--श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

क्या समाज एवं हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के खुरजा नगर में जो हरिजन छात्रावास सरकार द्वारा १९५२ में चलाया जा रहा था उसे डी० एस० ओ०, बुलन्दशहर ने दिनांक ३१ मार्च, १९६७ को खाली करने के आदेश दे दिये थे ? यदि हां, तो सरकार ने डी० एस० ओ० के आदेश की कोई अपील कमिश्नर के यहां की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । अपील संबंधी कागजात डी० जी० सी०, मेरठ को प्राप्त न हो पाने के कारण कमिश्नर के यहां अपील नहीं की जा सकी । परन्तु जिला जज से स्टे ले लिया गया तथा छात्रावास अभी उसी भवन में चलाया जा रहा है ।

इमदादिया जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद के संबंध में जांच

*१९--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इमदादिया जूनियर हाई स्कूल चौराहा गली मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद कोई जांच कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और वह कब तक पूरी होगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, जांच ९ जून, १९६९ को आरंभ हुई थी और जुलाई १९६९ में पूरी हो गई ।

मुरादनगर क्षेत्र मेरठ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न खुलना

*२०--श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के मुरादनगर क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है सरकार द्वारा खोला जाता है । चतुर्थ पंवर्षीय योजना काल में मुरादनगर क्षेत्र में किसी सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल मुरादनगर, मेरठ का अनुदान

*२१--श्री ईश्वरदयाल त्यागी--

क्या शिक्षा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्डिनेंस फैक्टरी मुरादनगर (मेरठ) में जवाहरलाल नेहरू मेमोरिएल गर्ल्स हाई स्कूल को सन् १९६४ से १९६९ तक कितना अनुदान दिया गया तथा उपरोक्त स्कूल के लिये इमारत हेतु इनामी कूपनों के लिये दिया गया प्रार्थना-पत्र जिलाधीश ने किन कारणों से खारिज कर दिया ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री श्रीपति मिश्र—

इस विद्यालय को स्वीकृत अनुदान संबंधी सूचना संलग्न तालिका में अंकित है। इनामी कूपनों की प्रसंगाधीन योजना लाटरी की कोटि में आती थी। अतः जिलाधिकारी ने अभीष्ट अनुमति नहीं दी ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७४ पर)

श्रीमती देवनन्दनी दीक्षित, सहायक अध्यापिका, कानपुर नगरमहापालिका का फण्ड व ग्रेचुयिटी

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर नगरमहापालिका में श्रीमती देवनन्दनी दीक्षित कन्या पाठशाला बादशाहीनाका द्वितीय में सहायक अध्यापिका थीं, जिनकी मृत्यु ३० अगस्त, १९६७ को उक्त विद्यालय के भवन की छत गिर जाने के कारण हो गई ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में नगरमहापालिका, कानपुर को उनके पति द्वारा उनकी ग्रेचुएटी , फण्ड तथा पेंशन के लिये अक्तूबर, १९६७ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार श्रीमती देवनन्दनी दीक्षित की ग्रेचुयिटी, फण्ड तथा पेंशन शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, श्रीमती देवनन्दनी दीक्षित की मृत्यु ३० अगस्त, १९६७ को जिस विद्यालय भवन में वह निवास करती थीं उसकी छत गिर जाने के कारण हुई। उनके पति से ग्रेचुएटी तथा पेंशन के लिये आवेदन-पत्र नगर महापालिका कानपुर को जनवरी, १९६८ में प्राप्त हुआ था न कि अक्तूबर, १९६७ में। स्वर्गीय श्रीमती दीक्षित की सेवा पुस्तिका उपलब्ध न थी और उन्होंने भवन निर्माण हेतु अग्रिम धन लिया था जो कि उस समय तक पूर्णरूप से लौटाया नहीं गया था। अतः महापालिका कानपुर ने उनके पति को अवशेष धन को लौटाने को कहा ताकि उनके प्राथना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उनके पति ने महापालिका को लिखा कि अवशेष धन को उनके प्राविडेंट फण्ड की रकम से काट लिया जाय। तत्पश्चात् महापालिका ने पेंशन तथा ग्रेच्युटी के कागजात तैयार कर उसका भुगतान कर दिया है ।

*२३—श्री रामचन्द्र विकल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त किया गया।]

*२४—२५—मोहम्मद असरार अहमद—

[पहले सोमवार में प्रश्न संख्या १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२६-२७—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्त्ता का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त ।]

श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर का अनुदान

*२८—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर की सरकार द्वारा तिमाही अनुदान का रु० ९,७१२.७२ जो कि अप्रैल, १९६७ में प्राप्त हुआ वह कालेज के एकाउन्ट्स में नहीं जमा किया गया है ? यदि हां, तो रुपये के गबन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर को अप्रैल, १९६७ में जो अनुदान प्राप्त हुआ है वह कालेज के एकाउन्ट्स में जमा हुआ है, अतः इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, उतरौला को शुल्क क्षति पूर्ति अनुदान न मिलना

*२९--श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में नोटीफाइड एरिया उतरौला में जूनियर हाई स्कूल को मान्यता कब प्राप्त हुई है और मान्यता प्राप्त होने के बाद भी क्या सरकार ने कक्षा ६ की शुल्क क्षति प्राप्ति की ग्रांट अब तक नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उक्त स्कूल को जूनियर हाई स्कूल स्तर की अस्थायी मान्यता १९६२ में और स्थायी १९६६ में दी गई ।

जी हां । कक्षा ६ का शुल्क क्षति पूर्ति का अनुदान अब तक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि विद्यालय अधिकारियों ने विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया ।

*३०--श्री सूरज लाल गुप्त--

क्या सरकार उक्त विद्यालय की समस्त बकाया धनराशि भुगतान करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र--

क्षति पूर्ति के अनुदान का भुगतान तभी किया जा सकता है जब विभागीय आदेशों के अनुसार अधिकारी कार्य करना प्रारंभ कर दें ।

कानपुर विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी

*३१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय में कितने गैर शिक्षक कर्मचारी हैं तथा कितने कर्मचारी अस्थाई हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कानपुर विश्वविद्यालय में कुल १८४ गैर शिक्षक कर्मचारी हैं । इनमें से १०० कर्मचारी अस्थायी है ।

प्राथमिक शिक्षकों की मांग

*३२--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रपति शासनकाल में मध्यावधि चुनाव के केवल कुछ ही दिन पूव जनवरी, १९६९ में प्राथमिक शिक्षकों की मांग कि उन्हें १५० रु० मासिक वेतन तथा केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता को मिलाकर १९४ रु० मासिक मिलना चाहिये, का समर्थन वर्तमान मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री ने किया था ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शासन को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

*३३-३४--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

[३रे मंगलवार में प्र० सं० ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

समाज कल्याण विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट कर्मचारी

*३५--श्री मंजूर अहमद--

क्या सरकार बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का प्रतिशत क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन पदों पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिशत ७.१ है तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः १२.३ तथा ८.६ है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर के कार्यालय से श्री दाहूजा का स्थानान्तरण

*३६--श्री मंजूर अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री इन्द्रसेन का स्थानान्तरण जनता की शिकायत व अधिकारियों की शिकायत पर मुजफ्फरनगर से सहारनपुर और दाहूजा का सहारनपुर से मुजफ्फरनगर और फिर दुबारा दोनों को अपने अपन जगह पर भेज दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री इन्द्रसेन का वर्ष १९६७ में स्थानान्तरण मुजफ्फरनगर से सहारनपुर को स्वयं उनकी प्रार्थना पर किया गया था न कि शिकायतों पर। श्री दाहूजा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयीं और उन्हें वर्ष १९६७ में सहारनपुर से मुजफ्फरनगर को स्थानान्तरित किया गया था। श्री दाहूजा की पारिवारिक स्थितियों की दृष्टि में वर्ष १९६९ में उन्हें पुनः सहारनपुर को स्थानांतरित किया गया। परन्तु श्री इन्द्रसेन को सहारनपुर ही रहने दिया गया है।

*३७-३८--श्री श्याम लाल, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री गया प्रसाद--

[२रे मंगलबार में प्र० सं० ८५-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

संगीत शिक्षकों का ग्रेड

*३९-- श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संगीत शिक्षकों को जो इन्टरमीडिएट कक्षा में संगीत पढ़ाते हैं लेक्चरर के ग्रेड का वतन नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को मालूम है कि संविद सरकार ने संगीत शिक्षकों को लेक्चरर ग्रेड देने का निर्णय किया था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

(क) जी हां।

(ख) पोस्ट ग्रेजुयेट न होने के कारण वे लेक्चरर ग्रेड पाने के अधिकारी नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

*४०--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त।]

राय बद्रीपाल इन्टर कालेज, वीरापुर के निलम्बित प्रधानाचार्य का जीवन निर्वाह भत्ता

*४१--श्री रामदेव--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत कितने अनुदानित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य १९६५ ई० से दिनांक ३० अगस्त, १९६९ तक निलम्बित हैं और उन्हें आरोप-पत्र भी नहीं दिया गया है तथा जीवन-यापन भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार आरोप-पत्र एवं जीवन-यापन भत्ता दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

केवल राय बद्रीपाल इण्टर कालेज,वीरापुर के प्रधानाचार्य निलम्बित हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन्हें कोई आरोप-पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं दिया जा सका। जीवन निर्वाह भत्ता दिलाने के संबंध में प्रबन्धक को आदेश दे दिये गये हैं।

कान्यकुब्ज इन्टर कालेज, कानपुर में अध्यापिकाओं को सेवा मुक्ति नोटिस

*४२--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को पता है कि वर्ष १९६८-६९ में कान्य-कुब्ज इण्टर कालेज, कानपुर के प्रबन्धक न उस कालेज की १७ अध्यापिकाओं को अवैध रूप से सेवामुक्त कर दिया और क्या उनका ५ महीने का बकाया वेतन भी नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त बर्खास्तगी के अवैध आदेश को रद्द कराने के लिये और बकाया वेतन दिलवाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पन्द्रह अध्यापिकाओं को नोटिस दी गई थी। बाद को यह वापिस ले ली गई। सभी अध्यापिकाओं को दिसम्बर, १९६९ तक का वेतन दिया जा चुका है। जनवरी, १९७० का वेतन देने का भी प्रयत्न विद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

गढ़वाल तथा कुमायूं कमिश्नरी में शिक्षा संस्थाएं

*४३--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा कुमायूं कमिश्नरियों में आधारित विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों, इन्टर कालेजों तथा डिग्री कालेजों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७५ पर)

*४४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार पौड़ी में एक सरकारी डिग्री कालेज खोलने का इरादा रखती है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। पौड़ी-गढ़वाल जिले में सरकारी डिग्री कालेज खोलने का इरादा है।

मेथाडिस्ट कन्या इन्टरमीडिएट कालेज, मुरादाबाद के संबंध में शिकायतें

*४५--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद स्थित मेथोडिस्ट कन्या इन्टरमीडिएट कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोक सभा सदस्य श्री वी० एस० चौहान द्वारा अग्रसारित कोई शिकायती-पत्र उन्हें २१ अगस्त, १९६९ को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

संस्था के राजकीय अनुदान का दुरुपयोग, प्रधानाचार्या, उप प्रधानाचार्या और अन्य अध्यापिकाओं की नियुक्तियां, वेतन की कटौती तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुख्य शिकायतें थीं । जांच कराने पर केवल उप प्रधानाचार्य पद की अवैध नियुक्ति की शिकायत सत्य पाई गई जिसके निराकरण के लिये प्रबन्धक को आदेश दिये जा चुके हैं ।

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया के अध्यापकों की योग्यता

*४६--श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता क्या है तथा क्या उनकी नियमानुसार निम्नतम योग्यता प्रमाणित है ? उनकी नियुक्ति कब की गई, वे स्थाई कब बनाये गये, उनकी आयु के प्रमाण-पत्र क्या हैं ? यदि उनकी नियुक्तियां अनियमित हैं तो क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इस समय सभी अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता नियमानुसार प्रमाणित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७६ पर)

डाक्टर रामदास समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*४७--श्री भीमा प्रसाद , श्री दलसिंगार तथा श्री जंग बहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना की प्रगति एवं विकास हेतु शासन द्वारा नियुक्त डा० रामदास समिति की आख्या प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो शासन ने किन-किन सुझावों को स्वीकार करने के साथ-साथ कार्यान्वित किया है ? क्या शिक्षा मन्त्री आख्या को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । शासन द्वारा स्वीकृत एवं कार्यान्वित सुझावों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है । प्रसंगागत †आख्या की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*४८--श्री भीमा प्रसाद, श्री दल सिंगार तथा श्री जंग बहादुर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के निरीक्षणार्थ एवं तकनीकी परामर्श हेतु जनपद एवं माडल स्तर पर कोई विशिष्ट व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद डा० राम दास समिति द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां। उक्त स्तर पर प्रसंगागत योजना के निरीक्षणार्थ एवं तकनीकी परामर्श हेतु एक-एक प्रसार अध्यापक प्राविधिक सहायक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। उक्त पद के लिये समिति ने कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की है वरन वरिष्ठ प्रसाराध्यापकों में से ही रखने की संस्तुति की है। प्रश्न नहीं उठता।

*४९---श्री राजित राम पाण्डेय तथा श्री राम पूजन पटेल---

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गैर-सरकारी विद्यालयों के लिपिकों एवं प्रधानाचार्यों का प्रान्तीयकरण न होना

*५०---श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार प्रधानाचार्यों एवं लिपिकों का जो गैर-सरकारी विद्यालय से सम्बन्धित हैं प्रान्तीयकरण करने जा रही है? यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र---

गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं लिपिकों के प्रान्तीयकरण करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*५१---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मलेथू, तहसील हंडिया में हरिजनों को बसाना

*५२---श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम मलेथू, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में डेढ़ साल पूर्व हरिजनों के पुनर्वास मकान व खेती लायक जमीन देने की योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो कितने हरिजन बसाये गये?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जिले में अध्यापकों को समय पर वेतन न मिलना

*५३---श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं वेतन वहां के अध्यापकों को देते हैं? क्या इन अध्यापकों को ३-३ माह बाद वेतन मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों को प्रतिमास वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र---

ऐसे विद्यालय ११ हैं। अध्यापकों को प्रति मास वेतन दिलाने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु जो विद्यालय पहल से ही बहुत घाटे में चल रहे हैं वहां के अध्यापकों के अवशेष वेतन को धीरे-धीरे ही नियमित किया जा सकेगा।

गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, उन्नाव के भवन निर्माण पर विचार

*५४--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गवर्नमेंट इन्टर कालेज, उन्नाव तथा नार्मल स्कूल, उन्नाव के भवन निर्माण कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति--

गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, उन्नाव अपने निजी भवन में चल रहा है। अतः उसके भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल, उन्नाव के भवन निर्माण का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की इन्टरमीडिएट परीक्षा की मान्यता

*५५--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे विश्वविद्यालय तथा संस्थायें कौन-कौन हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की इन्टरमीडियेट परीक्षा १९६९ को मान्यता प्रदान नहीं किया है जिसका संकेत शिक्षा संचालक द्वारा दिनांक १६ सितम्बर, १९६९ को प्रसारित प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पंजाब विश्व विद्यालय, चंडीगढ़; पंजाबी विश्व विद्यालय, पटियाला, पूना विश्व विद्यालय, पूना न मान्यता देना अस्वीकार किया या कुछ प्रतिबन्धों के साथ मान्यता मानी। इस के अतिरिक्त अभिभावकों ने अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में भी इस प्रकार की कठिनाई बताई।

विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय या संस्था का संकेत नहीं है।

प्राइमरी शिक्षा के प्रबन्ध में सुझाव

*५६--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार प्राइमरी शिक्षा को जिला परिषदों के प्रबन्ध से वापस लेकर जिला स्तर पर गठित ऐसे स्वायत्त शासी निकाय के अधीन करने का विचार कर रही है जिसमें शिक्षकों, शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों के प्रतिनिधि हों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

फीरोज गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बापूनगर, गारापुर फूलपुर के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*५७--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि फिरोज गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बापूनगर, गारापुर, फूलपुर, इलाहाबाद के अध्यापकों को गत ९ माह से अधिक का वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसमें क्या कार्यवाही की और क्या शीघ्र वेतन वितरण करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

फीरोज गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बापूनगर, गारापुर, फूलपुर, इलाहाबाद के अध्यापकों को वेतन न मिलने तथा आर्थिक अनियमितताओं के करण विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार दिया गया है कि निलम्बित अनुदान की धनराशि और शुल्काय से विद्यालय के अध्यापकों के वेतन का भुगतान करें।

राधेलाल इन्टर कालेज, जिला बदायूं में गबन तथा प्रशासक की नियुक्ति

*५८--श्री मोहनलाल कपूर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राधेलाल इन्टर कालेज (कछवा) जिला बदायूं की स्पेशल आडिट रिपोर्ट दिनांक १७ सितम्बर, १९६० में मैनेजर के विरुद्ध २,१६३ रु० का गबन सिद्ध हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

स्पेशल आडिट में २,१६३ रुपये नहीं बल्कि २१,७६३ रुपये का संदिग्ध गबन न केवल प्रबंधक बल्कि संस्थाधिकारियों द्वारा किया गया बताया गया था। अनुपालन आख्या में प्रबन्धक ने उक्त धन को विद्यालय के भवन निर्माण पर व्यय किया गया बताया। समाधान हो जाने पर इस संबंध में कार्यवाही नहीं की गई।

*५९--श्री मोहनलाल कपूर--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में किस-किस विद्यालय में १९६८-६९ में प्रशासक नियुक्त किये गये तथा किन-किन विद्यालयों में एवं किन-किन कारणों से यह आदेश अब वापस ले लिये गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

१९६८-६९ में केवल राधेलाल इण्टर कालेज, कछलाघाट, बदायूं में प्रशासक की नियुक्ति की गई थी, किन्तु प्रबन्धक के प्रत्यावेदन पर पुनः विचार कर प्रशासक की नियुक्ति का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिलकहर के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल

*६०--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलकहर (बलिया) के अध्यापकों का वेतन गत मार्च, सन् १९६९ से बकाया है जिसके भुगतान के लिये उक्त विद्यालय के अध्यापकों ने दिनांक २९ सितम्बर, १९६९ से अनशन करना आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, भूखहड़ताल हुई थी किन्तु प्रबन्धक द्वारा अध्यापकों को कुछ माह का वेतन दिये जाने पर ३०-९-६९ को समाप्त हो गई थी।

*६१--श्री नौनिहाल सिंह--

[३रे मंगलवार में प्र० सं० ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गांधी इन्टर कालेज, सिकन्दरपुर के विरुद्ध शिकायतें

*६२--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया) --

क्या यह सही है कि गांधी इन्टर कालेज, सिकन्दरपुर के प्रबन्धक समिति एंव आचार्य के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार आदि की शिकायत दिनांक १८ जून, १९६९ को बलिया जिले के विधायकों की तरफ से मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*६३--श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतों की जांच वर्तमान शिक्षा निदेशक ने स्वयं की थी और शिकायतों को सत्य पाया था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

एल० टी० प्रशिक्षण में नामांकन

*६४--श्री गोविन्दसिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सत्र में एल० टी० प्रशिक्षण में कितने प्रशिक्षार्थियों का नामांकन किया गया और वे किन-किन जिलों के निवासी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

१२७ प्रशिक्षार्थी जिन जिलों के वह निवासी हैं उसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८३ पर)

टिहरी गढ़वाल के हायर सेकेन्डरी स्कूलों व इन्टर कालेजों में अस्थायी अध्यापक

*६५--श्री गोविन्दसिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों और इन्टरमीडिएट कालेजों में कितने अस्थाई सहायक अध्यापक हैं और कितने-कितने वर्षों की उनकी सेवायें हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

८९, १ वर्ष से १६ वर्ष के बीच ।

*६६--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

[३रे मंगलवार में प्र० सं० ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मुरादाबाद जिले में हरिजन कल्याण अनुदान का प्रयोग

*६७--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में जिला हरिजन सहायक अधिकारी के द्वारा कितना-कितना अनुदान किस-किस को कौन-कौन-सी मदों के अन्तर्गत दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वांछित सूचना संलग्नक में दी हुई है ।

*६८--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अनुदानों का उपयोग पूर्ण रूपेण हो गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जैसा संलग्नक के अन्तिम स्तम्भ में दिखाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८४ पर)

अध्यक्ष, हरिजन कल्याण समिति, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र

*६९---श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या हरिजन कल्याण समिति प्रतापगढ़ के मनोनीत अध्यक्ष के विरुद्ध गबन के आरोप की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो यह जांच कब से चल रही है और जांच का क्या नतीजा अब तक निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*७०---श्री गया प्रसाद---

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त अध्यक्ष के मनोनयन पर दिनांक २६ सितम्बर, १९६९ को प्रतापगढ़ के कुछ विधायकों ने शासन को एक आपत्ति-पत्र भी भेजा है ? यदि हां, तो उस आपत्ति-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां । चूंकि उक्त आपत्ति पत्र के अतिरिक्त जिला समाज कल्याण समितियों के ठीक से कार्य न करने के बारे में शासन को और भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, अतः इन पर विचार करने के पश्चात् शासन ने राजाज्ञा संख्या ८२१२ क/छब्बीस-९४३/१९६५, दिनांक २ जनवरी, १९७० द्वारा जिला समाज कल्याण समितियों को विघटित कर दिया था तथा समिति के कार्यों को करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति गठित कर दी थी ।

अब राजाज्ञा संख्या ९३९/छब्बीस-९४३/१९६५, दिनांक १६ फरवरी, १९७० के अन्तर्गत जिला हरिजन समाज कल्याण समितियों का फिर से पुनर्गठन कर दिया गया है ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये नामांकन

*७१---श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)---

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि बी० टी० सी० प्रशिक्षण के निमित्त कितने-कितने अभ्यर्थी गवर्नमेंट नामिनी अनुमोदित किये गये हैं और उनमें हरिजनों की संख्य क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

आजमगढ़ जिले में सत्र १९६९-७० में कुल १०६ अभ्यर्थी मनोनीत किये गये । उनमें हरिजन अभ्यर्थियों की संख्या १२ है ।

सीतापुर जिला परिषद् को अध्यापिकाओं को हटाने के लिये कथित पत्र

*७२---श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार ने जिना परिषद् सीतापुर को जनवरी, सग् १९६९ से मई सन् १९६९ के मध्य कोई परिपत्र भेजकर अध्यापिकाओं को हटानें के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लिखित परिपत्र का पालन कर अध्यापक व अध्यापिकायें निकाल दी गई हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों से क्लर्कों के स्थानान्तरण

*७३--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मन्डल के पांचों जिलों में से प्रशासनिक कारणों एवं कुछ विशेष विभागीय नियमों के अन्तर्गत वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों से किन-किन लिपिकों के स्थानान्तरण आगरा मन्डल से बाहर हुये ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८८ पर)

*७४--श्री मलिखान सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त दो वर्षों में ऐसे हुये स्थानान्तरणों में से किन-किन लिपिकों का पुनः आगरा मन्डल के विभिन्न जिलों में वापस स्थानान्तरण हो गया है और क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूची संलग्न है। मंडल में वापस स्थानान्तरण होने का आधार भी संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८८ पर)

देवां स्कूल के प्रिंसिपल की मुअत्तली

*७५--श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि करीब-करीब १५ महीने हुये बाराबंकी देवां स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ इल्जामात की बिना पर मुअत्तल कर दिया गया था और उनके मामले का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, अगर हां, तो क्या सरकार इस मामले का फैसला फौरन कराने का कष्ट करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी, ने विद्यालय की प्रबन्ध समिति को इस मामले में शीघ्र निर्णय करने के लिये निर्देश दिया है।

बाराबंकी जिला परिषद् के अध्यापकों का वेतन भुगतान

*७६--श्री मुस्तफा कामिल किदवाई--

क्या सरकार को जानकारी है कि बाराबंकी जिला परिषद् के स्कूलों के अध्यापकों को करीब ५ महीने से कोई वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि उनकी तनख्वाहें जल्द से जल्द तकसीम कर दी जायं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत अध्यापकों को अक्तूबर, १९६९ तक का वेतन पहले ही वितरित किया जा चुका है और माह नवम्बर व दिसम्बर, १९६९ के वेतन वितरण हेतु चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को जनवरी में भेजे जा चुके हैं।

*७७-७८--श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा--

[३रे सोमवार में प्रश्न संख्या ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रामकोला ब्लाक में हरिजन कूपों के लिये अनुदान

*७९--श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रामकोला ब्लाक के अन्तर्गत १९६५ तथा १९६६ ई० में कितने गांवों के हरिजनों को पानी पीने के कुयें के लिये किन-किन आदमियों को कितना रुपया दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वांछित सूचना संलग्नक में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १८९ पर)

*८०--श्री बांके लाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन रुपयों में कितना-कितना सबसीडी दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

संलग्नक के स्तम्भ ४ में उल्लिखित धनराशि सबसिडी के रूप में ही दी गई थी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १८९ पर)

*८१--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[प्रश्नकर्ता सदस्य के मन्त्रि-परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

शिक्षा निदेशालय एवं सचिवालय के शिक्षा विभाग से अंग्रेजी में परिपत्र

*८२--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक यू० पी० शिक्षा निदेशालय तथा लखनऊ स्थित सचिवालय के शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र-परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार, अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कुल पत्रों की संख्या	
शिक्षा नि शालय	५६,४०९
सचिवालय	३९,३९४

इनमें से लगभग सभी पत्र हिन्दी में ही जारी किये गये। परिस्थितिवश कुछ ही पत्र अंग्रेजी में भेजे गये।

[श्री श्रीपति मिश्र]

विभिन्न प्रकार के पत्रों की अलग अलग संख्या तथा उनकी भाषा संबंधी सूचना देना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस दृष्टि से कोई रिकर्ड नहीं रखा जाता ।

न्योतनी में शिया वक्फ के मुन्तजिम मुतवल्ली को हटाने की मांग

*८३--श्री सुखपाल पांडेय--

क्या सरकार यह बतायेगी कि कस्बा न्योतनी, जिला उन्नाव के हकीम सैयद हिफाजत अली नामक शिया वक्फ का मुन्तजिम (कार्यकर्ता) लगभग १० वर्ष से कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो उक्त मुन्तजिम को हटा कर दूस रेमुन्नजिम की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

वक्फ के निर्विघ्न विलेख (Waqf deed) में उस वक्फ की प्रबन्धक समिति के गठन का प्राविधान है । वही समिति उस वक्फ के मुन्तजिम मुतवल्ली का चयन करती है । कथित समिति ने श्री सैयद आले हसन को वक्फ के मुन्तजिम मुतवल्ली के पदपर चुना था और वे उस पद पर १० वर्ष से कार्य कर रहे हैं । वक्फ बोर्ड उसी समय किसी मुतवल्ली को हटा सकती है जब उसके खिलाफ ऐसे आरोप सिद्ध पाये जायें जिनको देखते हुये उसका हटाना उचित हो ।

*८४--श्री सुखपाल पांडेय--

क्या यह सच है कि उक्त मुन्तजिम ने उक्त वक्फ की जायदाद की आमदनी किसी बैंक अथवा डाकखाने में न जमा करके अपने पास ही रखी है ? ऐसा क्यों ?

श्री अनवार अहमद--

वक्फ बोर्ड के नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत वक्फ की आमदनी किसी बैंक अथवा डाकखाने में जमा की जाये । वक्फ बोर्ड से कहा गया है कि मुतवल्ली को हिदायत कर दे कि बैंक या डाकखाने में रुपया जमा किया करें ।

*८५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद में सम्मिलित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

*८६--श्री त्रिवेणी सहाय--

[२रे मंगलवार में प्र० सं० ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों का स्मृति-पत्र

*८७--श्री रामगोपाल संड--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों ने हाल में उन्हें कोई स्मृति-पत्र दिया है । यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार उन मांगों को कब तक पूरा करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शासन को माध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों द्वारा स्मृति पत्र प्राप्त हुआ है । उनकी मुख्य मांगें सेवा में पदोन्नति, वेतन क्रम पारश्रमिक तथा स्थायीकरण के विषय में हैं । इन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आदर्श जूनियर हाई स्कूल अनुआ को मान्यता

*८८—श्री राजितराम पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में आदर्श जूनियर हाई स्कूल अनुआ ने जिसे इस वर्ष जून में स्थाई मान्यता दी गई है, क्या मान्यता की सभी शर्तें पूरी की हैं ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं । अंतिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले में सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*८९—श्री भगवतीसिंह बिशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की का कष्ट करेंगे कि योजनान्तर्गत जी०ओ० क्रमांक (१) १६-२-६४-१६-४-७६ ३१-६२(२३), १९६७-६८ दिनांक ३० नवम्बर, १९६७ के अनुसार खोले गये उन्नाव जिला के राजकीय जूनिर हाई स्कूलों के सहायक एवं प्रधान अध्यापकों को जिला परिषद उन्नाव के जूनियर हाई स्कूलों और राजकीय हाई स्कूलों के सहायक एवं प्रधान अध्यापकों से कम वेतन देने और सरकार द्वारा घोषित जुलाई, १९६८ में रु०१०-०० प्रतिमास तथा जनवरी, १९६९ में रुपया १५.०० प्रतिमास बढोत्तरी तथा नया वेतनक्रम न दिये न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शिक्षा निदेशक के पत्रांक आई(१)/ १६२६४-१६४७६ ३१-६२(२३)/६७-६८ दिनांक ३०-११-६७ द्वारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने के आदेश नहीं दिये गये । शिक्षा निदेशक के अपने उक्त पत्र में जिला परिषद द्वारा एक प्लान स्कीम के अन्तर्गत सीनियर बेसिक स्कूलों के खोलने की स्वीकृति दी थी ।

इन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को स्वीकृत वेतन क्रम जिला परिषद के अन्य सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के वेतन क्रम की तुलना में उच्च रखा गया है तथा उनको १-७-६८ से संशोधित वेतन क्रम देने में अन्ततः हानि होगी ।

उक्त स्कूलों के सहायक अध्यापकों को संशोधित वेतन क्रम क्यों नहीं दिये जा रहे हैं तथा उनको १-१-६९ से स्वीकृत तदर्थ वृद्धि न दिये जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है ।

*९०—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[२रे मंगलवार में प्र० सं० ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बसन्तलाल विद्यालय, तुलसीपुर के प्रधानाचाय को कार्यभार न मिलना

*९१—श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के जिला विद्यालय निरीक्षक बसंत लाल विद्यालय तुलसीपुर के आचार्य श्री गुरुमुख सरण को न्यायालय से आदेश हो जाने के बाद भी उन्हें आचार्य का कार्य नहीं करने दे रहे हैं, यदि हां तो क्या तथा सरकार उक्त विषय पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

शासन की सूचना के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा को न्यायालय का कोई ऐसा आदेश नहीं प्राप्त हुआ है कि श्री गुरुमुख शरण को प्रधानाचार्य का कार्य भार दे दिया जाय ।

*९२-९३--श्री गेंदा सिंह तथा श्री गोपीनाथ दीक्षित--

[२रे मंगलवार में प्र० सं० ९१-९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद में गबन

*९४--श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इंटर कालेज, फैजाबाद में कई हजार का गबन का मामला पकड़ा गया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । विद्यालय के गबन से संबंधित तत्कालीन प्रधान लिपिक के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

जिला समाज कल्याण समितियों का गठन

*९५--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतावेंगे कि शासकीय आदेश सं० ५७६०/२६-९४३-६५, दिनांक १९ सितम्बर, १९६९ द्वारा प्रदेश में जो जिला समाज कल्याण समितियों का गठन किया गया है सरकार ने ऐसी समितियों को किस आधार पर गठित किया है और इन्हें क्या अधिकार दिये गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जिला समाज कल्याण समितियों के गठन के आदेश राजाज्ञा संख्या १८६९/छब्बीस-९४३-६५, दिनांक ६ जून, १९६९ में दिये गये थे, जिसके प्रस्तर १ की मद संख्या (१) (२) तथा (७) के प्राविधान के अनुसार प्रश्न में संदर्भित राजाज्ञा दिनांक १९ सितम्बर, १९६९ द्वारा जिला समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ४ सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था ।

शासन की जानकारी में जो व्यक्ति हरिजनों के उत्थान और समाज कल्याण कार्य में विशेष कार्य कर रहे थे अथवा रुचि रखते थे उन्हें मनोनीत किया गया था ।

अब उपरोक्त समितियों के स्थान पर नई जिला हरिजन समाज कल्याण समितियों के गठन के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

इन समितियों का कार्य जिला स्तर पर हरिजन कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्थान संबंधी कार्य को छोड़कर, शिक्षा, आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाओं के लिए अनुदानों को स्वीकृत करना है ।

दीक्षा विद्यालयों में अस्थायी तथा वेतन-वृद्धि न पाने वाले अध्यापक

*९६--श्री रामसागर (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनकी वेतन-वृद्धि दक्षता रोक के कारण रुकी हुई है ? तथा दक्षतारोक पार करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

१४१ अध्यापकों के मामले । इसके कारण उनकी प्रतिकूल प्रविष्टियां, गोपनीय आख्याओं का अपूर्ण होना तथा परीक्षा फल संतोषजनक न होना हैं ।

*९७---श्री रामसागर---

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो ९-१० वर्ष से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र---

२७६ अध्यापक ।

ए० के० डिग्री कालेज, शिकोहाबाद के अध्यापकों का बकाया वेतन

*९८---श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ए०के० डिग्री कालेज शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के अध्यापकों को गत कई मास से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो कितने मास का वेतन बकाया है अब तक न देने का कारण क्या है तथा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां ।

लगभग आठ मास का वेतन बकाया है। विद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। आशा है कि वेतन का भुगतान शीघ्र हो जायगा क्योंकि अब कालेज की प्रबन्ध कारिणी समिति ने संस्था का प्रबन्ध तथा समस्त अधिकार जिला अधिकारी मैनपुरी की अध्यक्षता में एक समिति को दे दिया है ।

बी ० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मचारी

*९९---श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र १९६९-७० में महिलाओं के जो १२ बी०टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय तोड़ दिये गये उसके परिणाम स्वरूप कितनी अध्यापिकायें, हास्टल निरीक्षकायें तथा अन्य कर्मचारी सेवा-निवृत्त की गयीं ? उनके सेवा-निवृत्त किये जाने का आधार क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र---

५९ अध्यापिकायें, हास्टल निरीक्षिकायें शून्य, ११ लिपिक (पुरुष) तथा १६ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (महिला तथा पुरुष) सेवा निवृत्त किये गये ।

संबंधित संवर्ग में कनिष्ट होने के आधार पर यह कर्मचारी सेवा-निवृत किये गये ।

*१००---श्री कन्हैयालाल सोनकर---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकाले गये कर्मचारियों को दुबारा नौकरी देने में प्राथमिकता दी गई अथवा नहीं । यदि दी गई तो किस-किस को नौकरी में रख लिया गया है तथा जिन्हें नहीं रखा जा सका है उनको रखने की सरकार क्या योजना कर रही है तथा कब तक नौकरी मिल जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां, प्राथमिकता दी गई । ४३ अध्यापिकायें, ११ लिपिक तथा १५ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दी गई है। शेष को जैसे जैसे स्थान रिक्त होगा वैसे-वैसे नियुक्ति दी जायगी ।

स्वावलम्बी उ० मा० विद्यालय विशुनपुरा, गोरखपुर के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१०१--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि स्वावलम्बी उ० मा० विद्यालय विशुनपुरा,गोरखपुर जिसकी व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के अधीन है के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन कितने माह से बाकी है और क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कुछ कर्मचारियों का केवल एक माह का और कुछ का लगभग ६ माह का वेतन बाकी है। वेतन भुगतान में बिलम्ब का कारण विद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होना और धनाभाव है ।

जिला परिषद्, लखनऊ के अवकाश प्राप्त अध्यापकों की पेंशन

*१०२--श्री जगदीश गांधी तथा श्री नैपाल (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला परिषद् लखनऊ को सरकार से तदर्थ अनुदान प्राप्त हो जाने पर भी परिषद् के रिटायर्ड अध्यापकों को उनकी पेंशन का भुगतान कई महीने से नहीं दिया गया तथा उक्त पेंशन के साथ महंगाई भत्ता नहीं दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

१-४-६९ को जिला परिषद, लखनऊ के ७६ रिटायर्ड अध्यापक पेंशन पाने के अधिकारी थे । इनमें से १ अध्यापक की मृत्यु हो गई, ३४ को माह नवम्बर, १९६९ तक की पेंशन, १ को परिवार पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। २२ अध्यापकों की पेंशन स्वीकृति हेतु शिक्षा निदेशक से प्राविधान की मांग की गयी है और अवशेष १८ अध्यापकों का प्रकरण विचाराधीन है।

उक्त पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने का प्राविधान नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*१०३--श्री दर्लासगार (जिला आजमगढ़)

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६६-६७, १९६७-१९६८ तथा १९६९-७० में आजमगढ़ जिले के विभिन्न हाई स्कूल तथा इंटर कालेजों को अलग कितनी-कितनी रकम अनुदान के रूप में दी गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०४--श्री गंगाप्रसाद--

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आर० वी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर में अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१०५--श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि आर०वी०एम०इंटर कालेज तिलहर (जिला शाहजहांपुर) के अध्यापकों को गत ६ महीन से वेतन नहीं मिला है और इसके विरोध में अध्यापकों ने हड़ताल

करने का नोटिस दिनांक १५ दिसम्बर, १९६९ को शिक्षा मंत्री आदि को दिया है? यदि हां, तो सरकार तुरन्त इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या यह भी सही है कि उक्त कालेज के हिसाब-किताब में बड़ी गड़बड़ी है जिसकी शिकायत बराबर उच्च अधिकारियों से कई महीने से की जा रही है ? क्या सरकार उसका आडिट कराने का विचार रखती है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

अध्यापकों को विगत कई मास का वेतन वितरण नहीं हुआ था जिस पर कार्यवाही की गई और समस्त अध्यापकों का नवम्बर, १९६९ तक का अवशेष वेतन वितरण करा दिया गया है ।

जहां तक विद्यालय के लेखे में गड़बड़ी का प्रश्न है विद्यालय का आडिट प्रतिवर्ष होता है तथा वर्ष १९६८-६९ का आडिट भी हो चुका है। विद्यालय में अनियमितताओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही अलग से हो रही है।

*१०६--श्री सुरेंद्र विक्रम--

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि श्री पी० दास गुप्ता, प्रिंसिपल दिनांक ३० जून, १९६९ को आर०बी० एम० इंटर कालेज, तिलहर से रिटायर हो गये किन्तु आज तक उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा है? बिल आदि पर उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं और नया प्रिंसिपल अभी तक नियुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

श्री परमेश्वरी दास गुप्त, प्रधानाचार्य, आर० बी०एम०इंटर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर को ३० जून, १९६९ को सेवा निवृत्त होना था परन्तु उन्हें १ जुलाई, १९६९ से ३० जून १९७० तक का सेवा विस्तरण प्रदान कर दिया गया है। अतः प्रश्न के अंतिम भाग के उतर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूलों की अस्थायी मान्यता

*१०७--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र १९६९-७० में नये विद्यालयों को जूनियर हाई स्कूल की अस्थायी मान्यता दिये जाने के लिए क्या आधार निश्चित किये गये ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जूनियर हाई स्कूल की अस्थायी मान्यता के नियम १९६९-७० में वही थे जो शिक्षा संहिता की धारा १५८ में अंकित हैं।

*१०८--श्री नगीना सिंह--

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

१०९-११०--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ९५-९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

१११-११२--श्री शौनाथ सिंह--

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ९७-९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जौनपुर जिले में जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के लिये आवेदन पत्र

*११३—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता दिलाने के लिए वर्ष १९६८-६९ में कितने प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को मिले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष १९६८-६९ में स्थायी मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल १६ आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

चार को स्थायी मान्यता दी गई और बारह को जून, १९७० तक अस्थायी मान्यता की अवधि बढ़ाई गई क्योंकि इन्होंने स्थायी मान्यता की कुल शर्तें पूरी नहीं की थीं।

*११४—श्री उमानाथ सिंह—

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*११५—श्री चिरंजी लाल—

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० १०० के अन्तर्गत स्थानतिंरित]

प्रतारांकित प्रश्न

१—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

२—श्री जयनारायण सिंह—

[२ रे मंगलवार में प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मान्यता प्राप्त नर्सरी मान्टेसरी स्कूलों को अनुदान

३—श्री जगदीश गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने नर्सरी मांटेसरी स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ? इनमें से कितनों को स्थायी, कितनो को अस्थायी मान्यता दी गई है?

श्री श्रीपति मिश्र—

कुल २६७ नर्सरी मान्टेसरी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से १५७ को स्थायी तथा ११० को अस्थायी मान्यता दी गयी है।

४—श्री जगदीश गांधी—

ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूलों को वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

संलग्न सूची 'क' 'ख' 'ग' में देखा जाय।

[देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १९० पर।]

५---श्री जगदीश गांधी---

प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग विद्यालय हैं; सन् १९६६ से १९६९, पिछले तीन वित्तीय वर्ष, में कुल कितना अनुदान उन्हें दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

मान्यता प्राप्त नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग विद्यालयों की संख्या ३ है । उल्लिखित अवधि में कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

जौनपुर जिले में विद्यालय उप-निरीक्षक का मेडिकल अवकाश

६---श्री तेजबहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने किन--किन सहायक उप-निरीक्षक का मेडिकल अवकाश जो दिनांक २५ अप्रैल, १९६५ से ६ मई, १९६५ तक का है, अब तक स्वीकार नहीं किया ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

केवल एक विद्यालय प्रति उप निरीक्षक का मेडिकल अवकाश का मामला था वह दिनांक २१ जनवरी, १९७० को स्वीकृत कर दिया गया । विलम्ब का कारण यह था कि मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र उपबन्ध नहीं था ।

७---श्री रामदेव---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

मेरठ जिले में हरिजन कूप

८---श्री मंजूर अहमद---

क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ जिले में १९६७-६८ और १९६८--६९ की अवधि में कितने हरिजनों की सुविधा हेतु कुयें बनवाये गये ?

श्री श्रीपति मिश्र

वांछित सूचना निम्न प्रकार है---

वर्ष	कूप	हस्त पम्प
१९६७-६८	५	३५
१९६८-६९	१५	३१

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष १९६८-६९ में २४ कूपों के निर्माण तथा ४० हस्त पम्पों के लगाये जाने का कार्य हाथ में लिया गया है, जो चालू वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

मेरठ जिले में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

९---श्री मंजूर अहमद---

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, १९६७ से मार्च १९६८ तक तथा अप्रैल, १९६८ से मार्च, १९६९ तक अलग-अलग कितनी धनराशि मेरठ जिले के अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये स्वीकृत की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष १९६७–६८ तथा १९६८-६९ में मेरठ जिले के अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये स्वीकृत धनराशियां निम्न प्रकार थीं:–

	१९६७-६८	१९६८-६९
	रु०	रु०
१—अनसूचित जाति	६,५५,१४०	५,४८,३०३
२—पिछड़ी जाति	४५,९३८	४४,७२९

१०–११–श्री रियासत हुसेन—

[२रे मंगलवार में प्र० सं० ५–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला परिषद, पीलीभीत के विद्यालय उपनिरीक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र

१२—श्री तेजबहादुर गगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि वर्ष १९६७-६८ में जिला परिषद्, पीलीभीत के अन्तर्गत ११ स्कूल अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े रहे तथा नवीन स्कूल खोलने के लिये सरकार से सहायता प्राप्त होने पर उप निरीक्षक विद्यालय द्वारा न कार्यवाही करने पर जिला परिषद ने अपनी बैठक दिनांक २४ अप्रैल, १९६९ में खेद प्रकट किया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

१३—श्री तेजबहादुर गंगवार—

क्या यह भी सही है कि शिक्षा निदेशक महोदय के पीलीभीत दिनांक २२ मई, १९६९ को पधारने पर एक शिष्टमंडल जिला परिषद के सदस्यों का उनसे मिला और लिखित रूप से उक्त बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, शिष्ट मण्डल मिला था। शिष्ट मण्डल ने विद्यालय उप निरीक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र दिया था जिस पर छान बीन करने पर आरोप आधार पूर्ण नहीं पाया गया।

मुरादाबाद जिले के कथित महिला मंगल योजना केन्द्र

१४—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद के देहाती क्षेत्र में इस समय कितने महिला मंगल योजना केन्द्र हैं और वे कहां-कहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला मुरादाबाद के देहाती क्षेत्र में इस समय कोई महिला मंगल योजना केन्द्र नहीं है।

अलीगढ़ जिले में जूनियर हाई स्कूल

१५—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है ? इन स्कूलों में से कितने स्कूल तहसील सिकन्दराराऊ में हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अलीगढ़ जिले में कुल जूनियर हाई स्कूलों की संख्या (बालक, बालिकाओं, राजकीय, जिला परिषदीय) २०६ हैं।

३९ स्कूल तहसील सिकन्दराराऊ में हैं।

१६--श्री जगदीश गांधी--

क्या सरकार बतायेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ में स्थित जूनियर हाई स्कूलों में कितने स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा कितने स्कूलों को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री श्रीपति मिश्र--

तहसील सिकन्दराराऊ में स्थित ५ जूनियर हाई स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। शेष ३४ स्कूल जिला परिषद् अथवा नगरपालिका द्वारा संचालित है। केवल एक स्कूल श्रीमती प्रेमा देवी किसान जूनियर हाई स्कूल, सिधौली कलां को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में जानकारी

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पेश कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि पूर्वी जिलों के साथ बड़ा भेदभाव का व्योहार किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की तथा मंत्री की तरफ से ऐसा हुआ है। यह प्रश्न बड़ा जरूरी है। श्रीमन, आप इसके लिए समय दे दें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आज न हो सके तो कल के लिए रख लें। पूर्वी जिलों के लिए बड़ा ही भेद भाव का व्योहार किया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। अभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा....

श्री अध्यक्ष--

अब पीछे तो नहीं जा सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शिक्षा मंत्री जी जब प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है। यह कहना एक मंत्री के लिए उचित नहीं है। वे समय मांग सकते हैं और जब सूचना आ जाये तब जवाब दे सकते हैं, लेकिन सदन में किये गये सवाल का जवाब न देना उचित नहीं है। श्रीमान् इस में आप अपनी अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि उन्होंने कहा कि उत्तर नहीं दे सकते। तो इस वक्त शिक्षा मंत्री उत्तर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि इस वक्त उत्तर नहीं दे सकते हैं।

कई सदस्य--

यह नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--

तरीका यह हो सकता है--उस तरफ से जवाब के लिए यह तरीका अच्छा हो सकता है ...

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

माननीय राम चन्द्रविकल जी ने सवाल उठाया कि किसी मंत्री के लिए यह कहना उचित नहीं है कि वह जवाब न दें । उनके लिए किसी नीति विषयक प्रश्न का जवाब देना सम्भव नहीं था । मैं समझता हूं कि यह जवाब समीचीन व मुनासिब है । वह प्रश्न डिटेल्स और तफसील में जाने से ताल्लुक रखता था । अगर कोई सवाल पालिसी के सिलसिले में होता है तो यह मुमकिन नहीं है किसी मिनिस्टर के लिए कि वह फौरन जवाब दे सके, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि गवर्नमेन्ट ने अभी कुछ समय पहले ही चार्ज लिया हो । तो ऐसी सूरत में जब कि सरकार ने शासन का भार कुछ समय पहले ही संभाला हो किसी पालिसी के क्वैश्चन पर, किसी मंत्री का फौरन जवाब देना, उचित नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, वे तत्काल उत्तर न दें, मगर समय तो मांग सकते हैं । यह कह सकते हैं तत्काल पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है । जो मुख्य मंत्री जी ने कहा वह उन्होंने अपनी तरफ से कहा और अपने विचार रखे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

कई सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष--

श्री नित्यानन्द स्वामी....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि भ्रष्टाचारी अफसरों के बारे में आप मुझ से क्यों कहते हैं । उनसे न कहें तो किससे कहें ? उनका यह उत्तर देना उचित व समीचीन नहीं है ।

अध्यक्ष--

प्रश्नोत्तर के समय थोड़ा सा मजाक भी होता रहता है--यह सब होता रहता है । चौधरी साहब ने कहा यह एक परिपाटी है और उसी तरह से जवाब देना चाहिये ।

श्री रामलखन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज समय न दें तो कल दे दें । तमाम पूर्वी जिलों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है । बड़ा ही भेदभाव किया गया है । उस पर बहस करना बड़ा जरूरी है । बस्ती जिले में २० स्कूलों को केवल मान्यता दी गई है जबकि मेरठ के ४० स्कूलों को दी गई है ।

श्री अध्यक्ष--

१५ तक पहुंच गया यही गनीमत हो गई है ।

श्री राम लखन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिये लाभप्रद है।

श्री अध्यक्ष—

आपको उत्तर तो मिल ही गया है।

(व्यवधान)

प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन †

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट को पुकारने पर)

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता। मैंने सभापति को बुला लिया है।

एक सदस्य—

आपने उनको बुला लिया है, उसी पर मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे बुलाने के बाद आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। अगर ऐसे व्यवस्था के प्रश्न उठते रहे तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा।

एक सदस्य—

अगर आप व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था देने के लिये राजी नहीं होंगे तो सदन में व्यवस्था कैसे लागू होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं चतुर्थ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के बाहर नीति संबंधी वक्तव्य देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत) ††

श्री अध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द स्वामी ने कल एक प्रश्न उठाया था कि माननीय मंत्री जी ने पालिसी के सवाल का सदन के बाहर जिक्र कर दिया और उसकी जानकारी दी जब कि यह सदन दूसरे दिन बैठने वाला था। अब यह कि इसमे प्रिविलेज का सवाल उत्पन्न होता है या नहीं। मेरे पास इस विषय में कई रूलिंग्स हैं। एक रूलिंग सन् ६७ की इसी सदन की है जो जगदीश शरण अग्रवाल जी ने दी है। यह रूलिंग उत्तर प्रदेश विधान सभा की २६ जून की जो कार्यवाही है उसके ४०१ सफे पर है। इसमें उन्होंने लोक सभा और पार्लियामेंट की रूलिंग्स भी बताई है। जो प्रिविलेजेज हम लोगों के पास मौजूद हैं वही हैं संविधान के अनुसार जो कि सन् ५० में थे...

यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। हर रोज इसको उठाया नही जा सकता। एक दफा इसके ऊपर फैसला हो चुका है और यह फैसला हाउस आफ कामन्स का भी है और लोकसभा का भी है

---

†छापा नहीं गया।

††२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

और जगदीश शरण जी अग्रवाल ने उसको कोट भी किया था। मैं भी आपके सामने उसको पढ़ कर सुना देता हूं। यह लोकसभा का है अंग्रेजी में, उसको मैं पढ़े देता हूं :—

"I am clear in my mind that there is no breach of privilege in the matter. Even if a matter of policy were to be announced outside the House while the House is in session it was ruled in the House of Commons that there was no breach of privilege, it may be a breach of courtesy. When the House is in session all matter of policy ought to be announced first in the House. This is a rule that has been adopted for several years in this House also."

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह एक अकेडेमिक क्वेश्चन है। सदन अगले दिन बैठने वाला है। चार घंटे के अन्दर राज्यपाल का भाषण होने वाला है .....(शोर).....आपके कहने से मैं नहीं बैठूंगा। मैं यह समझ रहा था कि इससे पहले कि आप कोई रूलिंग देंगे आप इस विषय पर हम लोगों को बोलने का अवसर देंगे। परन्तु मुझे खेद हुआ कि आपने रूलिंग देनी प्रारम्भ कर दी इसलिये मैं खड़ा हुआ अन्यथा आपका अनादर करूं ऐसा मेरा इरादा नहीं है। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि आप हम लोगों को बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई प्रिविलेज का सवाल आता है तो कोई वजह न बताते हुये मैं कह सकता हूं कि प्राइमाफेसी केस नहीं है। हाउस आफ कामन्स का उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसे निर्णय देने में अध्यक्ष द्वारा कोई कारण न बताया जाय, मैं तो कारण भी बता रहा हूं। प्रिविलेज का सवाल तो उठता ही नहीं है (शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक मिनट अपनी व्यवस्था देने से पहले सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो व्यवस्था दे दी।

श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जब आप बोल रहे हों या अपनी व्यवस्था दे चुके हों तब भी माननीय सदस्य आप के बार-बार कहने पर नहीं बैठ रहे हैं और सदन के काम में विघ्न डाल रहे हैं तो इस पर आप के निर्देश होने चाहियें और वह सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जायसवाल जी, आप तो अनुशासन का पालन करते हैं, अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, अनुशासन का पालन तो मैं सदा ही करता हूं लेकिन आप हमारी बात जरा सुन लें और आप ने स्वयं इस बात को कहा था और जो पिछली रूलिंग आपने कोट की उसके हवाले से भी यह बात.... (व्यवधान)

इस तरह से यह सदन शोर मचाने से नहीं चल सकता, अगर हमारी गुजारिश भी न सुनी जायगी तो यह सदन नहीं चल सकेगा। तो मैं कह रहा था कि जो रूलिंग अभी आपने कोट की है उसमें खुद यह व्यवस्था है कि जब यह सदन बैठक में है या होने वाला है तो कोई मुख्य मंत्री या मंत्री कोई भी नीति संबन्धी वक्तव्य सदन के बाहर नहीं देगा, यह सदन का विशेषाधिकार है और सदन के इस अधिकार को जानबूझकर तोड़ा गया है। इसलिये यह साफ है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है .....

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप डिबेट शुरू कर रहे हैं। आप बैठ जांय। ....(व्यवधान)

मैंने फैसला दे दिया है कि यह रूलिंग का सवाल नहीं है, यह तो सिर्फ कर्टसी की बात है। इस पर निर्णय सन् ६७ में हो चुका है और यह प्रश्न इसलिये विशेषाधिकार का नहीं बनता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

तो फिर श्रीमन्, वह इस डिसकर्टसी के लिए ही सदन से क्षमा प्रार्थना करें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया है कि यदि कोई सरकारी पालिसी का सवाल हो तो माननीय मुख्य मंत्री ख्याल रखें कि यदि सदन बैठा हो तो ऐसी घोषणा आगे वह सदन में ही करें, उचित होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप ने रूलिंग जो दी उससे जाहिर है कि यहां पहले घोषणा न करके उनके द्वारा डिसकर्टसी हुई है तो वह सदन से इस डिसकर्टसी के लिए तो क्षमा मांगें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन तो इस बात को मानते हैं। मैंने उनको अपनी रूलिंग में एडवाइस तो अभी दे दी है।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, आपने मझे कुछ सुझाव दिये हैं। जिस वक्त आप रूलिंग दे रहे थे तो आपने फरमाया था कि विशेषाधिकार का तो प्रश्न नहीं बनता लेकिन हाउस की कर्टसी का सवाल है। मैं यह मानता हूं कि यह हाउस की कर्टसी का सवाल है। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा की भाषा हिन्दी है। आपने यह कहा है कि यह पार्ट डिस्कर्टिसी का है। तो यह हाउस के अपमान में आता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में क्षमा मांगें ?

श्री चरणसिंह---

जहां तक हिन्दी भाषा का सवाल है हिन्दी का यह अर्थ कतई नहीं है कि व्याख्यान में अंग्रेजी का शब्द हरगिज ही न आये। अगर हिन्दी के मायने यह हैं कि कोई दूसरी भाषा का शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो मैं इसको हरगिज मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

डिस्कर्टिसी का मतलब क्या समझते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह---

मेरा कहना इस संबंध में है कि कोई नीति विषयक मामला यदि हाउस सेशन में हो, तो उसके बाहर मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा। जहां तक कर्टिसी और डिस्कर्टिसी का सवाल है कल जब मैं बोल रहा था तो उन्हें कोई हक नहीं था मुझे सबक सिखाने का।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपने अभी रूलिंग दी कि डिस्कर्टिसी हुयी लेकिन माननीय नेता सदन ने गोलमोल शब्दों में कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा लेकिन जो वे कर चुके हैं उसके लिए उन्हें क्या कहना है ?

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह तो स्वीकार किया कि मैंने गलती की है लेकिन इस तरह से प्रजातंत्र में काम नहीं चलने वाला है । इसलिये भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मेरे निवेदन का अर्थ यह नहीं है कि मैं चेयर पर या आप पर कोई एसपर्शन करूं लेकिन व्यवस्था का प्रश्न लेकर आपने ऐसी रूलिंग दी है कि (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, इनसे रूलिंग शब्द का स्पष्टीकरण मांगिये ?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

यह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं है। आप सोचिये कि डिस्कर्टिसी के क्या-क्या अर्थ हो सकते हैं । इसका एप्लीकेशन बहुत दुखद हो जायगा ।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो भी रूलिंग आप दें वह स्पष्ट दें । कल डिस्कर्टिसी शब्द को लेकर....

श्री अध्यक्ष---

वह स्पष्ट है, मैंने कर्टिसी शब्द कहा था ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

तो कर्टिसी यह डिमांड करती है कि जब सदन चलता हुआ हो तो नीति संबंधी बयान सदन में ही दिया जाय । यदि ऐसा नहीं होता तो वह कर्टिसी के खिलाफ होता है और फिर उसका कुछ परिमार्जन होना अवश्य चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बचा है जिसने इसका ब्रीच न किया हो और उस पर जब भी यहां प्रश्न उठाया गया किसी ने भी उसको ब्रीच आफ प्रीविलेज नहीं माना है । अध्यक्ष ने केवल एडवाइस ही दी । तो मैंने जो रूलिंग दी वह स्पष्ट है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

विरोध पक्ष पर भी तो यह लागू होता है कि वह भी कर्टिसी बरतें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मुझे, श्रीमन्, दो बातें प्रार्थना के रूप में कहनी थीं । एक तो यह कि जो आपने रूलिंग दे दी वह शिरोधार्य है। लेकिन उसके पूर्व यदि आप हम लोगों को सुन लेते तो अच्छा होता । आपने रूलिंग दे दी और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ कहा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की भी अपनी गरिमा है और उसका एक स्थान है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि वे कोशिश करेंगे । अंग्रेजी में एक कहावत है "एडिंग इनसल्ट टु एन इंजरी" माननीय मुख्य मंत्री ने इसी को चरितार्थ किया है। मैं पूछता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार इसी तरह के अपराध को करें तब क्या होगा ? यदि बार-बार वे अशिष्टता करें तो क्या होगा ? मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस सदन की गरिमा की रक्षा करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अभी हमारे सम्मानित सदस्य बाराबंकी तथा अन्य दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कहा (व्यवधान)। मैं चाहूंगा कि मुझे पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार ही चलने की अनुज्ञा दें क्योंकि उसमें किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया जाता, क्षेत्र का नाम ही लिया जाता है। तो मैं आग्रह कर रहा था कि यह प्रश्न ऐसा है जिस पर एक सदन को पुरानी परिपाटी के अनुसार चलना उचित होगा। हम यह देखते हैं कि पहले यह सदन ११ फरवरी को मिलने वाला है और ११ फरवरी को मिलने का निर्णय नवम्बर के महीने में घोषित हो गया था। यह तय था कि ११ फरवरी को सदन मिलेगा, बैठेगा, उसकी बैठक होगी। लेकिन वह इस बात को जानते हुए कि ११ फरवरी को सदन मिलेगा उसके बीच में कई नीति विषयक घोषणायें उन्हें करनी पड़ीं, जो सदन में नहीं हुईं। यदि वह नवम्बर से लेकर फरवरी तक कोई घोषणा न करते तो यह सदन के लिए अन्याय होता। आज की स्थिति में . . . (व्यवधान) जबकि सदन किन्हीं भी कारणों से.. (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर अपनी रूलिंग दे चुका हूं। रूलिंग के बाद इस तरह की बातें कहना अनुचित है। अब अगला क्वैश्चन लिया जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उस समय सदन के आहूत होने में इतना लम्बा समय था। जबकि इस मामले में केवल कुछ घंटों के अन्दर सदन होने वाला था। उनके द्वारा की गई इस घोषणा को ३ महीने की घोषणा के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है। मेरा निवेदन है कि मुझे लगता है कि संगत में जाकर श्री तिवारी जी पर असर कुछ गलत हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप आज इसके . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब राज्यपाल के अभिभाषण पर डिबेट होनी है, वह हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपने आचार्य जी को समय दिया, इसलिये मैं बोल रहा था। इसके अलावा जिस विषय पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उसका समावेश राज्यपाल के अभिभाषण में हो चुका है। इसलिये यह कहना कि सदन के सामने नहीं आया, गलत है, उसका उसमें भी जिक्र हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अब, मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। वक्तव्य कोई नहीं है। इसलिये सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, २५ तारीख को मुख्य मंत्री ने अमीनुद्दौला पार्क में जो भाषण दिया था वह अशिष्ट था या अभद्रता सदन के प्रति। दूसरे लफ्जों में मुख्य मंत्री

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

ने इस सदन की शान में गुस्ताखी की आपने श्रीमन्, सदन का निवेदन मानकर उनसे गुजारिश की । आपने निर्देश नहीं दिया, यदि मैं यह कहूं तो शायद मुख्य मंत्री जी भड़क जायें ।

एक सदस्य—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जायसवाल जी ने कहा मुख्यमंत्री जी ने गुस्ताखी की क्या यह पार्लियामेंटरी शब्द है, आप इस पर व्यवस्था दें ?

(विरोधी पक्ष से "है" "है" की आवाजें)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो कम से कम मुख्य मंत्री जी इस विषय में खेद प्रकाश करें और मुख्य मंत्री जी आपकी गुजारिश को मानकर.....

श्री अध्यक्ष—

("है" "है" की आवाजों के संदर्भ में) पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लेकिन उन्होंने खेद प्रकाश नहीं किया । खेद प्रकाश न करके आपकी अवमानना करें और फिर बैठ जायें बगैर खेद प्रकाश किये हुए, क्या यह आप का और इस सदन का अपमान है या नहीं है ? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें न तो गुस्ताखी का सवाल है और न "अभद्रता" का शब्द आपको प्रयोग करना चाहिये । कोई गुस्ताखी का सवाल नहीं है। मैं उस लाइट में नहीं लेना चाहता । उन्होंने कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा । आदमी प्रयत्न ही कर सकता है। मैंने ऐडवाइस दी । यह समझा कि ऐडवाइस दी गयी । लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इतनी ऐडवाइस होने क बाद भी मने आपको बता दिया, इसलिए कि जिसे सत्य के ऊपर टिकना है वह यही कहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, जिसको बीच में तोड़ने की जरूरत पड़े तो असत्य हो जायगा । इसलिये कोशिश ही आदमी कर सकता है। वह कोशिश करेंगे । मैंने इस लाइट में लिया । आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैंने यह व्यवस्था दी । जो उन्होंने कोशिश करने के लिए कहा वह सच्चाई के साथ कहा । लेकिन मैंने बता दिया आपको कि आज तक कितने ही चीफ मिनिस्टर हुये हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सब से इस तरह की गलती हुई है । लेकिन किसी ने गुस्ताखी नहीं की । यह नहीं हुआ कि माफी मांगें । हर जगह यह बात हुई, प्रिविलेज का सवाल खड़ा कर दिया, जब ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है तो जो कर्टिसी होती है उसके बारे में उपदेश ही किया जाता है कि आप इस कर्टिसी को यानी कस्टम का पालन कीजिये । वह कहते हैं कि हम फालो करेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

कहने का विश्वास नहीं है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब यह मान कर चलना चाहिये कि फालो करेंगे। दूसरी दफा फिर करें तो देखियेगा ।

विधान परिषद् से प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये चार सदस्यों को मनोनीत करने का प्रस्ताव

श्री नरेंद्रसिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

मैं, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, यह प्रस्ताव करता हूं कि "सभापति" विधान परिषद् से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिधि विधायन समिति (१९६९-७०) में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चार सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें"।

अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सभापति, विधान परिषद् से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६९-७०) में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदा सिंह···

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का सवाल है। जो अजेण्डे पर आठवें नम्बर की मद लिखी हुई है, इसमें यह लिखा हुआ है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्र हुए हैं श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है"। राज्यपाल ने पूर्ण सम्बोधन किया ही नहीं। वह चले गये। तो इस पर प्रस्ताव कहां से पेश होगा? अध्यक्ष महोदय, आप खुद थे। आज अखबार में निकला कि उनका भाषण आप खुद नहीं सुन सके। जब राज्यपाल महोदय का भाषण विधिवत हुआ ही नहीं तो उस पर माननीय गेंदा सिंह जी को धन्यवाद के प्रस्ताव को पेश करने के लिये आप क्यों बुला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय का भाषण नहीं हुआ है इसलिये एजेन्डे से इन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कल मैं यह उम्मीद करता था कि जब हम लोग ३ बजे बैठेंगे तो आपकी ओर से शायद यह प्रश्न उठाया जायगा। परिषद में यह प्रश्न उठाया गया और वहां पर रूलिंग हो ई। किसी ने आक्षेप नहीं किया इसलिये यहां पर यह मानकर चलें कि किसी को यहां पर आक्षेप नहीं है। उस भाषण को पढ़कर सुना दिया। हमारे यहां यह तरीका पुराना चला आता है कि राज्यपाल के भाषण के प्रारम्भ के और अंतिम के अंश पढ़ दिये जाते हैं तो उसको यहां पर पढ़ दिया गया और पढ़कर सुना दिया गया। वह चीज खत्म हो गई। अब इसके ऊपर किसी रूलिंग की जरूरत नहीं है। उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया है और अब उसके ऊपर आगे की कार्यवाही होगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्·····

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

सदन के अन्दर श्री राज्यपाल का भाषण पूरा पढ़ा जाना चाहिये । यह यहां का नियम है किन्तु राज्यपाल महोदय ने क्या पढ़ा यह हमको सुनाई नहीं दिया ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, यह प्रश्न आज इसलिये पैदा हुआ है कि यहां पर धन्यवाद का प्रस्ताव आज ही रखा जा रहा है। धन्यवाद का प्रस्ताव कल तो था नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यहां पर वह भाषण कल पढ़ा गया । जब वह पढ़ा गया तो पढ़ा हुआ मान लिया गया । उसके बाद जब यहां पर मेरे द्वारा वह भाषण पढ़कर सुनाया गया तो उस समय भी किसी ने कोई बात नहीं कही । वह भाषण परिपाटी के अनुसार पढ़कर सुना दिया गया तो वह कार्यवाही पूरी हो चुकी है। अब उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव आ सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आपने गेंदा सिंह जी को धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए बुलाया है । जिस समय यहां पर गुप्ता जी नेता सदन थे तो उस समय भी गेंदा सिंह जी ने यह धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया था और आज जब नेता सदन बदल चुका है तो आज भी वही इसको पेश कर रहे हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समय रहते इस स्थिति को बदल दिया जाय ।

श्री राज्यपाल के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जा रहा है वह इस आर्डर नहीं है। मैं नियम १९ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

व्यवस्था का प्रश्न है उसे उठाने का हमारा अधिकार है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी जो राज्यपाल के सम्बोधन के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वह इन आर्डर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

वह पहले पढ़ कर सुना दें तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

*श्री कृष्णानन्द राय---

गलत चीज वह पेश नहीं कर सकते । (शोरगुल) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम १९ की तरफ दिलाता हूं जिसमें लिखा है :---

"१९(३) अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा" आगे १९ (४) में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह लिखा हुआ है "इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगा" इस प्रकार सदन धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगा, लेकिन माननीय गेंदा सिंह जो ने जो सूचना दी है जैसा कि एजेंडा पर लिखा है वह यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्र हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं" तो मेरा कहना है कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव आउट आफ आर्डर है। प्रस्ताव इस प्रकार आना चाहिये था कि सदन राज्यपाल महोदय ने जो सम्बोधन प्रस्तुत किया है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है लेकिन इसमें है कि आदरणीय सदस्य जो उपस्थित हुए हैं वही सम्बोधन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे सदन उन सभी सदस्यों का होता है जो यहां किसी कारणवश उपस्थित न भी हुये हों। यह सैद्धान्तिक चीज है। राज्यपाल के सम्बोधन के प्रति पूरे सदन की तरफ से धन्यवाद का प्रस्ताव आना चाहिये लेकिन चापलूसी में गेंदा सिंह जी ने "कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद" शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके लिये मेरा निवेदन है कि धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये जिस प्रकार कि गेंदा सिंह जी लाये हैं। (व्यवधान)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं भी अध्यक्ष महोदय इस बात से सहमत हूं कि यह बात बड़े महत्व की है कि अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सदस्य अधिवेशन में उपस्थित हुए उनकी ओर से यह धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, और अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके मानी यह हैं कि सारे सदन ने उसे पारित नहीं किया बल्कि उन सदस्यों ने किया जो यहां मौजूद हैं, बाकी ने इंकार कर दिया। मान्यवर, आप व्यवस्था देने की कृपा करें। यह प्रश्न भविष्य के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री कृष्णानन्दराय---

अध्यक्ष जी, मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाया हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप कह चुके हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपने यह कहा कि जो लोग यहां पर उपस्थित नहीं हुये हैं उनकी तरफ से भी यह प्रस्ताव होना चाहिये था।

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसमें मारे चापलूसी के उन्होंने (व्यवधान)

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि अभी माननीय कृष्णानन्द राय जीने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें चापलूसी शब्द से वे ज्यादा अवगत होंगे। लेकिन यह उचित नहीं लगता है कि इस शब्द का उपयोग किया जाय।

श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)---

चापलूसी शब्द इसलिये संसदीय नहीं है (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, हमें कहने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप व्यवस्था दे देंगे कि चापलूसी शब्द असंसदीय है तो हम उसको वापस ले लेंगे। किसी भी व्यक्ति से सदन बड़ा है।

श्री अध्यक्ष—

'चापलूसी' शब्द का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं जब वह उनको बुरा लगता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है कि हमें अपनी बात नहीं कहने दिया जा रहा है। कभी कोई खड़ा हो जाता है और कभी कोई खड़ा हो जाता है। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था कि यदि वे हमारी बात सुन लेंगे तो वे हमारे साथ होंगे। सदन की एक मर्यादा है और वह किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति से ज्यादा ऊंची है। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसमें दो गलतियां की हैं। एक तो यह सारे सदन की तरफ से पेश नहीं किया गया है। अगर यह स्वीकृत हुआ तो उन सदस्यों की तरफ से होगा जो उस दिन मौजूद थे या आज मौजूद हैं तो जो सदन को धन्यवाद का प्रस्ताव देना चाहिये वह फेल हो जायेगा। दूसरे यह कि हमारा सदन धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करता है इसलिये इसमें से "कृतज्ञता" शब्द वापस होना चाहिये। इसलिये इस प्रस्ताव में से ये दो चीजें निकाल दें। इसके बाद आप उनको आज्ञा दें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं उससे अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। मेरे विचार से जो भाषा इस प्रस्ताव में लिखी गयी है वह बिलकुल नियमानुकूल है। पहले भी इस सदन में इस प्रकार का धन्यवाद का प्रस्ताव सभी की सहमति से स्वीकृत हुआ है। लोक सभा में भी इसी प्रकार की भाषा के प्रयुक्त करने की परिपाटी रही है।

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि इसमें "उपस्थित" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि "एकत्र हुये हैं" शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्रीमन्, अधिवेशन का अर्थ होता है संविधान के अनुसार राज्यपाल महोदय विधान मंडल का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें भाषण देते हैं। इसलिय अधिवेशन शब्द का प्रयोग किया गया है और जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो इस नियम के अनुसार करता है "१९(४) इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगा। "इसके अनुसार यह प्रस्ताव है और जो प्रस्ताव की भाषा है वह भी बिलकुल नियमानुकूल है, पुरानी परिपाटी के अनुसार है। जहां तक कृतज्ञता-पूर्ण शब्द का ताल्लुक है, गाजीपुर क माननीय सदस्य जिसको कर्टेसी कहते हैं, उसी का परिचायक है, जिसका वह पहले वर्णन कर चुके हैं। यह केवल शिष्टाचार मात्र है और उसी शिष्टाचार क नात हम उनके लिये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसलिये यह चापलूसी का मामला नहीं है। यदि माननीय सदस्य को किसी शब्द पर ऐतराज भी था तो उसका शाब्दिक संशोधन से आते बजाय इसके कि प्रस्ताव को ही आउट आफ आर्डर वे बता रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि यह बिलकुल इन आर्डर है। लेकिन इसमें हर एक शब्द का अर्थ होता है। इसमें शब्द "एकत्र हुये हैं" प्रयोग किये गये हैं। अगर सारे हाउस से उसका मतलब था तो इन शब्दों को प्रयुक्त करने की कोई आवश्यकता ही न थी केवल "सदस्यों" शब्द ही पर्याप्त था। जहां तक कृतज्ञता शब्द के प्रयुक्त करने की बात है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उनको तो गवर्नर के प्रति कृतज्ञता दिखानी ही चाहिये वह तो इन दि नेचर आफ थिंग्स ही है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह उचित ही है । माननीय गेंदा सिंह जी ने पिछले साल अपना धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो सरकार भी गिर गयी थी और वे भी मंत्री नहीं बन पाये थे इस साल वे फिर वही करने जा रहे हैं । मैं उनका शुभ चिंतक हूं । मैं चाहता हूं कि वह मंत्री अवश्य बनें और बने रहें । इसलिये वे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करके अपने लिये अपशकुन पैदा न करें ।

श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)---

नियम १९ में यह दिया हुआ है कि "दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे" यहां यह नहीं लिखा है कि दोनों सदनों में एकत्रित सदस्यों को अभिभाषित करेंगे । इसलिये "एकत्रित हुये हैं" ये शब्द अनावश्यक हैं । यह टेक्निकल गलती है । लेकिन मूल प्रस्ताव में दिया हुआ है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो इस अभिभाषण में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल को उनके संबोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद करते हैं।" इसमें कृतज्ञतापूर्ण दिया हुआ है, यह अनावश्यक शब्द है । यह इसमें नहीं होना चाहिये । तो मेरा संशोधन है कि जो मूल प्रस्ताव है वह अवैधानिक है और नियम के विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न उठाया गया तो मैं आपको सुना दूं कि यह परम्परा रही है । सन् १९६६ का कार्यवृत मेरे पास है । इसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को और विधान परिषद् के सदस्यों को एक साथ संबोधित श्री राज्यपाल ने किया है । इस प्रकार उन्होंने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को संबोधित किया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों सदनों को सम्बोधन होना चाहिये । बात यह है कि जो संबोधन है उसके लिये धन्यवाद देने वाले दोनों सदन अलग अलग धन्यवाद देंगे । यहां पर अलग होगा और उस सदन में अलग होगा । एक साथ नहीं होता है । इसीलिये उन्होंने यह शब्द डाल दिये हैं कि मालूम हो कि इस सदन की तरफ से है । तो यह इन आर्डर है और कृपा करके श्री गेंदा सिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राम करन---

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

श्री गेंदा सिंह जी..... (व्यवधान)

श्री राम करन---

मैं एक बात पेश करना चाहता हूं इसलिये मुझे पहले बोल लेने दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था का प्रश्न है और अगर इसको स्वीकार नहीं किया जायगा तो फिर यह सदन नहीं चल सकता है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

राज्यपाल जी ने अपने भाषण में नई सरकार द्वारा बनाई नीतियों की तरफ स्पष्ट किया है जो उनके इस संक्षिप्त भाषण में कहा गया है ।

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल होने लगा और श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर) तथा श्री रामकुमार जोर-जोर से माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय कहते रहे और सदन की किसी भी कार्यवाही को कुछ समय तक आगे नही चलने दिया।)

श्री अध्यक्ष—

यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं यही कहूंगा कि मना कर दिया जाय यदि वे मेरा कहना नहीं सुनेंगे। पहले मैंने श्री गेंदासिंह जी को बोलने के लिये कहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है और आपके जो नियम हैं वे स्वयं ही कहते हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो उस समय सदन की सारी कार्यवाही को रोककर व्यवस्था के प्रश्न को लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं किसी दूसरे को बोलने के लिये कोई फैसला दे देता हूं तो वह मान्य होना चाहिये।

एक सदस्य—

यदि व्यवस्था का प्रश्न उसी आदमी के भाषण से सम्बन्धित है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि वह आदमी खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठा ही नहीं सकता है। यदि ऐसा होता है तब तो व्यवस्था स्वयं ही समाप्त हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। जब एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुज्ञा दी गई और जब तक वे अपना भाषण समाप्त न कर लें दूसरे को प्रारम्भ करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। पहले मैंने श्री गेंदा सिंह जी को बुलाया है और उनके बोलने के उपरान्त ही तब दूसरे सदस्य को बोलने की आज्ञा दी जा सकती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है तब आप उसके प्रश्न का निस्तारण करके तभी आगे बढ़ सकते हैं। एक माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं। जब दूसरी बात शुरू हो जायगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक कानूनी सवाल उठता है। बगैर उस पर व्यवस्था दिये हुए आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है। मान्यवर, श्री सुखपाल पाण्डे व श्री राम करन सिंह बराबर खड़े हो कर बोलते रहे।

श्री अध्यक्ष—

आप यह समझते हैं कि हर एक आदमी व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार उठाता रहे। अगर प्रश्न इस प्रकार उठते रहेंगे तो इसी प्रकार कार्यवाही अखण्ड चलती रहेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक प्रश्न उस भाषण से संबंधित है और व्यवस्था का प्रश्न है तो नियम के रहते हुये वह आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप नियम को ही बदलवा दें या आप ऐसा न करें। आप धमकी देते हैं कि आप इंगित कर देंगे और बाहर निकलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम के अनुसार ही चल रहा हूं। श्री कृष्णानन्द राय साहब ने एक औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत किया। उस पर सब लोग बोले। मैंने अपना फैसला दे दिया जो उचित है।

उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहा। यह ठीक है कि वे उपस्थित कर सकते हैं परन्तु जब वे उपस्थित करने के लिये खड़े होते हैं तो बहुत से लोग बोलने खड़ हो जाते हैं। अगर इस तरह से सब लोग बोलते जायेंगे तो बड़ी परेशानी पैदा हो जायगी।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

आपने अगर एक व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दे दी है तो यह जरुरी नहीं है कि दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठ ही नहीं पायेगा। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और एक कानूनी प्रश्न उठाया गया।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न "आब्सट्रक्शन" पैदा करने के लिए नहीं उठ सकता है। क्या लोगों को रोका नहीं जा सकता है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

जब तक आप उसको सुनेंगे ही नहीं, तब तक कैसे आप यह प्रिज्यूम कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि वह अड़ंगा लगाने के लिए है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न सुन चुका हूं।

दलों के सदस्यों की संख्या के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

मैं यहां पर बराबर बोलता रहा हूं। श्रीमन् जी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के प्रति यह बात शोभाजनक नहीं है। मैं आपके कमरे में भी गया था और मैंने नम्रता पूर्वक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मुझे दुःख है कि मुझे इजाजत नहीं दी गयी। आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न था। इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा होनी चाहिये कि कौन-कौन से दल सरकार की ओर हैं और कौन-कौन से दल विरोधी पक्ष में है। दूसरी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह संविद के भी नेता थे, श्री कमलापति त्रिपाठी ग्रुप के भी नेता हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वे पूरे हाउस के नेता है और केवल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही विरोधी पार्टी है। मैं यह जानकारी चाहता हूं और इसको आप स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन है कि अब इसके बाद कोई नहीं बोलेगा। व्यवस्था के बारे में मैंने कल भी कहा था कि मैं इस बात का पता कुछ दिन में लगा पाऊंगा कि कौन-कौन आदमी किस पार्टी में हैं। जैसा कि मैंने कल भी बता दिया था कि जहां तक विरोधी पार्टी का सम्बन्ध है वह है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस संगठन की। कांग्रेस संगठन की पार्टी सबसे बड़ी है और उसके सदस्य सबसे ज्यादा हैं। इसलिए इसके नेता चौधरी गिरधारी लाल जी हुए और वही नेता विरोधी दल हुए। मैंने यह भी कहा कि सब पार्टियां अपने-अपने सदस्यों के नाम दे दें। अगर ऐसा हो जायेगा तो मेरे लिए भी आसान हो जायेगा कि मैं जान लूं कि किस पार्टी में कितने सदस्य हैं। मेरा यहां इस प्रकार पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाना उचित भी नहीं है। इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं और यही मैंने कल भी कह दिया था। इस संबंध में पूरी जानकारी आपको ५-३-१९७० को दे देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वक्त काम करने दें।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय गेंदा सिंह.....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, एक पर्चा जो बांटा गया है उसमें यह लिखा है कि किस पार्टी की कितनी संख्या है। इससे साबित है कि आपके पास हर एक दल की संख्या है। कल से हम लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें यह सूचना मिलनी चाहिए कि हर पार्टी के कितने सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह सीट के लिए है। किस पार्टी की कितनी सदस्यता है उसका मुझे पूरा विश्वास नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय राज्यपाल जी का जो भाषण कल हुआ था वह एक संक्षिप्त सा भाषण है।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रस्ताव पढ़कर सुना दीजिये।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्र हुए हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करते हैं।

मैं खासतौर से अपने माननीय कृष्णानन्द राय से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को सुन लें और फिर जितनी बार चाहें खड़े होकर मुझे चापलूस, चापलूस, चापलूस कह लें। वह एक पार्लियामेन्टेरियन हैं। उमर में चाहे मुझसे कम हों, लेकिन विद्वत्ता में ज्यादा हैं और बड़े ओहदों पर भी रहे हैं और विधान निर्मात्री सभा के सदस्य तक रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल का भाषण बड़ा संक्षिप्त भाषण है। उसमें केवल नीतियों का निर्देशन है। अगर कहा जाय तो केवल प्वाइन्ट्स गिना दिये गये हैं कि सरकार का इतने संक्षिप्त काल में इन इन बातों पर विचार करके यह इरादा है कि इन इन समस्याओं का समाधान किया जाय। श्रीमन्, उस भाषण को हमारे मित्रों ने सुना नहीं, उसके आखिरी पैरा में यह भी है कि "अगले सत्र में बजट के साथ-साथ सरकार अपनी विस्तृत नीतियों व योजनाओं पर प्रकाश डाल सकेगी। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, राज्य सरकार उनका स्वागत करेगी और उन पर गम्भीरता से विचार करेगी।" श्रीमन्, मेरे जीवन काल में जितने भी राज्यपालों के भाषण हुए उतनों में किसी में इतनी गम्भीरता, किसी में समस्याओं के समाधान करने का संकल्प और समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम मैंने नहीं देखा था जो इस छोटे से बयान में देखा है। श्रीमन्, मैं दो तीन-चार बातों की ओर अपने मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। समय और जन जाग्रति के सामने जो झुकता है वह है डेमोक्रेट और प्रजातन्त्र को मानने वाला और जो पत्थर से अपना सिर फोड़ता है, दुनिया में उसका दूसरा नाम कहा जाता है और वह है मूर्ख। श्रीमन्, इस सरकार ने जनता को अच्छी तरह से समझा, उसकी आवश्यकताओं को समझा और उसको समझने के बाद उसने उसका इसमें समावेश किया। आपके सामने एक इरादा अपना ऐसा बतलाया और आपसे इस बात के लिये आग्रह किया कि अगर आप इसको सुधार सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपकी बुद्धि का लाभ उठाया जायगा कभी यह नहीं कहा गया कि यह कागज पूर्ण है, अब इसके आगे कोई चीज नहीं होने वाली है।

यह कागज आपके सामने नम्र निवेदन है और इसको रखते हुये यह कहा जा रहा है कि कृपया अपनी बुद्धि से आप इसको परिष्कृत कीजिये, संशोधित कीजिये और फिर एक महीने बाद जब बजट सत्र आयेगा तो उस वक्त इन सारी बातों पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिलेगा और चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा जो हमारे सामने है वह भी निश्चित होने वाली है ।

जहां तक सवा ६ एकड़ और ३ एकड़ मालगुजारी की बात है, मैं कभी इस बात को नहीं कहता और न यह सरकार कहती है कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी वसूल की जाय । भाई अनन्तराम जी ने कहा कि तुमको हम डाक में खड़ा करेंगे । मैं डाक में आज नहीं खड़ा हूं मैं डाक में खड़ा था जब संविद की सरकार थी । तब जिस वक्त यह कहा गया कि अलाभकर जोतों से लगान न लिया जाय तो मुझे याद है कि उस जमाने के फाइनेन्स मिनिस्टर ने मालूम नहीं किस दबाव में आ कर कहा था कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे । आज सवा ६ एकड़ की बात को जरा सोच लें । मैं फिर दोहराता हूं कि यह आखिरी कागज नहीं है । आपको इस पर विचार करने का मौका मिलेगा । हां, एक बात जरूर हुई कि ३ १/८ एकड़ के किसानों को स्पष्ट रूप से यह बात मालूम हो गयी कि उन्हें मालगुजारी नहीं देनी पड़ेगी । कितनी बड़ी तादाद है, इनकी संख्या आज १ करोड़ २२ लाख परिवार की इस सूबे में खेती के काम में लगे हुये हैं । यह मैं जमींदारी अबालिशन के आंकड़ों से कह रहा हूं । इस निश्चय से ६७ परसेंट किसान लगान मुक्त हो गये । अगर पूरी मालगुजारी माफ कर दी जाय तो १ करोड़ २२ लाख लोगों को मालगुजरी से मुक्ति मिल जायगी । मगर बात यह है कि किसको पहले स्थान दिया जाय । इसके लिये इस सरकार को और राज्यपाल महोदय को जितनी भी बधाई दी जाय वह थोड़ी है कि ३ १/८ तक की माफी पहले की जो सबसे अधिक निर्धन है । उसके बाद जो कुछ थोड़े से ऊंचे लोग हैं उनसे मालगुजारी लेते रहें । यह मैं नहीं कहता कि अलाभकर खातों से मालगुजारी लेते रहें लेकिन जो बिलकुल नीचे पड़े हुये हैं उनको अधिक जरूरत है विकास के लिये । बहुत से लोग हमारे यहां बैठे हैं जो कहते हैं कि विदेशों से धन मत लो । अगर विदेशों से धन नहीं लेना है तो हमें अपने यहां धन पैदा करना पड़ेगा । अगर ऐसे लोगों से पैदा करना होगा जो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते उन से लेना नहीं है ।

मैं अपने संशोधन देने वाले मित्रों का ध्यान दिलाऊंगा, कुछ लोगों ने कहा है कि २५ हजार रुपये के बिक्री-कर के टर्नओवर वाले लोगों को इस कर से मुक्ति दी जाय । वह उन की मुक्ति चाहते हैं लेकिन अगर उन का यह कहना है तो यह जो ५० एकड़ और १०० एकड़ के किसान हैं उनको मुक्ति क्यों न दी जाय ? बिक्री-कर देने वाले पर तो खेती करने की या किसी और धन्धे को करने की कोई पाबन्दी नहीं है । इस बात का जिक्र केवल इसलिये किया कि जहां कहीं भी हो आपको यह देखना होगा कि गरीब की मदद की जाय लेकिन उसकी मदद के लिये केवल मालगुजारी की माफी नहीं है । १४ जुलाई का भाषण मुझे याद है और उस का एक-एक शब्द याद है, सवाल यह है कि आज प्रदेश में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिये उन को पानी पहुंचायें, उनके लिये खाद का प्रबन्ध करें, उनको बिजली पहुंचायें और इस सब के लिये हमें धन एकत्र करना होगा । मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से कहूंगा कि वह सवा ६ एकड़ तक की माफी की बात करते रहें, हो सकता है कि कोई दिन आये कि वह उस हदतक भी माफी करा लें । उधर वाले कहते हैं कि सवा ६ एकड़ की माफी तो कर दी गई थी परन्तु उसमें थोड़ा भ्रम है । (व्यवधान) हमारा तो इतना बढ़िया काम हो गया कि ३.१२५ एकड़ तक की माफी हो गई और इससे ८३ लाख किसान परिवार राहत की सांस लेंगे । अच्छा हो कि सभी से माल-गुजारी न ली जाय लेकिन धीरे-धीरे उन को ऊपर उठायें जो अपेक्षाकृत निर्धन हैं । और जो थोड़ा और ऊपर हैं उनको भी राहत दी जाय । मैंने कहा कि कुछ और भी कार्यक्रम इसमें आये हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

हमारे माननीय सोशलिस्ट भाइयों के विचार क्या हैं क्योंकि उन्होंने जमीन के बटवारे की चर्चा सीलिंग से निकलने वाली जमीन पर नहीं की बल्कि अपने संशोधन में सार्वजनकि जमीन के बटवारे की चर्चा की है, परती या गैर मजरुआ की लेकिन बड़ी जायदाद किसी के पास हो तो

[श्री गेंदा सिंह]

वह उसके लिये थोड़ा सकुचाते हैं । उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिये । यह जो ३० एकड़ की सीलिंग का प्रस्ताव है उससे भी जो जमीन निकलेगी वह भूमिहीनों को ही जायगी । श्री रामधारी जी इस छोटे से भाषण को दे दें इस में यह है कि वह ३० एकड़ से ऊपर जो भूमि निकलेगी वह भूमिहीन किसानों की ही जायगी । इसमें भी बड़ा बखेड़ा था और एक युद्ध इस सरकार ने लिया है । जिस आवाज को हमारे साथी आज से नहीं, आज से २० साल पहले से उठाते रहें हैं और जो वह चीनी मिल मालिकों से उद्धार चाहते थे उसकी भी राज्यपाल के भाषण में स्पष्ट घोषणा है और इन चीनी मिलों का निजी स्वामित्व समाप्त करने का कदम उठाया गया है । सवा ६ एकड़ न करने पर गुस्सा है उसका वह इजहार करें लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि इस सरकार ने जो यह बड़ा भारी युद्ध लिया है देश के करोड़पतियों से वह सब से पहले केवल इस प्रदेश की सरकार ने मोर्चा लिया है, इसके लिये मैं इस सरकार को धन्यवाद न दूं तो क्या करूं ? किसी सरकार ने देश में आज तक ऐसा कदम नहींउठाया सब से पहले यह कदम इस प्रदेश की इस सरकार ने उठाया है और उसके बाद ही अब बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने भी इस तरह सोचना शुरू किया है । श्रीमन्, इसके लिये तो इनको दाद देनी चाहिए थी ।

जहां तक पास बुकों का प्रश्न है इस सरकार ने उन की कीमत ३ रुपये प्रति के हिसाब से कम करके १ रुपया प्रति पास बुक कर दी है । यह भी इसी सरकार के किया जिसके लिये माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए ।

श्रीमन्, एक और बड़ी भारी बीमारी है कि मुकदमों में बड़ी देरी होती है, इनके लिये गरीब लोगों को तंग होना पड़ता है । इस छोटे से अभिभाषण में इसके बारे में बताया गया है कि एक विधि आयोग का गठन किया जायगा जो न्याय प्रशासन विधियों की जांच करेगा और वर्तमान न्याय प्रशासन व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगा । वह भी माननीय सदस्यों के सामने आयेगा ।

पुलिस के लिए भी एक दूसरे आयोग की नियुक्ति करने का इस सरकार का विचार है । थानों में रिपोर्ट लिखाने में साधारण आदमियों को कठिनाई होती है । मैं तो चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दे सकते हैं तो दें ताकि आगे भी कार्यवाही हो सके ।

पिछड़े हुए लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बरोजगारों के लिए, प्राथमिक शिक्षा आदि सभी चीजों के लिए इस गवर्नर साहब के अभिभाषण में थोड़ा-सा समावेश है । इस छोटे से कागज में सरकार ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि अमुक-अमुक विषयों पर अपना ध्यान देना चाहती है । यहां अभी किसी भाई ने कहा कि पूर्वी जिले पिछड़े हुये हैं, पहाड़ी और बुन्देलखंड क जिल पिछड़े हुये ह । इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पिछड़े हुए इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जायगा और जो लोग बहुत आगे बढ़ गये हैं जिनसे रुकावट है उनको रोकने के प्रयास का भी इसमें जिक्र किया गया है ।

यह जो कार्यक्रम इसमें रखे गये हैं वे ऐसे हैं जिनसे कि यह प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मैं समझता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं वे सभी यह कोशिश करते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े । उनकी विधियों में अन्तर हो सकता है, लेकिन सिद्धान्त में यह सभी मानते हैं कि प्रदेश को आगे बढ़ाया जाय । श्रीमन्, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है । हमें यह जतन करना चाहिये कि जो कमियां रह गयी हैं उनको दूर करने में अगला बजट आने तक हम अपनी बुद्धि को लगावें । सब लोगों की यह इच्छा है कि अगर गांव वालों की जमीन पर पाबन्दी लगायी गयी है तो शहरी सम्पत्ति पर भी पाबन्दी लगायी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि जो लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं और उसकी जानकारी रखते हैं वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सबसे पहले अब शीघ्र ही शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगायी जाय । जब जमींदारी एबालीशन का प्रस्ताव आया था उस समय स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द का एक यह प्रस्ताव भी आया था इसी हाउस में कि पूंजीवाद को भी समाप्त किया जाना चाहिये । समाज के निर्माण के लिये यह बहुत आवश्यक है । उस पर उस समय अमल नहीं किया गया ।

मैं अपना दोष भी उसमें कुछ मानता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि पूंजीवाद का खात्मा किया जाना चाहिये, यह समाज के कल्याण के लिये बहुत जरूरी है। उसके लिये एक प्रशस्त मार्ग है। जो सरकार आज यहां बैठी हुई है वह एक पार्टी की सरकार है। जो भी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी है मैं समझता हूं कि उनका गहरा संबंध बम्बई अधिवेशन से है। (व्यवधान) मुझे आशा है जो काम हम पिछले १५–२० सालों में नहीं कर पाये वे हम साल दो साल में ही कर लेंगे। (व्यवधान)

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को एक मौका दो। किस लिए आप धमकी दे रहे हैं कि हम चले जायेंगे? यह गवर्नमेंट जाने वाली अब नहीं है। एसा नहीं लगता है। जब तक हम रहेंगे जनहित की भावना से यह सरकार काम करेगी और उससे प्रेरित है और कोई उद्देश्य इस सरकार का नहीं है। प्रजातन्त्र में एक अवसर सबको मिलना चाहिए, उससे लाभ उठाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके आप इस राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी बातें कही गयीं हैं, उसी कसौटी पर रखकर हमें देखिये। एक दो साल में हम कर दिखायेंगे और सूबे को आगे ले जायेंगे। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर आप इसका समर्थन कीजिए।

(इस समय १ बजकर ४२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

*श्री दित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, परम्परानुसार किसी भी नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वह कल आपके समक्ष हुआ। यहां पर बड़ी चर्चा हुई–हुआ या नहीं हुआ, इसके सबसे ज्यादा साक्षी तो आप स्वयं हैं कि यहां पर अभिभाषण हुआ या नहीं हुआ। और मैं यह कह दूं कि अभिभाषण होना एक बात है और सुनना बिलकुल दूसरी बात है, तो बिलकुल ठीक होगा। कल मैं इस सन्दर्भ में बीच में ही उठकर निवदन करना चाहता था और मुझे इस बात का दुखः है तथा यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं उन्हें भी इस बात का दुखः हो तो यह हमारे लिये बड़ा कल्याण-कारी होगा। मैं यह देखता हूं कि यह परम्परा सी बनती जा रही है कि जब तक कोई सदस्य खड़े होकर जबरदस्ती अपनी बात न कह ले तब तक उसको इस सदन में अपनी बात कहने का मौका मिलना दुश्वार होता जा रहा है। यह प्रजातन्त्र के लिये, डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यदि यह परम्परा अधिक बढ़ी और हमारे आपस के ताल्लुकात इस तरह के रहे तो शायद इसका परिणाम वह होगा जिसके लिये इतिहास हमारी पीढ़ी को कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारे आपके आपसी मतभेद हो सकते हैं, यह भी सही है कि हम पावर में आने के लिये, शक्ति में आने के लिये आपस में द्वन्द्व भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसका निर्णय हो जाने के बाद हम सबको उसे मानना पड़ेगा। बिना इसके प्रजातन्त्र जो मानव जीवन की सबसे अधिक अच्छी शासन प्रणाली है, सफलता पूर्वक चल नहीं सकती है। उसका विकास उसी में निर्भर है, इसलिये यह आवश्यक ही हो जायगा कि हम ऐसी कोशिश करें कि वह चले। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि हम इस बात पर ध्यान दें कि जब बाहर से कोई महानुभाव आकर हमारे सदन की कार्यवाहियों को देखने की कोशिश करते हैं, तो वह क्या सोचकर और क्या भावना बनाकर जायगा। और हम सब पर इस बात की जिम्मेदारी है। यदि यह धारणा अच्छी बनेगी तो उसका श्रेय हमें मिलेगा और धारणा बुरी बनगी। तो उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा, बदनामी सहन करनी पड़ेगी।

मैं आज के इस विषय में कहना चाहता हूं कि यह जो संसदीय परम्परा है, आरम्भकाल में ही किसी भी नवीन सरकार के गठन के पश्चात् महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जिसका उद्देश्य यह होता है, उसका जो मूलभूत सिद्धान्त है वह यह है कि सदन के माननीय सदस्यों के सामने जारी नीतियां आ जायें जिनके आधार पर नवगठित सरकार इस प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं वह नीतियां जब आ जायं तो उसके बाद इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मौका मिले कि वह उन पर विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायण]

करें और विचार करने के बाद, उन नीतियों को हम किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे जो हम सूत्रमें रख रहे हैं, उनके आगे चल कर क्या डिटेल्स होंगे, सभी सदस्य उस पर सोचें और दूसरे सत्र में जब बैठें तो यह देखें कि जिन नीतियों का यहां वर्णन किया गया है उनके अनुकूल कार्य हो रहा है या नहीं ।

हर अभिभाषण को दो कसौटियों पर हम कस सकते हैं । पहली तो यह कि जो राजनैतिक दल अपनी सरकार बनाये उसके द्वारा प्रस्तुत जो भाषण महामहिम राज्यपाल यहां पर दें उसमें जो नीतियां दी गयी हैं, वे उस दल की नीतियों के अनुकूल हैं या नहीं । आज की यह सरकार दो दलों की बनायी हुई सरकार है। एक भारतीय क्रांति दल और दूसरी कांग्रेस इन दोनों की नीतियां अपनी-अपनी जगह पर इस मानी में स्पष्ट हैं कि उनके अपने घोषणा-पत्र हैं, उनके अपने-अपने विचार लिपिबद्ध हैं । उनको देखते हुए इस भाषण को देखने की कोशिश करेंगे तो माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि बड़ी ईमानदारी के साथ इसमें उनका पालन किया गया है। यह मानी हुई बात है, आज इसमें दो रायें नहीं हैं कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा प्रदेश गरीब है। प्रदेश के रहने वालों की आय में बड़ा अन्तर है । सारी सेवायें इसी ओर अर्पित होनी चाहिये जिससे हमारी गरीबी दूर हो, हमारा पिछड़ापन दूर हो और आय में जो भारी अन्तर होता चला जा रहा है वह कम हो । इसके ऊपर हम आज कोई विशेष विवेचन नहीं कर सकते हैं जो नीतियों के रूप में रखा गया है। जैसा माननीय गेंदा सिंह ने कहा बहुत ही सूक्ष्म भाषण है । ज्यादा अच्छा यह हो कि बात कम कही जाय और काम ज्यादा किया जाय । इसमें वह दिक्षा दी गयी है जिसमें हम काम करने जा रहे हैं । मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं । और वह यह है कि आज तक जितनी भी नयी सरकारें गठित हुई होंगी उनमें से इन २०-२५ दिनों के अन्दर जितने कार्य इस सरकार ने किये हैं, शायद इतिहास में किसी सरकार ने भी नहीं किये।

श्री उपाध्यक्ष--

२०-२५ दिन कैसे हुए ?

श्री उदित नारायण--

मैं गलती के लिए माफी चाहता हूं । आई करेक्ट माई सेल्फ । दस दिन ही हुए हैं। दस दिन में अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो एक दिन एक से ज्यादा का हिसाब पड़ रहा है।

हमने जिन नीतियों का जिक्र किया है और जिस तरह से आगे कार्यान्वित करना है, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह उन पर विचार करें कि वास्तव में जो हमारा अभीष्ट है उसकी ओर हम ले जा रहे हैं या नहीं।

मैं इसी स्थान पर दो तीन बातों को निवेदन कर देना चाहता हूं । माननीय गेंदा सिंह ने आपके सामने सवा तीन एकड़ और सवा छः एकड़ जो लगान की माफी दी गयी है उसका जिक्र किया । मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें दो राय नहीं हैं कि किसानों को किसी हद तक अगर सहूलियत दी जा सकती है लगान माफी की तो जरूर दी जानी चाहिये । जो हमारे विकास के साधन हैं उनके ऊपर अगर असर पड़ता है तो उसको जरूर पूरा किया जाना चाहिये । उस परिधि के अन्दर जितना भी अधिक से अधिक संभव हो सकता है उसको जरूर करें । इसी संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं । अभी सवा तीन एकड़ तक लगान की माफी की गई है। उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। जो माननीय मुख्य मंत्री का भाषण हुआ, इसमें वह बात नहीं है, अखबारों के जरिये से मैंने देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सवा तीन एकड़ तक जो छूट दी गई है वह साढे बारह एकड़ तक लोगों को दी जायगी। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि अगर आप मुनासिब समझें तो जब आगे चलें तो इसका समावेश

हो जाय । बिल के वक्त इसका समावेश हो सकता है । जिनके पास साढ़े बारह एकड़ भूमि है उसको इसकी क्या आवश्यकता है ? कल जब मैं बात कर रहा था तो कई मित्रों ने कहा कि यह बड़ी गलत बात है कि सवा तीन एकड़ तक तो छूट है लेकिन साढे तीन एकड़ पर नहीं है। यह बात समझ में आती है । मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी तरीके से आगे बढें तो क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि हम साढे तीन और साढे बारह एकड़ को घटाकर साढे छै एकड़ कर दें । साढ़े छै एकड़ करके हिसाब लगायें कि इससे हमको अधिक धन प्राप्त हो सकता है या उतने से ही हमको अधिक मिलता है । सवा छै एकड़ वाला हिसाब भी देख लें और यह सवा तीन एकड़ का हिसाब भी देख लें अगर हमको अधिक धन साढ़े छै तक करके मिल सके तो इसका समावेश बिल के समय कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि इस पर मुख्य मंत्री जी विचार करके देखेंगे कि यह कहां तक सम्भव हो सकता है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि जिन बातों को हम कहते हैं उनका निराकरण तभी हो सकता है कि जब हम आगे बढें । यदि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो हमारा कहना यह है कि जो हमारे प्रदेश के रहने वाले लोग हैं उनकी आय का अन्तर मिटे और उसको कम किया जाय । यह सही है। लेकिन यह किस प्रकार से किया जाय ? हमने यह देखा कि पिछले सालों में यह अन्तर बढ़ा है। इसका क्या कारण है ? निश्चय ही आजादी के बाद यह अन्तर बढ़ा है। दस बीस गुना नहीं बल्कि बहुत अधिक गुना यह अन्तर बढ़ा है। यह हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जिस पूंजीपति की सम्पत्ति ४ करोड़ थी आज उसकी सम्पत्ति ४० करोड़ हो गई है। यह अन्तर जो बढ़ा है वह बराबर ही बढता गया है और बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। उस समय जो नीचे के स्तर का आदमी है, साधारण व्यक्ति है उसकी आय में और पूंजीपति की आय में बहुत अन्तर हुआ है। जब हम पूंजीपति या उद्योगपति की आय को देखते हैं तो बहुत बड़ा अन्तर पाते हैं । उसके उद्योग बढ़ते चले जाते हैं और साथ ही उसकी आय भी बढ़ती चली जाती है। नीचे आय वाले लोगों की भी कुछ आय बढ़ी है लेकिन वह उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिये थी । यह दोनों के बीच का अन्तर और भी बढ़ता चला जाता है । यह मानी हुई बात है कि यह जो अन्तर बढ़ा है यह उद्योगपति और पूंजीपतियों के कारण अधिक बढ़ा है और जो लोग हमारे यहां मिलें चलाते हैं उनकी वजह से बढ़ा है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जो यह अन्तर है उसको मिटाना होगा । मुझे खुशी है कि इस ओर कुछ कदम उठाया गया है। यह तभी कम होगा कि जब हम वास्तव में बड़े-बड़े लोगों की जो आमदनी है उसको कम करें और उसको बढ़ने न दें । उसका एक मात्र उपाय यही है कि हम कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें । हमारी मयी सरकार ने इसका शुभारम्भ शकर के उद्योग से किया है, इसके लिये वह बधाई की पात्र हैं। अगर आप गहराई से देखें तो दोनों दलों की नीतियां जो हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है (व्यवधान) हमारी यह घोषित नीति है कि उद्योग धंधे जितने हों वे लघु हों और वही बड़े उद्योग धंधे हों जो लघु पैमाने पर चलाये नहीं जा सकते । आज चीनी का सवाल है तो कल कपड़े का सवाल आना चाहिये । धीरे-धीरे इन सब उद्योगों को गरीब और छोटे आदमियों को सौंप देना है जो लघु उद्योगों पर निर्भर करते हैं और मेरा विश्वास है आप सभी इससे सहमत होंगे ।

उर्वरकों पर जो तीन प्रतिशत सेल्स टैक्स कम किया गया है, इसके लिए भी हमारी नई सरकार बधाई की पात्र है। बहुत बड़ी सहूलियत किसानों को दी गयी है। दो तीन समस्यायें और हैं अगर उनकी तरफ भी ध्यान दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता और उनका समावेश भी राज्यपाल के सम्बोधन में होना आवश्यक था । सिंचाई की जो दर है उसमें इतना ज्यादा अन्तर है जिसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। कुछ लोगों को उतनी सहूलियत विकास करने में नहीं मिलती जितनी दूसरों को मिलती है ।

कशर्स लगाने की बात भी न जाने कितनें अर्से से कही जा रही थी । गन्ना उत्पादकों के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि अगर वह खुद अपना गन्ना पेरना चाहता है तो नहीं पेर सकता

[श्री उदित नारायण]

और इस तरह से वह अधिक से अधिक लाभ नहीं उठा सकता। लेकिन अब जो निर्णय लिया गया है उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और उनको राहत मिलेगी ।

एक प्रशंसा का कार्य यह किया है कि ट्रांसपोर्ट कमेटियों को समाप्त कर दिया गया है। इससे बहुत कल्याण का कार्य हुआ है। इसमें बड़ा ही राजनीतिक भ्रष्टाचार घुसा हुआ था। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पर मुख्य मंत्री जी गौर करेंगे कि इन कमेटियों के जरिये से जितने काम हुए हैं वे चलते रहेंगे या वे समाप्त किये जायेंगे। अगर उनके काम समाप्त नहीं हुए तो फिर लाभ क्या होगा ? आप देखेंगे कि जो नेशनलाइज्ड रूट्स थे उन पर भी इन कमेटीज ने प्राइवेट कारों के चलने की इजाजत दे दी थी जिसके कारण प्राइवेट कारों के चलने से रोडवेज कभी पनप नहीं सकती। इतना बड़ा घाटा आयेगा जिसको मैं सोच नहीं सकता हूं। जब इन बातों को आप लाना चाहते हैं तो जो ये कारण हैं इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये और इन कारणों का निराकरण होना चाहिये।

श्रीमन् ने लाल बत्ती दिखा दी इसलिये मैं इन शब्दों के साथ जो माननीय गेंदा सिंह जी ने धन्यबाद का प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि यह हम लोगों के वैमनस्य का विषय न बन कर चर्चा का विषय बने तो हमारे लिये कल्याणकारी होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें अब संशोधन है। (माननीय नेता विरोधी दल को पुकारने पर)

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

इसको माननीय अनन्तराम जायसवाल प्रस्तुत करते हुए अपने विचार रखेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं पूरे विपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि इस संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का उन्होंने मुझे अवसर दिया है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप मुझे यह बता दें कि कितना समय आप मुझे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

२५ मिनट ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, पिछली दफा का उदाहरण है जब नेता सदन विरोधी दल के नेता थे तो उनको ५ घंटे का समय दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

२५ मिनट निर्धारित हैं । बाद में देखा जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इधर जो हलचलें हुई हैं तथा जो राजनीतिक चर्चायें हुई हैं उनके ऊपर भी सोचना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष

आप अपना संशोधन रख दीजिय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप समय तो दें । शायद आज हम खत्म नहीं कर पायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने २५ मिनट दिये हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इतना समय तो श्री गणेश में ही खत्म हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इतना समय निर्धारित है। आप संशोधन रखिये । बाद में देखा जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, विरोधी दल की तरफ से जो मूल संशोधन है वह यह है कि सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सवा छै एकड़ की बिना बचत की जोतों पर लगान खत्म करने का उल्लेख नहीं किया । इस संशोधन को मैं विधिवत् आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आपका संशोधन है उसको पढ़ लें क्योंकि उसमें अध्यादेश का सवाल है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सवा छः एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से मालगुजारी खत्म करने के अध्यादेश को तुरन्त अधिनियम बनाने का उल्लेख नहीं किया ।"

(अन्य मा० सदस्यों के संशोधन जो उपस्थित किये हुए माने गये के लिये देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १९४ पर)

इस संशोधन के प्रस्तावक के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । पुराने समाजवादी हैं । लेकिन उन्होंने समाजवाद को वहीं पाया जहां सत्ता और सुविधा ज्यादा दिखाई दी । सत्ता और सुविधा से युक्त समाजवाद की हमेशा वे तलाश में रहे । और आज भी जहां ज्यादा सत्ता और सुविधा वे देखते हैं, वहीं बैठे हुए हैं, इसलिये उनके बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा । इस प्रस्ताव के समर्थक जी ने आज जो राजनीति जिस तरह से चल रही है, उसके ऊपर अपना हार्दिक दुख प्रकट किया । वह बधाई के पात्र हैं। सवा छै एकड़ और ३.१२५ एकड़ का जो मुद्दा है, उसके बारे में जो राय उन्होंने जाहिर की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । इसके पीछे पिछले ४०-५० साल का सोच विचार है और उसके बाद जो उसको ठोस रूप मिला, वह यह था कि छोटे किसानों की जो बिना बचत की जोतें हैं, उनका लगान माफ किया जाय। जो सरकार और किसान के बीच में बिचौलिया हैं, उनको खत्म किया जाय । कृषि उत्पादन की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य और कारखानों की वस्तुओं के मूल्य में संतुलन स्थापित किया जाय । देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे उद्योगों के आधार पर औद्योगीकरण को बल दिया जाय । यह हमारे पिछले ४०-५० साल के सोच विचार का निष्कर्ष है । अब यह सवा छै एकड़ की बात

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

क्यों आयी, उसके बारे में प्रसंग के तौर पर मैं कह देना चाहता हूं । आपको याद होगा १९ दिसम्बर, २७ को काकोरी केस में श्री राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रौशन सिंह, राजेन्द्र लहरी और श्री अशफाक उल्लह खां को जब फांसी मिली तो फांसी के तख्ते पर जाने से पहले उन लोगों ने अपने दल के साथियों और अपने घर वालों को कुछ चिट्ठियां भेजीं । उन चिट्ठियों में जिक्र किया गया था कि हमारा देश बहुत उदासीन है। हम मादरे वतन की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिये लड़ रहे थे । हमारे देश ने हमारा साथ नहीं दिया । जिस प्रकार से अंग्रेज हमको कातिल और लुटेरा कहते थे, उसी प्रकार से हमारे देशवासियों ने हमको कातिल और लुटेरा कहा । खाली यही नहीं, बल्कि हमारे खिलाफ गवाही भी दी । इस प्रकार की भावनायें उन्होंने फांसी पर जाने से पहले प्रकट कीं । इस चीज को सरदार भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद आदि ने बाहर नहीं फैलाया किन्तु देश में गरमी पैदा करने के लिये सरदार भगतसिंह जी ने एक योजना बनायी। वह योजना यह थी कि सेंट्रल असेम्बली पर बम फेंका जाय, अपने को गिरफ्तार कराया जाय । शायद लोग उनके बारे में यह समझते होंगे कि इत्तफाक से उनको पकड़ लिया गया। यह बात नहीं थी। उन्होंने तो इस प्रकार की योजना ही बनायी थी कि सेंट्रल असेम्बली पर बम फेंका जाय, अपने को गिरफ्तार कराया जाय और फांसी पर लटक जाया जाय ताकि उनके इस प्रकार खून देने से देश में गरमी आ जाय । लेकिन उनके खून से देश में गरमी नहीं आयी । भले ही बड़े-बड़े शहरों में शोक प्रस्ताव पास हो गये हों । खून करने वालों के प्रति निन्दा के प्रस्ताव पास हो गये हों लेकिन देश में गरमी नहीं आ पायी । यह काम जो उनके बलिदान से पूरा नहीं हो पाया था वह गांधी जी की अगुआई ने पूरा किया । गांधी जी ने क्या किया ? जहां वे एक ओर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वहां वह कुछ ऐसा कार्यक्रम भी चला रहे थे जिससे देश में कुछ गरमी आ जाय ।

गांधी जी ने इसमें नये नये कार्यक्रम जोड़ दिये । उन्होंने कहा कि छोटी मशीनरी के आधार पर इस देश के उद्योगीकरण को किया जाय । उस समय यहां पर जमींदारी प्रथा का बोलबाला था और लोगों को मालूम हुआ कि अगर गांधी जी का राज आ जावेगा तो यह चली जावेगी तो लोगों को इससे उत्साह मिला और लोगों में आशा का संचार हुआ । इस कारण जो आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते थे उन्होंने भी हिस्सा लेना शुरू किया । हमारे किसान, विद्यार्थी और जो छोटे-छोटे लोग मजदूर आदि थे उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया । पिछले डेढ़ हजार साल का इतिहास साक्षी है कि हमारी जनता हमेशा उदास रही और हमारे शासक लोग चालाक और धूर्त थे । देश पर जब भी हमले हुए हम कभी नहीं जीते । हमेशा हार हुई । यह पहला मौका था कि गांधी जी के आन्दोलन में साधारण जनता ने भाग लिया। इसका यह नतीजा निकला कि अंग्रेजी शासन खतम हो गया। रजवाड़े और जमींदारी टूट गई ।

उसके बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस आजादी को गांधी जी ने छोटे-छोट लोगों तक पहुंचाना चाहा था उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। उसी के कारण डा० लोहिया ने लड़ाई छेड़ी थी और इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया। डा० लोहिया में चिन्तन था और ६ १/४ एकड़ तक लगान माफी की बात उन्होंने की थी । यह काम पूरा नहीं हो रहा है। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी पार्टी संसोपा को अन्य दलों से तालमेल करने की आज्ञा दी थी । उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि यह मामला शुद्ध अवसरवाद का है कि संसोपा, जनसंघ, कम्युनिस्ट और स्वतंत्र पार्टी से तालमेल बिठा रही है । कांग्रेस के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ था और दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद रवयत की आधुनिकता की जो लहर आई उसमें साधनों को भी लुटा दिया गया। पुरखों की कमाई भी खतम कर दी गई आधुनिकता के नाम पर । उत्पादन यदि आधुनिकता के नाम पर बढ़ा होता तो शायद यह दशा नहीं होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां तो खपत ही बढ़ती चली गयी । यूरोप का मुकाबला किया गया जहां पर कि रहन-सहन हमसे बहुत आगे था। वहां का उत्पादन हमारे यहां से बहुत आगे था और वहां का आदमी अच्छा खा पी रहा था।

अमरीका में प्रति व्यक्ति कम से कम एक गिलास सन्तरे या मुसम्मी का रस आध सेर दूध लेता है इसके साथ ही करीब हर डेढ़ आदमी पर एक मोटर कार भी उसको मिली हुई है। हर घर में रेडियो तथा टेलीविजन की भी सुविधा है। आज चन्द्रमा पर भी उनके आदमी उतर गये हैं। परन्तु हमारा यह ख्याल है कि उत्पादन के क्षेत्र में हमारे तरीके प्रायः वहीं के वहीं हैं जहां पर आज से २, ३, ४ अथवा ५ हजार साल पहले थे। हमने अपने उत्पादन को सुधारने की कोई चेष्टा नहीं की। हमने नकल की यूरोप की परन्तु केवल खपत की नकल की। हमने दिल्ली को सजाया, संवारा। हमारे देश के जो विश्वयार गोरे देशों को आये उन्होंने यहां आ कर उसकी रवायत की नकल की। दिल्ली को लंदन और वाशिंगटन बनाने का खवाब देखा। इसको सजाने के लिये अरबों रुपये व्यय कर दिया गया। लखनऊ में जब तक अंग्रेज रहे उन्होंने सड़कों के किनारे गमले नहीं लगवाये। विदेशी नगरों की नकल हमने लखनऊ में भी करने की चेष्टा की और इसको रोम जैसा बनाने का ख्याब देखा। ऐसा करने से हमारे देश की प्रगति का नक्शा हमारे समक्ष नहीं आता है वरन् यह तो हमारी दृष्टि का दोष है। दिल्ली के हुस्न को देख कर खुशी होती है। यूरोप की राजधानियों का दृश्य हमको यहां पर भी दिखाई देता है परन्तु हिन्दुस्तान का जो गरीब आदमी है जो देहातों में अपनी पोवालों या झोपड़ी में रहता है क्या हमने उसका भी विचार किया। क्या यहां पर कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं जो ऐसी चीजों का आविष्कार करे कि जिसका निर्माण करके अपने देहात के लोगों को भी सुख और सुविधायें रहने की प्रदान की जा सकें। हमारे देहातों में हमारे देश-वासी ऐसे हैं जो जानवरों के साथ एक ही स्थानों पर रहते हैं और उनके रहने के लिये कोई और स्थान नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमने हिन्दुतान की तरक्की कर ली है, क्या यही तरक्की है ?

यूरोप में जो बालकों को शिक्षा दी जाती है उसको भी आप देखें। वहां पर रानी का बच्चा हो या मेहतरानी का बच्चा हो उसको एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है जहां पर रेडियो भी है, टेलीविजन भी है और उनको हर आधुनिक सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये ऐसी कुर्सियां हैं जिनको देख कर हमारा मन भी यह होता है कि हिन्दुस्तान में शिक्षा संस्थाओं में इसी प्रकार की सुविधायें हम बच्चों को प्रदान करवायें। हमने यूरोप में यहां आकर यहां पर इस प्रकार की कुछ शिक्षा संस्थायें खोल दीं। हम इस प्रकार की शिक्षा संस्थायें यहां पर भी क्यों न खोलें जैसी कि यूरोप में हैं इसलिये उनकी नकल करके हमने ऊटी तथ देहरादून आदि स्थानों में इसको खोल दिया। क्या इस प्रकार से यूरोप की नकल हम हिन्दुस्तान में करने योग्य हैं ? इनमें हमारे यहां के ऊंचे तबके के तथा आफिसरों के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं परन्तु हमारे साधारण नागरिकों के बच्चे वहां तक फटक भी नहीं सकते। क्या इससे हम यह समझें कि हम अपने देश की प्रगति कर रहे हैं ? यूरोप में चाहे बस सर्विस हो या रेलवेज हों उसमें एयर कन्डीशन्स डिब्बे हैं। हमने उनकी नकल यहां पर भी की। परन्तु हमने अपने यहां के तीसरे दर्जे की डिब्बे की गंदगी और भीड़ की तरफ नजर नहीं डाली। कितना धन उनको बनाने में व्यय हुआ और उससे यहां की साधारण जनता को कितना लाभ मिल सकता था क्या हमने इस तरफ विचार किया ? मामूली आदमी जिस प्रकार सफर करता है उसको हमको देखना चाहिये। ऐसा न करके भी हमको खुशी होती है कि हमने यूरोप जैसी रेलगाड़ी अपने यहां चला दी। जो पैसा सारे देश में खर्चा होना चाहिये था वह आपने दिल्ली या लखनऊ ही में खर्च कर डाला है और खर्च करते चले जा रहे हैं।

हमने कृषि की दिशा में तथा उद्योगीकरण की दिशा में कितना प्रयास किया है। देश में जो उत्पादन इस धन को बचा कर किया जा सकता था वह अवरुद्ध हो गया। इससे हमको कितना लाभ मिल सकता है। उद्योगीकरण देश का हो नहीं पाया बल्कि हम और पिछड़ गये। आज हम खाने के लिये मोहताज हैं और बाहर से, रूस से, अमरीका से, अनाज मंगवा रहे हैं। वही नीति आज चल रही है, मान्यवर। उस नीति के चलते हुए तरफ चौधरी साहब दुहाई देते हैं कि खाद दे देंगे, बीज दे देंगे और पानी दे देंगे और यह भी कि किसान लगान की माफी चाहता ही कहां है। यहां की और जो दूसरी दिल्ली की गद्दी है अपनी हैसियत को जांचे। इन्होंने जो नीति चलायी है अपने देश में उससे पूंजीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी नीति है ऐश करने की, ठाठ करने की। लोगों के सामने जो तस्वीर है वह विलासिता की, भूख की है। आप देखें उस

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

नीति का क्या परिणाम हो रहा है ? अपने देश में पूंजीकरण भी असम्भव है। मैं आप से पूरी सफाई और पूरे जोर के साथ पूछना चाहता हूं कि आप के पास वे कौन से साधन हैं जो किसान को पूरा पानी दे सकेंगे और पूरी खाद दे सकेंगे ? वे कौन से साधन हैं जो किसान को पूरी सुविधा और राहत दे सकते हैं ? हिन्दुस्तान को जो अर्थ व्यवस्था है उसके आधार पर कह सकते हैं कि ऐसा होना असम्भव है। यह कतई नहीं हो सकता है । जि गति से प्रगति हो रही है उससे सब प्रकार की राहत किसान को नहीं हो सकती है। आपने विना बचत की ६ १/४ एड़ तक की जोतों का लगान भी नहीं माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसान को उचित मात्रा में पानी मिल रहा है ?

हमारे पास में श्री नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं। बड़े पुराने समाजवादी हैं और वे सत्ता एवं सुविधा सूंघ कर समाजवाद तक पहुंचते हैं। मान्यवर, सुगन्ध से पहुंचने से काम नहीं चलेगा।

(हंसी)

मान्यवर, जब अंग्रेज यहां से गया था तब कितनी सिंचाई हो रही थी और आजादी के २२ साल बाद कितनी सिंचाई बढ़ गयी है ? जिस रफ्तार से सिंचाई बढ़ रही है वह अपर्याप्त है और पूरी सिंचाई उपलब्ध कराने में कम से कम १५०–२०० वर्ष लगेंगे। इतने समय के बाद ही उस पूरी खेती के लिये पानी दे पावेंगे। इसी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें वहां पर भी कम से कम १००–१५० साल लगेंगे और तभी सब लोगों को शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। आप कहते हैं कि इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हमारी सिंचाई बढ़ी है। आप हिसाब लगा लें कि जिस रफ्तार से आप सिंचाई बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से निश्चित रूप से १०० साल से कम नहीं लगेगा। क्या १०० साल तक हमारा देश रुका रहेगा ? क्या वे लोग जो चांद पर पहुंच रहे हैं वे हमारा इंतजार करेंगे ? १०० वर्ष पश्चात् हमारी क्या हालत होगी इस बदलती हुई दुनिया के सामने। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस नीति पर दिल्ली की गद्दी और उसकी लखनऊ की सहायक गद्दी चल रही है उससे हमारा देश अजायबघर बनने वाला है। इस नीति पर चल कर हमारा देश गरीब होगा और इस देश में भुखमरी होगी। जिस रफ्तार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से ४० साल बाद अपने देश और प्रदेश की आबादी ३ गुना हो जायेगी। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार उत्पादन में प्रगति नहीं हो रही है। इसका क्या नतीजा होगा ? इसका नतीजा होगा भुखमरी और नंगापन और इसके साथ ही साथ हमारा चारित्रिक पतन होगा। कुछ समय पश्चात् दुनिया के लोग भरे पूरे हो जायेंगे। गोरों की दुनियां हमारे नंगेपन को देख कर क्या कहेगी। उनके बच्चे पूछेंगे गरीबी क्या होती है। उनके माता पिता उनसे कहेंगे कि चलो हिन्दुस्तान में—वहां हम तुम्हें गरीबी दिखायेंगे। श्रीमन्, किस पतन की ओर दिल्ली व लखनऊ की गद्दियां इस देश को ही लिए जा रही हैं। यह देश सिवाय अजायबघर बनने के और कुछ नहीं बन सकता है। श्रीमन्, मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज तक आप किसान से लगान लेते चले आ रहे हैं आपने कितनी मात्रा में उसको सिंचाई की सुविधा पहुंचायी है ? आपने उनको कितनी और सुविधाएं दी हैं ? आप के पास कौन सी निश्चित नीति है जो किसानों को पानी और खाद की पूरी सुविधा दिला सके ? जो योजना बनानेवाले हैं वे जानते होंगे कि हमारी प्रगति कितनी मन्द है। आज अहम सवाल है गरीबी और उदासी का। अगर इसको समय रहते नहीं किया गया तो इसका भयंकर परिणाम होगा कि आजादी भी चली जायेगी। आपको यह करना चाहिए था कि आप कम से कम एक दिशा में एक निश्चित काम को पूरा हो जाने देते ४ साल, ५ साल या ७ साल की हम ऐसी योजनायें कि कम से कम खेती के क्षेत्र में तो पूरी प्रगति कर सकें। आप एक क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास के साथ चौतरफा विकास की योजना को लेकर चलें, तब तो ठीक रहेगा। आपको यही करना चाहिए।

लेकिन क्या आप के पास कोई योजना है कि दो, चार, छः, आठ, दस साल में खेत को पानी दे पायेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है। अगर

मान्यवर, सरकार का यही तरीका रहा कि पोल से काम चलाया जाय तो इस देश का भला नहीं होगा। हमारे देश की जनता अशिक्षित है, बगैर पढ़ी लिखी है। यहां पर अज्ञान हैं। लोग समझ नहीं पाते और इनके शब्द जाल में, भूलभुलैया में फंस जाते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। ये कहते हैं कि इनको पानी मिलेगा, खाद मिलेगी लेकिन जो रास्ता इनका है उससे सौ साल तक न पानी मिलेगा और न खाद मिलेगी। परिणामस्वरूप हमारा उत्पादन वहीं का वहीं रह जायगा, जहां है।

यहां पर विदेशी आते हैं। अमेरिका, यूरोप के लोग आते हैं। वे कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरी यह चेतावनी है कि वे लोग हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। चाहे रूस हो, या अमेरिका हो, वे हमारे देश को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। अभी अभी हमारे एक दोस्त आये जिनका जिक्र गवर्नर के अभिभाषण में है। वे दोस्त थ खान अब्दुल गफ्फार खां। वह क्या कह रहे हैं जो कि यहां वर्षों आजादी की लड़ाई के सिपाही रहें और गांधी जी के साथी रहे। उन्होंने कहा कि जिस हालत में हम अपने वतन को छोड़ कर गये थे उसी हालत में आज भी हैं। आज भी हम सारी दुनिया से अपने पेट को भरने के लिये भीख मांग रहे हैं। वह आपके दोस्त हैं। वह चाहते हैं कि आज भी आप संभलें। लेकिन यहां के शासकों ने कभी अच्छे आदमी की बात नहीं मानी। आप सत्ता में, भोग विलास में इतना डूब चुके हैं कि उभारा नहीं जा सकता, खत्म ही किया जा सकता है।

यह मामला है खेती का। मान्यवर, इन्होंने सवा छः एकड़ की बात नहीं कही है। ये ३ १/८ एकड़ की छूट साढ़े बारह एकड़ तक के किसानों को देंगे। इसके पीछे कौन सा दर्शन है जो आप का पुराना राष्ट्रीय आंदोलन कह रहा है, वह कह रहा है कि बिना बचत की जोत से लगान माफ कर दो। जो छोटे किसान हैं उन्हें सुविधा दो। जो भी मैटिरियल आपके पास उपलब्ध है उसने कहा गया है कि जब तक दूसरी जांच समिति या आयोग बैठकर यह न कहे कि सवा छः एकड़ तक की जोत अब अलाभकर जोत नहीं है तब तक सवा छः एकड़ तक की जोत अलाभकर है। मान्यवर, जिनके हाथों में गद्दी है, जो इस सरकार का मुखिया है, वह कितना तंगदिल है कि कहते हैं कि सवा छः एकड़ की जोत पर लगान माफ कर दिया तो उससे खाली पूर्वी जिलों को लाभ पहुंचेगा, पश्चिमी जिलों को नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रदेश का मुखिया इस तरह से सोचेगा तो क्या हमारा प्रदेश बढ़ पायेगा?

कई आवाजें—

यह आप ने कहां से सुन लिया?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह नोट करके उनसे पूछ लीजियेगा। मान्यवर, इनके विभाग में यह रहता है कि पूर्व के किसान छूट पा जायेंगे। लेकिन यह भूल जाते हैं कि पूरब के जिले आबादी के घनत्व में सब से ज्यादा हैं। वहां पर दूसरे उद्योग धंधे नहीं हैं इसलिये सारा दबाव जमीन पर है। वहां छोटे-छोटे टुकड़ों के काश्तकार हैं जिनके पास न बैल हैं न बीज। अगर किसी के पास एक बैल है तो दूसरे का बैल मांगकर काम चलाते हैं। सिंचाई वगैरह के लिये जो सहूलियत देते हैं यह योजना कमीशन ने माना है—दिसम्बर में "स्वतंत्र भारत" में योजना कमीशन की रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि जमीन सुधार की जो सुविधायें मिली हैं वह ५ एकड़ से कम वाले किसानों को मिली ही नहीं। तो अगर पूरे प्रदेश का किसान राहत पा जाता है तो क्या नुकसान था? कहां गया आपका वह हठ जब आप कहते थे कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिये आमदनी के किसी मद को हमें नहीं छोड़ना चाहिये? तो फिर आप ने यह क्यों कर दिया? जो संसोपा की मांग हैं उसके सामने आपको नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि पंडित कमलापति जी की अध्यक्षता में मुजफ्फरनगर में अलाभकर जोतों से लगान माफ करने का प्रस्ताव पास हुआ था। जिस आदमी के सामने येन केन प्रकारेण केवल कुर्सी ही हो वह लगान माफ ही क्या कुछ भी कर सकता है। ऐसा कर के चौधरी साहब ने खुद अपने को फंसाया है। मैं

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

कहना चाहता हूं कि आपने साढ़े १२ एकड़ तक के लोगों को लगान में छूट दे कर सवा ६ एकड़ तक के किसानों का हक मारा है। (लाल बत्ती होने पर) मैं, श्रीमन्, आप से पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि बहुत बोलना है। चौधरी साहब का समय, माधव बाबू का समय, हमारा समय, सब मिला कर हम को समय दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

ठीक है, हमारा समय इनको दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि गवर्नर साहब का अभिभाषण केवल नीति से संबंधित है। इसके बाद फिर बजट पर बोलने का अवसर आयेगा। तो विरोधी पक्ष को अपनी बात जिस सफाई, स्वच्छता और स्वतंत्रतापूर्वक करनी चहिये वह हक तो आप को मिलेगा ही लेकिन ऐसा न हो कि वही चीज अभी आप कहें और फिर बजट आये तो फिर वही कहना पड़े। इस लिये अपने दिमाग में इस बात को आप सब सोच लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह मेरी बदनसीबी है कि आज आप को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात आप न कहें। आपकी क्या बात अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी यह कह कर आप मुझे इधर और उधर के बीच में न घसीटें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पुनरावृत्ति करने की मेरी आदत नहीं है। जो विषय है उससे अच्छी तरह परिचित होते हुये मैं सुसंगत बात कर रहा हूं लेकिन आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके ये शब्द अकारण हैं। मुझे आप की अच्छी भी लग सकती है और नहीं भी अच्छी लग सकती है। जो बात आप कह रहे हैं उस सम्बन्ध में मैं अपनी जानकारी को किसी से कम नहीं समझता। लेकिन सवाल मेरा नहीं है। सवाल यह है कि जब आप अपने दल और दूसरे दलों के विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, शासन का काम है उस को सहना लेकिन जब समय सब दे रहे हैं और कोई एतराज नहीं है और प्रतिपक्ष सारा समय दे देगा तो ठीक है आप ही बोलते रहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह कह रहा था कि यह गरीब किसानों का हक काटना कहां का औचित्य और समाजवाद है? मुझे तो शंका होती है कि चौधरी साहब अपनी सुविधा के अनुसार जबान बदलने के आदी हैं। उनका एक नमूना मैं पेश करूं, इसी विधान सभा में उन की वाणी जो प्रोसीडिंग्स में है वह मैं पढ़े देता हूं। २७ जून, सन् १९६७ को जब कि चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे और मैं भी उनकी सरकार में था तो वह फरमाते हैं कि "मेरा और मेरे साथियों का विश्वास है कि लैंड रेवेन्यू एक रिग्रेसिव टैक्स है, बैकवर्ड लुकिंग। प्रोग्रेसिव टैक्स वह होता है कि जैसे-जैसे लोगों की आमदनी या उनकी प्रापर्टी बढ़ती जाय तो वैसे ही टैक्स का इंसीडेंस भी बढ़ता जाय। लेकिन मालगुजारी में यह बात नहीं है। किसी आदमी के पास कितनी जमीन है, उस के हिसाब से मालगुजारी का रेट नहीं घटता-बढ़ता है। वह जमीन खेत विशेष के ऊपर होती है चाहे वह गरीब आदमी के पास हो या करोड़पति के पास हो। इसलिये अर्थ-शास्त्रियों की राय यह है कि मालगुजारी किसी विकासशील देश में नहीं रहनी चाहिये।" उन्होंने बताया कि और देशों में भी मालगु-

जारी नहीं है और आगे उनका कहना था कि "इस गवर्नमेन्ट का निश्चय यह है कि इस टक्स को खत्म करें।" इस तरह की उनकी उस वक्त राय थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त उन्होंने किस दबाव में आ कर यह बातें तय की थीं और सदन में यह एलान किया था?

इसके साथ ही दूसरी तरफ उनके उस समय के राजस्व मंत्री जो आज धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थक हैं उनका कहना था कि हमने सवा छः एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों को छूट दी है और उसमें केवल एक शर्त लगाई है कि २ रुपए तक जिन जमीनों का लगान है उस पर कोई छूट नहीं है, इसके ऊपर जो लगान है सवा ६ एकड़ तक की खातों का उसमें आधी छूट होगी।

आप इस पुराने इतिहास को देखें कि एक तरफ तो मुख्य मन्त्री जी कहते थे कि यह लैंड रेवेन्यू एक रिग्रेसिव टैक्स है, और वह विकासशील देशों में नहीं होना चाहिये और कर आय पर होना चाहिये, साधन पर नहीं होना चाहिये और यह भी तस्लीमशुदा वाकया है कि जब माल मंत्री जी खड़े हुये तो उन्होंने कहा था कि सवा ६ एकड़ की माफी किस्तों में करेंगे और पहली किस्त में आधा माफ करेंगे लेकिन उसमें भी २ रुपये तक का लगान माफ नहीं करेंगे। उस वक्त डाक्टर लोहिया जिन्दा थे और जब इस तरह से बजट में तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर का भाषण हुआ तो उन्होंने कहा था कि चूंकि यह बात सिद्धान्त रूप में नहीं मानी गई कि जिन जोतों से लाभ नहीं है उन पर कर नहीं लगना चाहिये। अगर २ रुपया लगान तक की जोतों वाले छोटे किसानों का २ रुपया माफ करते और ६ १/४ एकड़ वालों का आधी माफी करते तो हम उनकी सरकार को चलने देते और उस सरकार को शायद बरदाश्त कर लेते। वह अगर हमारी बात मान लेते कि अलाभकर जोतों पर लगान नहीं लगेगा तो किसी हद तक समझौता हो सकता था। लेकिन चूंकि इसको सिद्धांत रूप में भी नहीं माना। इसलिये हमारे मंत्री इस सरकार से हटे। खुद उन्होंने टेलीफोन पर मजमून बोला था और हमारे पांच मंत्रियों ने यहां १६ जुलाई, १९६७ को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर चौधरी साहब ने लिखित रूप में डाक्टर लोहिया से कहा कि अगस्त तक हम इसे कर देंगे। उसके बाद, श्रीमन्, आप सारा वाकया जानते हैं कि समय कैसे बीता और ६ महीने की जो मुद्दत लगायी थी, वह भी बीत गयी। तब डाक्टर लोहिया ने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके पहले भी जब यहां पर यह सिद्धांत रूप में नहीं माना कि ६ १/४ एकड़ की जोत पर लगान माफ करेंगे तो डाक्टर साहब ने उस समय कहा था कि अगर कटौती का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी आता है तो हमारे लोग इसके लिए भी वोट करेंगें। तो उस लालच में फंसकर सवा ६ एकड़ की कटौती का प्रस्ताव दिया लेकिन उसके बाद क्या हुआ। डाक्टर लोहिया का जिन परिस्थितियों में निधन हुआ, बिस्तरे पर पड़े-पड़े जो वे कहते थे, वह आपसे छिपा नहीं है। डाक्टर लोहिया जैसे नेता सन् १९४२ के आन्दोलन के सेनानी और अगुआ, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया (भारत छोड़ो) का नारा दिया, तो वे ही शायद भारतवर्ष में अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने उस नारे को अपनाया था। उस समय जितने कांग्रेसी नेता थे, वे या तो सब गिरफतार हो गये थे या टेलीफोन करके गिरफतार हुए थे लेकिन डाक्टर लोहिया ने क्या किया? वे बम्बई से रूपोश होकर हवाई जहाज से कलकत्ता चले गये। और उनको बीजू पटनायक चोरी से उड़ाकर वहां ले गये। उस अकेले काम के लिए बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्य मंत्री हुए। फिर कलकत्ते में रह कर डाक्टर लोहिया ने उस आन्दोलन का संचालन किया और जब कलकत्ते में उनका रहना दूभर हो जाता था तो फिर बम्बई में आ जाते थे और फिर बम्बई से चले जाते थे। उन्होंने "डू आर डाई" नाम की पत्रिका और रेडियो का प्रयोग किया। उसके बाद १९४४ में पहुंचते-पहुंचते जब उनका आजाद रहना मुश्किल हो गया तब वे नेपाल गये। वहां के शासन ने भारत में ब्रिटिश सरकार को खुश करने के लिए गिरफतार करके डा० लोहिया को जेल भेज दिया। फिर वे जेल तोड़ कर बम्बई आये। बम्बई में वे मई, १९४४ में गिरफतार हो गये। डाक्टर में लोहिया की इस गिरफतारी के बाद उन्हें लाहौर जेल में १० दिन और रात पलक तक न मारने दिया गया। वे जानते थे कि जनशक्ति का क्या अर्थ होता है। वे क्या जान सकते हैं जो न जेलखाने में गये और न ही जिन्होंने गांधी जी को जाना। वे लोग (श्री चरण सिंह जी) अब कहते हैं कि स्वतंत्रता में सविनय अवज्ञा, धरना आदि की कोई आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, क्या आज अन्याय मिटा है, क्या आज गरीब और अमीर का अन्तर मिटा है? अगर नहीं मिटा है तो यह कैसे कहा जाता है कि आमरण अन्शन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन,

[श्री अनन्तराम जावसवाल]

और धरना आदि की जरूरत नहीं ? क्या आप चाहते हैं कि उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह हो ? अगर उन चीजों पर आप पाबन्दी लगाते हो तो उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा। गांधी का नाम लेते हो, गांधी का मतलब केवल अहिंसा और प्रेम नहीं है वह अहिंसा और प्रेम का ही प्रतीक नहीं है। उसका मतलब है कि अन्याय के खिलाफ सविनय अवज्ञा आन्दोलन, धरना और आमरण अन्शन आदि। जब भारत आजाद हुआ, नेहरूजी की सरकार बनी, गांधीजी ने क्या किया ? उन्होंने आमरण अन्शन किया, पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया दिलवाने के लिए किया। जो गांधीजी का नाम लेते हैं वे हाल ही के इतिहास को भूल जाते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वे गांधी जी को नहीं समझते, वे जनतंत्र को नहीं समझते। उनकी मनोवृत्ति सामन्ती रही है, डिक्टेटरशाही रही है। अगर जनतंत्र चलेगा तो आन्दोलन भी चलेंगे, लोग अन्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे। जो जनतंत्र के विरोधी हैं वे इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि जनता उनको माला पहनाये। जनता जब खुश होती है तो उनको माला देती है। मगर जब जनता नाखुश हो जाय तो वह क्या करे ? क्या उसे फिर काले झंडे दिखाने का अधिकार नहीं है ? क्या आप जनता की नाखुशी प्रदर्शित करने के हक को भी छीन लेना चाहते हैं ? मान्यवर, जनता को जहां माला पहनाने का अधिकार है वहां काले झंडे दिखाने का भी अधिकार है।

मान्यवर, अंग्रेजी को जब हमेशा हमेशा के लिए चलाने के लिए लोक सभा में भाषा विधेयक लाया गया तो उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी ने विद्रोह किया। राय बरेली में क्या हुआ? जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को खुश करने के लिए तैयारियां हो रही थीं, इलाहाबाद यूनियन के अध्यक्ष श्री विनोदचन्द्र दूबे ने क्या किया ? उसने खाली उनको काला झन्डा दिखा दिया था....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनसंघ दल ने भी अपना समय माननीय जायसवाल जी को दे दिया है क्योंकि पार्टी के नेता की हैसियत से २५-२५ मिनट समय मिलेगा... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

पिछली बार जब चौधरी चरण सिंह जी बोले थे तो उन्होंने ५ घंटे का समय लिया था। वही समय इनको भी मिलना चाहिये। वही परम्परा आपको अपनानी चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये (व्यवधान) आप धमकी नहीं दे सकते।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अधिक समय देने के लिये तैयार हूं, मगर इस तरह से नहीं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे उत्तेजित हो कर बात न कहा करें। कोई अनावश्यक बात भी कहने की चेष्टा न करें।

श्री मोहनलाल कपूर—

लेकिन आपने कह दिया कि जनसंघ का समय काट लिया। तो यह समय क्यों काटा जाएगा ? सबको बराबर समय मिलेगा, मिलना चाहिये। वह इस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में नहीं, नेता विरोधी दल के रूप में बोल रहे हैं। उनको पूरा समय मिलना चाहिये वह जितना चाहें बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आपका समय भी उनको दे दूं।

श्री मोहनलाल कपूर---

नहीं। यह सवाल नहीं उठता है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

श्रीमान जो इस समय जायसवाल साहब अपनी पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं बल्कि नेता विरोधी दल की हैसियत से बोल रहे हैं, इसको आप को ध्यान में रखना है।

एक सदस्य---

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चौधरी साहब विरोधी दल के नेता नहीं रहे, जायसवाल साहब हो गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

यह अनावश्यक सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंघ की तरफ से जैसी उत्तेजना दिखाई गई वह उचित नहीं थी किसी भी हालत में। सदन के प्रत्येक सदस्य को पूरा समय मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे विनोद चन्द्र दुबे ने क्या गलती की थी कि....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी अभी कृष्णानन्द राय जी ने यह कहा था और दूसरे चौधरी साहब भी उठकर कह रहे थे और जनसंघ के लोगों ने भी कहा था कि हमारा समय काटकर उन्हें बोलने को दे दिया जाये। लेकिन इस बीच में फिर उठकर यह प्रश्न उठाया गया कि समय नहीं काटा जाय और जिस तरह चौधरी साहब ५ घंटा बोले थे वैसे भी उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सभी पार्टीज के लोगों ने उन्हें नेता विरोधीदल की हैसियत से मनमाना बोलने का समय दे दिया है?

(व्यवधान)

मैं उपाध्यक्ष जी आपसे जानकारी चाहती हूं। क्योंकि मेरे दल के लोग भी बोलना चाहते हैं और उन्हें भी उसमें बोलना चाहिए। तो समय का कुछ न कुछ बंधन होना अवश्यक है। विरोधी दल के सदस्य चाहते हैं कि वह चार घंटा बोलें तो ठीक है लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाएं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं एक प्रश्न के ऊपर खड़ी हुई हूं। जितना उनको बोलने का अधिकार है उतना मुझे भी है।

श्री उपाध्यक्ष---

बोलने का अधिकार सबको है ही। अध्यक्ष ने जो उन को लिखकर दिया है वही मैंने कहा---२५ मिनट का समय हर दल के नेता को बोलने के लिये मिलेगा और अन्य सदस्यों को १० मिनट मिलेंगे। इस हिसाब से मैंने जानना चाहा था। जो वह बोलना चाहते हैं, बोलें। इस पर चार दिन तक बहस चलेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, जो समय टोका टाकी में निकल जाता है, उसका भी ध्यान रखा जाए।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

७ विरोधी दल हैं तो क्या उन को २५ से गुना कर के क्या इतना समय उनको दिया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कह चुका हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

विनोदचन्द्र दुबे ने क्या गल्ती की थी ? जनवरी, सन् १९६८ में श्रीमती इन्दिरा जी की सरकार ने जो विधेयक पेश किया था भाषा सम्बन्धी, उसके खिलाफ यहां की युवा पीढ़ी ने विद्रोह किया था और उसी का प्रदर्शन करते हुए जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सवारी निकली थी तो उस छात्र ने एक काला रूमाल दिखा दिया। तो उस को सजा यह दी गई कि उस भीड़ में विनोदचन्द्र को गिराकर लाठियों से पीटा गया, उसकी दोनों टांगों को तोड़ दिया गया। और वहां से उठाकर जब वह पकड़ कर पुलिस की ट्रक में लादा गया उसकी दोनों हथेलियों पर (व्यवधान) . . .मैंने इस्तीफा दिया था इन्हीं कारणों से। जब वह पुलिस की ट्रक में लादा गया तो पुलिस के जवानों ने उसकी दोनों हथेलियों को पैरों तले दबा कर उसके सीने के ऊपर बन्दूक का कुन्दा चलाया जिससे उसके मुंह से खून आ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी की कृपा को हासिल करने के लिए श्री चरणसिंह ने क्रूर दमन कराया था। मैं इस पूरे सदन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इनके दृढ़ प्रशासन का मतलब क्या है, क्रूर दमन, क्रूर दमन, क्रूर दमन। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। चाहे छात्र होंगे, चाहे हमारा या उनका दल होगा, चाहे जनता होगी, सिवा क्रूर दमन के और कुछ नहीं मिलेगा।

मान्यवर, आप सोचें, इन किसानों का लगान माफ क्यों नहीं किया जा रहा है ? आखिर इसके पीछे कोई चीज है। इसलिये नहीं हो रहा है . . .

(व्यवधान)

मैंने शुरू में कहा यह जो छोटे लोग हैं जिन्होंने जाना था कि महात्मा गांधी का राज्य आने के बाद हमारा नसीब बदलेगा, उनका नसीब बदल नहीं पाया। इसलिये वह हताश हुए। इसलिये जो राजनीतिक हलचल है वह उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। उस उदासी को तोड़ने के लिये सवा छः एकड़ का लगान हम माफ कराना चाहते हैं। अगर सवा छः एकड़ तक लगान माफ हो जाय तो क्या होगा ? हम समझेंगे कि इस आन्दोलन में, इस सत्याग्रह में भी ताकत है। उससे जन शक्ति का उभार होगा। उसके सहारे वह कानून भी बना सकते हैं। यह रिश्ता है जन शक्ति और कानून का। जब इस तरह की शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा ? मैं श्री गेंदा सिंह से कहना चाहता हूं कि लगान माफ होते ही जब लोग समझ लेंगे कि एक मांग को जीत लिया जाय तो दूसरी मांग पूरी होगी। जमीन का बटवारा हो कर रहेगा। मैं देवरिया गया था। देवरिया के लोग जब इस सदन में बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारा जिला बहुत गरीब है। वहां के लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको देखकर लगता है कि सचमुच वह गरीब हैं। श्री रामधारी शास्त्री ने मुझे अभी कुछ दिन पहले वहां बुलाया था। हमने कहा कि बाराबंकी में खाली दो चीनी की मिलें हैं और उन मिलों के क्षेत्र में रहने वाले काश्तकारों की आर्थिक दशा में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन देवरिया में १४ शकर की मिलें हैं लेकिन फिर भी देवरिया के लोग इतने गरीब हैं। क्या कारण है इसका ? बहुत खोज के बाद पता चला कि वहां कलकत्ते का सेठ, कानपुर का सेठ, बिहार के पूंजीपति देवरिया के आधे हिस्से में सब के सब चार चार पांच पांच हजार एकड़ के फार्म आज भी बनाये हुये हैं। वहां के लोग जमीन के लिए तरसते हैं। जमींदारी उन्मूलन के बावजूद, आज वहां पर दस हजार, १५ हजार, २० हजार एकड़ के फार्म हैं। आधी देवरिया पर ऐसे लोगों का कब्जा है। जब उनके पास जमीन ही नहीं है तो १४ चीनी मिलों के बजाय २४ चीनी मिल भी हो जायंगी तो उनको क्या मिलेगा एक तरफ बिड़ला ३ लाख रुपये की आय रोज करता है। दूसरी तरफ

लगान और जमीन के बटवारा का सवाल हल हो जायेगा और हमारे लोग उस तरफ सोचेंगे और उस अर्थ-व्यवस्था को चलने नहीं देंगे। आजादी के पहले बिड़ला की हैसियत २५ करोड़ की थी लेकिन अब ५२५ करोड़ की हो गई है। दूसरी तरफ हमारे यहां २७ करोड़ व्यक्तियों को एक समय पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। तो इस अर्थ-व्यवस्था को मिटाना पड़ेगा। इसके लिये आन्दोलन चलेंगे। यह सब होगा यदि यह लगान माफी का काम पूरा हो गया।

श्रीमन्, इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धान्त है। उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो दलगत हमारी हठवादिता है इसको छोड़ा जाय। क्या आज यह कानून नहीं है कि जिन लोगों की एक निश्चित आमदनी है उनको ही कर देना पड़ता है? जिनकी बचत ४ हजार रुपया है उनको कोई कर देना नहीं पड़ता है। हमारे छोटे किसानों ने क्या गुनाह किया है कि उनको नहीं छोड़ा गया? चाहे उनके पास खाने के लिये रहे या नहीं, चाहे उनके पास बीज के लिये बचे या नहीं, चाहे उनके पास रोटी के लिये बचे या नहीं उनको लगान जरूर देना होगा। यह बात भी न्याय के सिद्धान्त के साथ जुड़ी हुई है। सिंचाई और खाद के विषय में पहले कह चुका हूं। इस सरकार की औकात नहीं है कि उन किसानों को सिंचाई दे सके और खाद दे सके लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह उनका भ्रम हो सकता है और कुछ दिन तक यह धोखा दे सकते हैं। मैं उधर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह २, ४ रुपये की माफी मामला नहीं है कि इस पर कुछ बहस हो जाय। इसके पीछे क्रान्ति छिपी हुई है।

श्रीमन्, हमारे यहां दो तरह के लगान चल रहे हैं। एक लगान वह है जो २ आना, ४ आना, ६ आना बीघा पुराने निजाम के मुताबिक है। यह हमारी पुरानी व्यवस्था के मुताबिक है। यह उनके साथ बरताव किया गया है जो हाथ से काम करना पाप समझते हैं। यह धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसा समझते हैं कि हाथ से काम करना अनुचित है। चूंकि ये हाथ से काम नहीं कर सकते हैं इसलिये इनके लगान को कम रखा जाय। इसलिये २ आना, ४ आना, ६ आना लगान उनका एक बीघे के हिसाब से रखा गया है। दूसरी तरफ वह लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें लगाते हैं, जो अपने हाथ से दिन-रात उसमें मेहनत करते हैं तो उनको यह सजा दी गई है कि उनका लगान ज्यादा हो। उनका लगान १० रुपया, १२ रुपया, ८ रुपया बीघा रखा गया। अगर ६ १/४ एकड़ तक लगान माफी होती है तो किसी किसी आदमी को २०० रुपया, किसी को २५० रुपया और किसी को ३०० रुपया, किसी को ४०० रुपया तक माफी होगी। इन लोगों को मौजूदा कानून के मुताबिक कोई माफी नहीं मिलती है। सिंचाई और खाद की सुविधा भी उनको नहीं मिलती है। तो इस माफी से जो उनको यह रुपया बचेगा तो क्या उससे वह अपना भोग विलास करेगा? वह इस रुपये से अपने खाद और पानी का इन्तजाम करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लगान जो उनको बचेगा इससे वह अपने खाद और पानी की व्यवस्था करेगा जिसका इन्तजाम सरकार उसके लिये नहीं कर सकती है। इसलिये उन काश्तकारों का यह जानबूझ कर हक छीना जा रहा है ताकि अपने देश में गर्मी न होने पावे। यह जो इतना बड़ा अन्तर ३ आने और ३ करोड़ का है, इसको रखा जा रहा है। यह क्रान्ति का प्रतीक है। इससे क्रान्ति की शुरुआत होगी। इसीलिये इस लगान के झगड़े के कारण पिछली संविद सरकार टूटी। हम चाहते थे कि इस लगान को माफ किया जाय लेकिन वह नहीं किया गया तो वह टूटी। अब आगे भी कोई सरकार रह नहीं सकती है जो इस लगान के प्रश्न को सोचती नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे सब साथी गरीब आदमियों का वोट लेकर आये हैं। ये ऐसे लोगों के वोट लेकर आये हैं जिनके घर की रानी के पास केवल पहनने के लिये एक धोती रहती है। उसी धोती को वह खाना बनाने में, उसी को पाखाना जाने में और उसी को सोने में इस्तेमाल करती है। हर समय वही धोती वह पहने रहती है और जब वह नहाने के लिये जाती हैं तो नंगे नंगे स्नान करने के बाद वही धोती फिर पहन लेती हैं लेकिन अगर यह छूट मिल गयी तो एक के बजाय उसको दो धोती मिल जायंगी तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जायगा। इसे आपको समझना चाहिये।

एक सदस्य—

डाक्टर लोहिया ही समझते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

डाक्टर लोहिया को तुम्हारे जैसा आदमी समझ नहीं सकेगा। जरा तमीज से बात करना सीखो।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

व्यवस्था का सवाल है। "तमीज से बात करना सीखो", जो यह कहा गया, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई भाषण दे रहा हो और बीच में छेड़-छाड़ की जाय तो फिर उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी हो जाती है। मैं किसी शब्द के ऊपर बंधन नहीं लगाना चाहता। विधान सभायें अच्छी हैं अथवा बुरी उनकी झांकी सब के सामने आनी चाहिये।

श्री भारत सिंह चौहान—

मैं इस व्यवस्था के विरोध में वाक आउट करता हूं।

(श्री भारत सिंह चौहान सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बसन्तलाल (जिला लखनऊ)—

माननीय सदस्य का अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ वाक आउट करना न केवल अध्यक्ष का अपमान है, बल्कि पूरे सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी जब एक बात आप मानते हैं तो दूसरी भी माननी होगी। भाषा के प्रयोग में मेरा दृष्टिकोण है और हम कोई छुई-मुई नहीं हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

"बदतमीज" शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने "बदतमीज" नहीं कहा। "तमीज से बात करना सीखो" यह कहा है।

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

सरकारी बेंचेज के लोग हमारे नेता को बोलने नहीं देंगे तो हम भी चरण सिंह साहब को बोलने नहीं देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निवेदन कर रहा था कि सवा ६ एकड़ लगान माफी के सम्बन्ध में मुख्य-मंत्री जी का जो चेहरा उभर कर आया है उसे देखें। बी० के० डी० के घोषणा-पत्र की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चौधरी साहब का यह कहना है कि जो जोतें हैं वे ढाई एकड़ और २७ एकड़ के बीच रहनी चाहिये। इसका साफ मतलब निकलता है कि जो ढाई एकड़ के किसान हैं उनके पास जमीन नहीं रहनी चाहिये क्योंकि दूसरी सेवाओं के लिये उनकी मेहनत बचनी चाहिये। इसलिये इनके पास जमीन नहीं रहनी चाहिये। चौधरी साहब देश की बेकारी को देखें। दिल्ली की सरकार २२ साल में इस समस्या को हल नहीं कर पाई है। हमारे यहां तो पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं। अगर ढाई एकड़ के लोगों के पास जमीन नही रहेगी तो फिर यह फौज कहां जायेगी ? इन सब चीजों को आप एक

साथ पढ़ें तो मालूम होगा कि इनसे कौन-सा चेहरा बनता है । इससे यह साफ मालम होता है कि चौधरी साहब छोटे लोगों के नुमायन्दे नहीं हैं। उनके दिमाग में पश्चिम के गरीब हरिजन नहीं हैं जो उनके छपरौली क्षेत्र में वोट तक नहीं कर पाते हैं बल्कि जो लोग खुशहाल हैं यह उनके ही हमदर्द हैं ।

उनका चेहरा साफ सामने आ जाता है । इस पर आप विचार करेंगे कि जो घोषणायें हुई हैं, पिछले दिनों भी होती रहीं और साल भर तक होती रहीं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है । जो लोग अपनी जबान को रोज बदलते रहते हैं उन की जबान का क्या ऐतबार, कभी यह काम पूरे होंगे या नहीं ? जब तक यह साढ़े तीन एकड़ का, सवा छः एकड़ का, साढ़े बारह एकड़ का, यह शब्द–जाल की जो मृग मरीचिका बनी है तो पिछले तजुर्बे से फायदा उठाइये । अगर आप चुप बैठे रह गये तो आपका अहित होगा, प्रदेश का अहित होगा और ६० प्रतिशत लोगों का आप भला नहीं कर सकेंगे । हमारी आजादी के बाद जो क्रान्ति कैद है उसका दरवाजा टूटने वाला नहीं है । अगर आप प्रदेश का भला करना चाहते हैं तो सवा छः एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से लगान हटाइये ।

मान्यवर, अब देखिये कि चौधरी साहब क्या कुशल प्रशासन देंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे ? स्वच्छ प्रशासन से वे क्या मतलब समझते हैं, स्वच्छ प्रशासन कहना अनिश्चित शब्दों का इस्तेमाल है । क्या कोई ऐसी योजना है जिससे स्वच्छ प्रशासन इस प्रदेश में चल सके ? मैं कहना चाहता हूं कि खाली स्वच्छ प्रशासन रटने से नहीं आ जायेगा । केन्द्र में गुलजारी लाल नन्दा जी ने भी कहा था कि दो साल के अन्दर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिये । यदि नहीं होगा तो मैं हट जाऊंगा । भ्रष्टाचार का रूप बढ़ गया, इसका आकार बढ़ गया लेकिन नन्दा साहब फिर शासन में लौट आये । तो खाली यह कहने से कि स्वच्छ प्रशासन प्रदेश में कायम कर देंगे, इस से कुछ नहीं होगा । खाली एक-आध अफसर के बदलने से यह नहीं होगा । उधर से जब चौधरी साहब बोले थे तो उन्होंने यही कहा था कि गुप्ता जी ने इसको हटाया, उसको हटाया और चार घंटे के अन्दर कोई मतलब की बात नहीं कही । सिर्फ आफिसर्स के ट्रांसफरों के ऊपर ही बोलते रहे । आपने खुद नियुक्त किया था जियाराम जी को आई० जी०, फिर उन को आते ही क्यों हटाया गया ? इस का क्या कारण था ? इसमें क्या राज छिपा हुआ है ? जब श्री सलेकचन्द जी का मुजफ्फरनगर में कत्ल हुआ तो आपने चाहा होगा, यह हमारा अन्दाजा है कि यह आई० जी० आपकी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की । वह मामला अदालत में पहुंच गया और वे आदमी जेल में पहुंच गये । इसलिये जब कुर्सी पहली दफा हाथ में आयी तो आपने किस को हटा दिया ? आई० जी० को । उसकी जगह पर किस को रखा ? कइयों को सुपरसीड करके नीचे वाले को रखा । क्या इससे स्वच्छ प्रशासन मिलेगा ? इससे सर्विस में आतंक फैलेगा । कोई मुख्य मन्त्री हो और उसको कभी विरोध में भी बैठना पड़े तो भी उसका कहना मानना चाहिये, उचित अनुचित का भेदभाव छोड़ कर, वरना कभी जब उसके हाथ में ताकत आ जायगी तो वह बदला ले लेगा । इस प्रकार से इन ट्रान्सफर्स में बदले की भावना है । इस बदले की भावना के चलते स्वच्छ प्रशासन किस प्रकार से दिया जा सकता है ? मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं तो केवल नमूना दे रहा हूं । इस सदन में एक दिन इस पर चर्चा हो जाय कि आफिसरों को तरक्की देने का आखिर कौन-सा आधार रखा जाय । जो कुर्सी पर बैठा है उसकी इच्छा या अनिच्छा उसका आधार होगी अथवा कोई और स्टैंडर्ड उसका होगा । अभी तक तो यह नियम था, मैं यह नहीं कहता कि वह अच्छा था या बुरा था, लेकिन था यह कि जो नौकरी में ज्येष्ठ हों, वह तरक्की पायें, लेकिन इस क्रम को तोड़ कर चौधरी साहब ने दूसरे आदमी को बैठा दिया । क्या इस प्रकार से स्वच्छ प्रशासन दिया जा सकेगा ? क्या चौधरी साहब के मुंह से स्वच्छ प्रशासन शब्द शोभा पाता है ? उधर से एक साहब कह रहे हैं—"पाखंड का निचोड़" । मैं अगर इ को कहता तो पुनरावृत्ति हो जाती क्योंकि मैंने इसको गुप्ता जी के लिये इस्तेमाल किया था । लेकिन उन्होंने यह शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया । मैं चाहता हूं कि पूरा प्रदेश इसको

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

अच्छी तरह से जान ले, आपको मालूम हो जाय कि कांग्रेस के विघटन के बाद जो स्थिति देश में आयी उसमें चौधरी साहब ने १० फरवरी के पहले तक जितने भाषण दिये, जितने उनके वक्तव्य प्रेस में निकले उनसे एक ही नतीजा निकलता था कि चौधरी साहब का झुकाव इन्दिरा जी की कांग्रेस की ओर है। लेकिन वे उस वक्त तक उनसे न बंधे जब तक कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनको न मिल गयी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, यह उनको बुरा लग सकता है लेकिन यह सबको स्पष्ट है कि आज तक कोई कार्य-क्रम जनता के सामने नहीं आया कि देश और प्रदेश की बहबूदी के लिये कौन-कौन कार्य-क्रम रखे जायेंगे। अगर लिखित या अलिखित रूप से ऐसा कुछ हो तो उसको सामने रखा जाय, सदन की उससे जानकारी बढ़ जायगी। खाली इसी बात पर सौदा होता रहा कि मुख्य मन्त्री की कुर्सी इन्दिरा जी दे दें तो अच्छा है। लेकिन कमलापति और बहुगुणा जी से जो बातें हुईं उनसे मालूम हुआ कि यह कुर्सी उनको मिलने वाली नहीं है। यह भी बता दूं कि चौधरी साहब जब-जब दिल्ली गये और यह कह कर गये कि मैं प्रधान मन्त्री से बातचीत करने जा रहा हूं, प्रधान मन्त्री से मिलने जब भी चौधरी साहब दिल्ली गये वह कांग्रेस के दूसरे दल, जिसके डाक्टर राम सुभग सिंह नेता हैं, से भी बातचीत करते रहे और इस तरह से दोनों तरफ बातें करते रहे। उनके दिल में था कि जो उनको मुख्य मन्त्री की कुर्सी दे उसी से अपनी पार्टी जोड़ दें। तो मान्यवर, १० तारीख की शाम तक जब इन्दिरा जी की तरफ से उनको मुख्य मंत्री की कुर्सी नहीं दी गई तो उन्होंने दूसरी तरफ अपना झुकाव दिखाया। मैं यहां साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का विघटन हुआ था और कांग्रेसी सरकारें अल्पमत में आ गईं तो बातचीत करने की कोशिश की गई कि समर्थन मिले। उस समय हमने कहा कि संसोपा अवसरवाद की पार्टी नहीं है। उसने कांग्रेस को तोड़ने के लिये इस हद तक छूट दी कि उसके सदस्य, स्वतंत्र, जनसंघ या कम्युनिस्ट किसी से भी समझौता कर सकते हैं लेकिन उसमें भी हम अपनी बुनियादी नीतियों से नहीं हटे हैं। हिन्दू, मुसलमान का सवाल है, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का सवाल है, हमारी दाम नीति है, कृषि नीति है, इन चीजों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। मान्यवर, जिस आदमी की मौलिक चिन्तन धारा इतनी तेज थी कि उसने कांग्रेस गढ़ को तोड़ने के लिये छूट दी लेकिन अवसरवाद की छूट नहीं थी। इसीलिये जब अवसर आया तो सन् १९६७ में कार्य-क्रम के आधार पर सरकार में शामिल हुये। उसी आधार पर विकल जी को नेता चुना गया था और उसी कार्य-क्रम के आधार पर चौधरी चरण सिंह के साथ समझौता हुआ था। इसी कार्य-क्रम के आधार पर जब गुप्ता जी से समझौता हुआ तो विभव जी आये और कहने लगे कि आप लोग भी सिन्डीकेटी हो गये और गुप्ता जी को बचाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमारी बुनियादी मांगें हैं हम उनको पूरा कराना चाहते हैं। आपके पास सरकार नहीं है। आप अपने नेता, कमलापति जी से कहें कि वह इनको स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा कर दें। लेकिन गुप्ता जी सरकार में हैं, उनके साथ तो मेरा समझौता तभी होगा जब कि वह इसको कार्यरूप में परिणत करके अध्यादेश जारी कर दें। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समझौता बुनियादी बातों के आधार पर हुआ है। गुप्ता जी ने वह काम पूरा किया और हमारा समझौता हो गया। यह समझौता बी० के० डी० के साथ भी हो सकता था अगर वह हमारा कार्यक्रम स्वीकार करते। हमने कहा था कि जो हमारा कार्य-क्रम मानेगा उसी को हम मानेंगे। डाक्टर राम सुभगसिंह, नेता विरोधी दल, और श्री कुम्भाराम आर्य से बातचीत चलती रही लेकिन चौधरी साहब इस बात चीत के दौरान गुप्ता जी से दूर रहे। उनकी एक ही शर्त थी कि जो मुख्य मंत्री बनावे उसका साथ दें। उन्हें मुख्य मंत्री बनाने के लिये गुप्ता जी तैयार हो गये और उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत की गई। जनसंघ, संगठन कांग्रेस ने इस समझौते को किया और कहा गया कि श्री चरण सिंह हमारी बुनियादी बातें मानने को तैयार हैं। इसके तय होने पर ही गुप्ता जी का त्याग-पत्र दिया गया और डाक्टर राम सुभग सिंह ने इसको चौधरी साहब को दिखाया था।

चौधरी साहब अपनी काटपेंच के आधार पर मुख्य मंत्री बन सकते हैं। गुप्ता जी ने गवनर साहब के यहां अपना त्याग-पत्र चौधरी साहब के इस आश्वासन पर भेजा था कि वह उनके कार्य-क्रम को चलायेंगे। अगर चौधरी साहब में जरा भी मर्यादा है, जरा भी सच

और झूठ का फर्क है तो हम चाहते हैं कि वह सदन में यह कहें कि गुप्ता जी के साथ यह समझौता नहीं हुआ जब वह गुप्ता जी के पास त्याग पत्र के तुरन्त बाद आये तो उन्होंने गुप्ता जी ने कहा कि यही कार्य-क्रम होंगे। संसोपा का कार्य-क्रम हम इस कारण नहीं काट पाये कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था इसलिये हमने माना है, आप भी माने। राजनारायण जी वहां थे और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब हमको जानते हैं और हम ऐसा कार्य-क्रम छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं। हमने सन् १९६८ में भी उन को बड़े भाई कह कर पत्र लिखा था। चौधरी साहब ने गुप्ता जी को सराहा था, उनकी पुरानी सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। जब बीमारी के समय गुप्ता जी अपनी खाट पर लेटे थे उस समय चरण सिंह ने कहा था कि आपके त्याग-पत्र के बाद हमने प्रेस को बयान दिया। जो भावना आपकी है, वही हमारी है। जब हम अपने घर से आपके यहां के लिए चल रहे थे तो उस वक्त इन्दिरा कांग्रेस ग्रुप के श्री उमा शंकर दीक्षित हमारे पास आये और हमसे स्पष्ट शब्दों में पूछा कि यदि संगठन कांग्रेस के साथ आपका मामला तय हो गया हो और यह प्रश्न क्लोज हो गया हो तो हम बातचीत न करें। हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मामला तो क्लोज हो गया, और अब बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। अगर चौधरी साहब की हिम्मत है तो इस बात को झूठ कह दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन के साथ उनक समझौता पूरा हो गया है और मामला क्लोज हो गया है। उनके सामने जब यह आफर आया और जिसमें संसोपा और जनसंघ के लोग भी थे उस वक्त उनको ठुकरा देना चाहिये था, गुप्ता जी के घर आने की क्या बात थी। उसके बाद होता क्या है। यहां पर अवसरवादिता चल नहीं सकती थी। हमने उनके समझौते में भी अवसरवादिता की बात नहीं रखी। इस हिन्दुस्तान में लेफ्ट और राइट की बहस बिल्कुल ही निरर्थक है। यहां पर इस देश में सरहद और भाषा के मामले में जनसंघी भाई ज्यादा प्रगतिशील और हमारे नजदीक हैं। अर्थके मामले में हमारे कम्युनिस्ट भाई प्रगतिशील और हमारे नजदीक हैं क्योंकि उनका रोजी और रोटी का सवाल मुख्य रहता है। जाति के मामले में अकेले संसोपा ही प्रगतिशील है। जो यहां पर लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, जो यहां पर सिंडीकेट-इंडीकेट की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में लेफ्ट का मतलब क्या है? वे पहले यह समझें कि "लेफ्ट" शब्द क्या है? "लेफ्ट" शब्द फ्रान्स की राजनीति से निकला है। फ्रान्स में जो प्रगतिवादी थे वे वहां की विधायिका में बा तरफ बैठते थे और जो पूंजी को संरक्षण देने वाले थे। स्थिति वादी लोग थे वे दक्षिण की तरफ बैठा करते थे। केवल समाजवाद के उच्चारण मात्र में ही अगर फंसे रहोगे तो आप नहीं समझ पायेंगे कि असल में मामला क्या है। लोगों को समझना चाहिये कि सिंडीकेट क्या है और इंडीकेट क्या है। हमारे पहले चुनाव १९५२ में हुए थे। उसके पश्चात् मान्यवर, पंडित जवाहरलाल जी ने अपनी कांग्रेस की नीति और लक्ष्य घोषित कर दिये। उन्होंने समाजवाद की घोषणा कर दी। उस "समाजवाद" के शब्द ने सब लोगों को धोखे में डाला था। उन लोगों को भी धोखा हो गया जो समाजवादी आन्दोलन में बरसहा बरस से लगे हुये थे। आप अगर देश के आजादी के बाद के पूरे इतिहास को पढ़ें तो आप को मालूम होगा। दिल्ली में श्री अशोक मेहता और यहां गेंदा बाबू व श्री नारायण दत्त तिवारी तक इस धोखे में फंस गये। मान्यवर, इस सब का एक इतिहास है। केवल एक आदमी था और मैं फिर गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यह हमारा सौभाग्य था कि उसने इस माया को जाना। समाजबाद एक "प्रिंसिपल" है, एक सिद्धान्त है, मगर यह सिद्धान्त उस समय तक निरर्थक रहता है जब तक इसके अर्थ के अनुरूप स य बद्ध ठोस कार्य-क्रम का अर्थ इसमें न भरा जाय। इस शब्द के अनुसार ठोस कार्य नहीं किया गया। जब कार्य नहीं किया जाता है तो फिर इस समाजवाद शब्द से क्या लाभ होता है। समाजवाद की स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया की यह सगुण परिभाषा उनकी न केवल इस देश को विश्व को भी अकेली देन है। यह उनकी अपने अकेले की देन है। मान्यवर, जवाहरलाल जी से इंदिरा जी तक समाजवाद के अनुरूप कार्य-क्रम न तो बनाये गये और न पूरे ही किये गये।

मान्यवर, डाक्टर लोहिया साहब ने इस शाब्दिक 'समाजवाद' को देखा। उस मायाजाली समाजवाद का क्या नतीजा हुआ? बिड़ला कहां से कहां पहुंच गया और टाटा ३५ करोड़ से ६२५ करोड़ तक पहुंच गया। देश में मनोपली चल रही है। जवाहर लाल जी और अब

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

हैं। यह सब खर्च उनकी शान शौकत और सुरक्षा पर किया जा रहा है। जैसा धोखा जवाहर लाल जी के समय में चला था वैसा ही धोखा अब भी चल रहा है। बस फर्क इतना ही है कि पात्र बदल गये हैं। हाल के इतिहास से आप वाकिफ ही होंगे। हम संसोपा वाले तो उस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। सब लोग जवाहर लाल जी के समाजवादी जाल में फंस गये, मगर संसोपा उस जाल को खूब समझती थी। आप देखें बम्बई में क्या होता है ? बम्बई का अधिवेशन हुआ और बहुत से प्रस्ताव पास किये गये। उसके तुरन्त बाद बिड़ला की मोनोपली और मजबूत की गई फर्टीलाइजर फैक्टरी का लाइसेन्स जिसका मूल्य ५६ करोड़ के है, बिड़ला जी को दे दिया गया।

(शेम, शेम)

मान्यवर, टाटा और हिन्दुस्तान लिवर्स को फायदा पहुंचाने के लिये क्रमशः वनस्पति और इस्पात के दाम बढ़ाये जाते हैं। राय बरेली में टेक्सटाइल का कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस जयपुरिया को दिया गया। जितने पूर्व नरेश हैं, वे सब इंदिरा जी के कैम्प में हैं। इन सब लोगों ने ही और इनके गुर्गों ने समाजवाद की रट लगा रखी है। जितने राजा, महाराजा, बेगमात और रानियां हैं--सब समाजवादी बन गये हैं और इन्दिरा जी के कैम्प में बैठे हुए हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि लोग इस मृग मरीचिका में न फंसें। इनके निर्गुण समाजवाद का कोई अर्थ नहीं है। इस समाजवाद के जाल में रेडियो द्वारा लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं कि यह "समाजवाद" एक निर्गुण रत्न है, निर्गुण सिद्धान्त है। इस धोखे से आप अलग हो जायें। जो इसका सगुण रूप है उसको पकड़ें, ग्रहण करें। अगर सगुण रूप के अन्तर्गत कार्य नहीं किया जायेगा तो समाजवाद को बढ़ावा नहीं मिल सकता है और परिवर्तन की हवा नहीं बह सकती है। इनकी नीति है यथा स्थितिवादी जिसको बदलना जरूरी है।

दिल्ली की गद्दी आज भी परिवर्तन विरोधी है। उस परिवर्तन विरोधी गद्दी के रहते भी इस देश में समाजवाद आ नहीं सकता। इसलिए जानबूझकर तथाकथित समाजवाद की हमने हमेशा मुखालफत की है और आज भी करते हैं जो कि हमारा दस्तूर रहा है। मान्यवर, यह जो हैं चरण सिंह जी जब यह गुप्ता जी के साथ समझौते की हद तक चले गये तो इन्दिरा जी समझीं कि उनका तो मामला ही खत्म हो रहा है। इससे तो दिल्ली की गद्दी चली जायगी इसलिये इस आदमी के एक पाइन्ट प्रोग्राम को पूरा कर दो। वह मुख्य मंत्री हो गये, गुप्ता जी के साथ किये गये समझौता को तोड़ कर। मान्यवर, जब आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे तो हमारे पास एक इस डबल डीलिंग की डायरी है, उस वक्त हम उसको पेश करेंगे कि ये १० तारीख से १४ तारीख की शाम तक क्यों खामोश रहे। उस डायरी से कोई भी आदमी यह इंफरेन्स निकालेगा कि यह जानबूझकर चुप रहे और इस गद्दी के लिये, इस अवसरवादिता के लिये सौदा किया। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी केवल गद्दी के लिए सौदा करेगा वह इस प्रदेश को क्या स्वच्छ प्रशासन दे सकेगा, क्या दृढ़ और ईमानदार प्रशासन दे सकेगा ? इस सवालिये जुमले के साथ मैं समाप्त करता हूं और जब आप मुझे मौका देंगे तो मैं सारी बातों को आप के सामने रखूंगा।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे बहुत ही खेद है कि आज हम लोग यहां चौधरी साहब जो कि नेता विरोधी दल निर्वाचित हुये थे, उनको सुनना चाहते थे। वैसे तो वह हमारे साथ १२-१३ साल तक रहे हैं लेकिन आज हम उनको बड़ी उत्सुकता से सुनना चाहते थे कि वे कौन सी बातें कह रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब ने वह भाषण नहीं दिया और उनकी जगह दूसरे सज्जन बोले। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने संकेत किया है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिये और उपेक्षित वर्गों के प्रति ध्यान दिया जायगा। यह सब उन्होंने एक सूत्र रूप में बतला दिया है यह सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड के क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले पिछड़े हुये हैं और उनका विकास होना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है और मैं समझता हूं कि शीघ्र से शीघ्र

इस सम्बन्ध में ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे इन तीनों क्षेत्रों का इस तरह विकास हो सके कि ये दूसरों के बराबर आ जायं। उपेक्षित वर्गों के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चौधरी साहब से खास तौर से कहना चाहता हूं जो यहां पर बैठे हुये हैं कि अभी थोड़े समय पहले चौधरी साहब जिस सरकार में थे माननीय गुप्ता जी की सरकार में, उस समय कक्षा दस के नीचे के छात्रों को छात्रवृत्ति और अनावर्तक अनुदान दिया था लेकिन जब सरकार खत्म होने लगी तो ५० लाख रुपये की कटौती कर दी गयी। १० लाख रुपया पहली बार काटा गया, फिर ३३ लाख काटा गया और फिर ३ लाख काटा गया। इस तरह से ५० लाख रुपया काटा गया और जिलों में जो हरिजन कल्याण समितियां हैं, सभी हरिजन विधायक जानते हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के, कि हरिजन लड़कों को छात्रवृत्तियां मंजूर की गयीं और उसके बाद यहां से आदेश गये कि यह सब रद्द कर दिया जाय। बड़े दुःख की बात है कि हमारे चौधरी साहब के रहते हुये भी हरिजन छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ और चौधरी साहब को शायद यह मालूम भी नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बार बार माननीय चौधरी साहब कहते हैं तो दोनों ओर चौधरी हैं। आपका किस चौधरी से मतलब है ?

श्री माता प्रसाद—

चौधरी गिरधारी लाल जिस सरकार में थे उसकी बात मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ११ अगस्त को इसी सदन के ३६ हरिजन कांग्रेस के विधायकों ने एक ज्ञापन दिया था तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को जिसमें हरिजनों की विभिन्न समस्याओं के विषय में बहुत से सुझाव रखे गये थे। बड़े अफसोस की बात है कि हाउस में भी कह दिया जाता है और घोषणायें भी कर दी जाती हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। इसी तरह से उनके वक्त में उक्त विषय में भी कहा गया लेकिन किसी को भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया, चाहे वह रिजर्वेशन की बात हो, चाहे कोई और बात हो। मैं आज वर्तमान सरकार से चाहता हूं कि जैसे हम बहुत पहले मांग करते थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन सदस्य रखा जाय उस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री सुचेता कृपालानी ने भी आश्वासन दिया था और गुप्ताजी ने भी आश्वासन दिया था लेकिन किया नहीं, चौधरी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुये तो इत्तफाक से उन्होंने एक हरिजन को पब्लिक सर्विस कमीशन में रख दिया था। हम चाहते हैं कि आज जो हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, सभी नौकरियों में आज चौधरी साहब के हाथों वह काम भी पूरा होना चाहिये कि हर क्षेत्र में हरिजनों का प्रतिनिधित्व पूरा हो और अगर वह पूरा न हो तो उसके लिये जो जिम्मेदार अधिकारी हों उनको दंड दिया जाय।

तीसरी चीज मुझे खास कर संसोपा वालों से कहनी है। अभी बहुत लम्बी बातें उन्होंने कहीं समाजवाद के सबन्ध में। तो क्या अभी चन्द दिनों में जो कुछ कदम उठाये गये हैं उन्हें आप समाजवादी नहीं मानते ? चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का जो निर्णय लिया गया है क्या व समाजवादी कदम नहीं है ? अगर आप इसको समाजवादी कदम नहीं मानते तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इसी तरह से ३० एकड़ का प्रतिबन्ध लगाने की जो बात कही गयी है क्या उसे आप समाजवादी कदम नहीं मानते ? अगर नहीं मानते तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

एक चीज के विषय में सरकार को बता देना है। जोत बहियों के बारे में, जो उन्होंने ३ रुपये की जगह १ रुपया कर दिया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं लेकिन इस सम्बन्ध में कई त्रुटियां हैं जिससे देहातों में बड़ी परेशानी है। २६ जनवरी से जो जोत बहियां दी गयी हैं उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। मैं राजस्व मंत्री से चाहूंगा कि उसमें वह सुधार करें। पहली चीज यह है कि जोत बही को सही कराने की जिम्मेवारी काश्तकार को दी गयी है कि वह लेखपाल से जोत बही शुद्ध करायेगा। ऐसी दशा में जब लेखपाल उसे शुद्ध करेगा तो बड़ी गड़बड़ी की सम्भावना है।

[श्री माता प्रसाद]

तो लेखपाल की ही यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह प्रति वर्ष उन बहियों की शुद्धि करे। मेरा सुझाव यह भी है कि उसमें मालियत भी दर्ज होनी चाहिये कि उसकी कितनी मालियत है ताकि उसको देखकर ही उसे कर्ज व तकावी मिल सके। मालियत का विवरण जोतबही में होना आवश्यक है और उससे सुविधा होगी। इसके अलावा जिस वक्त रजिस्ट्रार के यहां कोई जमीन का बयनामा हो तो वह जोतबही में यह दर्ज कर दें कि इतनी जमीन इस खाते में और जुड़ गई या इतनी जमीन कम हो गई। इन विवरणों और इन्दराजों के साथ जोत बहियां किसानों को दी जायं।

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जो भूमिहीन किसान हैं और जिन के पास कोई भूमि काश्त की अपनी नहीं हैं और वह भी किसी ग्राम में या आबादी में रहते हैं तो उनकी उस आबादी की जमीन का इन्द्राज भी पास बुक में रहना चाहिये क्योंकि यह लोग पुश्त दर पुश्त से वहां रहते हैं। अगर उनका नाम किन्हीं कागजात में नहीं रहेगा तो गड़बड़ होने की सम्भावना रहती है, कभी-कभी वह निकाल दिये जाते हैं और खुदकाश्त व भीटा दर्ज कर दी जाती है, इस तरह से उन भूमिहीनों के पास भी कोई पास–बुक रहेगी तो उनको कोई खतरा नहीं रहेगा।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाऊंगा कि इस सरकार ने जो ३.१२५ एकड़ तक के लगान की माफी की है वह भी बहुत अच्छा कदम है और उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे और अधिक साधन बढ़ें तो यह माफी और अधिक किसानों को भी दी जानी चाहिये। एक बात जो श्री अनन्त राम जी ने कही है उस का भी मैं समर्थन करता हूं और वह यह है कि कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जिनका लगान प्रति एकड़ केवल २,४ या ८ आना है लेकिन वहीं सरे किसान ऐसे हैं कि जिन का लगान प्रति एकड़ १० और २० रुपये तक है। ऐसे काश्तकार जो १० रुपया और २० रुपया प्रति एकड़ लगान देते हैं, वे अधिकतर छोटे किसान हैं। मैं चाहता हूं कि एक ही तरह की जमीन के लिये एक ही स्थान पर कोई ऐसा नियम बनाया जाय जिससे ऐसे लगानों में एक रू ता आ जाय, इस से सरकार की आय बढ़ेगी और छोटे किसानों के साथ अन्याय भी समाप्त होगा। इस तरह की असमानता समाप्त होनी चाहिये अ.र माल-गुजारी समाप्त होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह जो ३० एकड़ की सीलिंग का प्रस्ताव लाया गया है उसका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। अभी उधर से कहा गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जमीन मिलने पर भी कब्जा सरों का रहता है और तिकड़म से बड़े लोग उनकी जमीन को ले लेते हैं और वास्तव में जो भूमिहीन हरिजन हैं उनको जमीन नहीं मिलती। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में यह नई सरकार नये दृष्टिकोण से सोचे। अखबार वाले और सब लोग समझते हैं कि सारी जमीन अब तो हरिजनों को मिल रही है, नौकरियों में भी उन्हीं को अधिक लिया जा रहा है लेकिन अभी तक हरिजनों का ४ प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। आज मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, और जैसा कि हमारे माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा है कि उपेक्षित वर्गों को उठाने का प्रयास किया जायगा, उसकी ओर यह सरक र विशेष ध्यान दे।

सौभाग्य से इस समय हमारे माननीय मंत्री जी भी इस सदन में मौजूद हैं। उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे हरिजनों को मकान बनाने के लिये, उद्योग धन्धे खोलने के लिए और व्यापार चलाने के लिये अनुदान के स्थान पर ऋण देने की व्यवस्था करें और वे ऋण लम्बे समय के लिए अर्थात ५ या १० वर्ष के लिये मामूली सूद की दर पर या बिना सूद पर देने की व्यवस्था करें। आज आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, मैं प्रार्थना करूंगा कि उनसे साधन की व्यवस्था करायी जाय। आज होता यह है कि एक जिले के लिये अनुदान दिया जाता है। कह दिया जाता है कि अनुदान दिया जा रहा है लेकिन इस अनुदान से कुछ भी नहीं हो पाता है। इतना ऋण दिया जाय जिससे उनका कार्य हो सके, वे अपने मकान बना सकें, व्यापार कर सकें, छोटे मोटे धन्धे आरम्भ कर सकें और समाज में अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकें।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ वर्ष हुये पूर्वी जिलों के विकास के लिये एक पटेल कमीशन नियुक्त किया था। उसमें काफी काम हुआ। एक बहुत बड़ी स्कीम बनी थी लेकिन जो पहले सरकार आयी, उसने उस कार्य को बिल्कुल समाप्त कर दिया और वहां की जो योजनायें थीं, उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दिया। पूर्वी जिलों में चाहे देवरिया हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, बस्ती हो या गोरखपु हो, सबकी दशा वैसी ही है। मैं चाहूंगा कि इन सबके लिये एक अलग से कमीशन बनाया जाय। (एक सदस्य–बन गया है) यह हमें खुशी है कि कमीशन बन गया है और मैं चाहता हूं कि सरकार उसके लिये घोर प्रयास करे ताकि इन क्षेत्रों में वांछित विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उस पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुये मैं इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जबतक जो नीतियों का दलदल है, नारों का दलदल है वह दूर नहीं होगा और उस पर ठोस सिद्धान्तों को लागू नहीं किया जायगा तो हमारे जो कार्य-क्रम हैं, वे सफल नहीं होंगे। आज जो अशांति और अव्यवस्था फैली हुई है वह इस बात को स्पष्ट करती है कि जिस पंचायत में बैठकर हम १० करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके फायदों के लिये फैसला करने के लिये यहां बैठे हुये हैं, वह ही इस पंचायत को न रहने दे और चाहे कोई भी सरकार आये, उसको भी न रहने दें। ाज देश में जो गरीबी है, भुखमरी है, या बेरोजगारी है, उसके निराकरण के लिये हमें कदम उठाने पड़ेंगे। यदि हम केवल यह ही कहते रहे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, वायदे तो करें, लेकिन करें कुछ नहीं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में जनता की ओर से यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी हो लोकतन्त्र के नाम पर टिक नहीं सकता। क्योंकि आज का बेरोजगार युवक यह सोचता है कि आखिर उसका भविष्य क्या है? जब वह अपने अन्धकारमय भविष्य की ओर देखता है तो उसके सामने एक ही सवाल रह जाता है "डू आर डाई"। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि वहां जनता के पास न खाने के लिये है, न पहनने के लिये है और उधर चीन, बोर्डर पर मुंह बाये खड़ा है। पिछले लगातार ४० वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता का यह दृढ़ विश्वास है कि चौधरी चरण सिंह की सरकार से उसको न्याय नहीं मिल सकता। आज वहां बेकारी के कारण आये दिन आत्म हत्यायें हो रही हैं। एक ओर वहां बेरोजगारी की समस्या है, दूसरी ओर दैविक प्रकोप भी है। उसके साथ ही सरकारी प्रकोप का भी वहां की जनता को शिकार होना पड़ रहा है।

अब मैं मिर्जापुर की एक बात कहना चाहता हूं। वहां पर जो सीमेंट की और अल्मूनियम की फैक्ट्री है उसमें भी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसमें मुश्किल से ६ प्रतिशत कर्मचारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। शेष दूसरे हिस्सों के हैं। आज उस जिले की जनता की हालत बहुत दयनीय है। वहां की एक बहुत ही दर्दनाक घटना जो १६–२–७० को घटी वह मैं बताना चाहता हूं। वहां के श्री आशाराम, एक अध्यापक के भतीजे को जो छठी क्लास का विद्यार्थी था कुत्ते ने काट लिया। डाक्टर ने उसके कुत्ते काटे की नकली सुइयां लगायीं। नतीजा यह हुआ कि १६–२–७० को उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गयी। डाक्टर लोग जो जीवन–दान देते हैं उनका यह कार्य वहां पर हुआ।

इसके अलावा हमारी सरकार राष्ट्रीयकरण की बड़ी बात करती है। मिर्जापुर में एक मिर्जापुर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लि० है। एक प्राइवेट कम्पनी को १३ नये पैसे प्रति यूनिट पर उसका ठेका दे रखा है। वह बिजली कम्पनी ज्यादा रेट पर वहां के नगरवासियों को बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

सप्लाई करती है। वहां के लोगों ने बिजली कम्पनी को पैसा देना बन्द कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकार उस कम्पनी को अपने हाथ में ले ले। वह उसका पैसा सरकार को देने को तैयार हैं या राज्यकोष में जमा करने को तैयार हैं, लेकिन उस कम्पनी को देने को तैयार नहीं हैं। उस कम्पनी ने लाखों रुपयों का मुनाफा कमाया है। राज्य विद्युत परिषद् का उस पर ७ लाख रुपया बकाया है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हजारों लोगों ने जिलाधीश के सम्मुख विवाद प्रस्तुत कर दिया है। कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जनता उसका विरोध कर रही है। सरकार के सामने भी उसका प्रतिनिधि आ चुका है। लेकिन सरकार ने उस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया, न राज्य विद्युत परिषद् ने ही कोई कदम उठाया है। वहां पर जो सूखे और बेकारी की स्थिति है, वह बहुत ही नाजुक है। हम बिजली के लिए और पानी के लिये तरसते रहते हैं, हमारे खेत सूखे रह जाते हैं, जबकि पड़ोसी जिलों के खेत हरे भरे रहते हैं। क्योंकि उन जिलों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि उनकी ऐसी ही उपेक्षा होती रही, मैं यह अपनी जनता की तरफ से कह रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले भी आपके समक्ष तेलंगाना की भांति डटकर खड़े हो जायेंगे। यह हमारी चेतावनी है, आप समय रहते चेतें, वरना आपका यह स्वच्छ प्रशासन ध्वस्त हो जायगा। कोई भी सरकार हो यदि उसने उस पर ध्यान न दिया तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में एक तूफान आयेगा, ऐसा तूफान आयेगा जिसके सामने कोई भी सरकार टिक नहीं पायेगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं अगला कार्य-क्रम लेता हूं। एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री कृष्णानन्द राय जी का आया है। लेकिन उसका संबंध एक तो केन्द्रीय सरकार से है और दूसरे राज्यपाल से है, इस सरकार या इस शासन से उसका सम्बन्ध न होने के कारण उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है। आप अपने भाषण में इधर उधर से ये बातें कह सकते हैं। कार्य-स्थगन के लिये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वह उसमें नहीं है।

ग्राम सहंगिया, जिला सुल्तानपुर में हरिजनों के घरों को जलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरे दिनांक २७ का श्री छांगुर राम का सुल्तानपुर के बारे में है और यही शिवकुमार पांडेय का है—कि सुल्तानपुर जिले के थाना दोस्तपुर के ग्राम सहंगिया में हरिजनों के घर जलाये जाना, इस सूचना को नियम ५१ के अन्तर्गत हमने श्री शिवकुमार पांडेय जी का स्वीकार कर लिया है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी दिनांक ४ मार्च को अपना वक्तव्य देंगे।

इलाहाबाद में शस्त्रों का अवैध कारखाना पकड़े जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

बाकी किसी को मैंने स्वीकार नहीं किया है लेकिन केवल नित्यानन्द ,जी का कल यानी २ मार्च को लिया जाना स्वीकार कर लिया है। वह नियम ५१ में लिया है। वह यह है कि

"इलाहाबाद में शस्त्रों का एक अवैध कारखाना पकड़ा जाना"। बस बाकी सब अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह किस दिन के लिये रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

२ तारीख के लिये लिया है।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

इसके लिए तो आपको बधाई देता हूं कि मेरे नियम ५१ की सूचना को आपने स्वीकार कर लिया है। किन्तु इसके पूर्व मैंने जिला परिषद्, सुल्तानपुर के बारे में आपको नियम ५१ के अन्तर्गत नोटिस दिया था, जिस पर आपने शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देने के लिए आदेश दिया था?

श्री अध्यक्ष—

कौन-सा ? पिछले सत्र में दिया था ?

श्री शिवकुमार—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

वह तो सब अब समाप्त हो गया। इसके लिए अब आपको फिर से देना पड़ेगा और अच्छा हो कि आप उस विषय में सवाल कर लें और जानकारी हासिल कर लें।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, आप भी प्रबन्ध कर दें कि ३ दिन के अन्दर जवाब दे दें तो अच्छा हो।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सभी खाद्यान्नों पर ३ रुपया क्वींटल महंगाई बढ़ गई है इसकी वजह से सारी जनता में असन्तोष भरा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया, बाकी को तो मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

वह आप वैसे ही भेज दें मंत्री जी के पास।

श्री अध्यक्ष—

एक दिन में एक ही हो सकता है, इस पर आप बातचीत कर लें, महत्व का होगा तो मैं देखूंगा। अगर बहुत महत्व का होगा तो स्वीकार कर लेंगे। यह देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा महत्व का कौन-सा है।

श्री रियासत हुसैन—

पिछले डेढ़ महीने में हर चीज में महंगाई बढ़ गयी है। कर्मचारी वर्ग, मजदूर वगैरह सब परेशान हैं।

मैंने दिया है कि झुलसे की बीमारी से तीस जिलों में खड़ी गेहूं की फसल मारी गयी है। इस सिलसिले में स्टेटमेंट आ जाय यह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

झुलसे वाला किसी रोज ले लेंगे क्योंकि यह महत्व की चीज है।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक दफा ५१ में बस्ती के जिलाधीश के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया है। वह केवल भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नहीं है। उसमें हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्य पांडेय जी की सुरक्षा का भी सवाल है क्योंकि उन्होंने जिलाधीश के खिलाफ कुछ कार्यवाही की जिस पर उनको धमकी भी दी गयी। इसलिए उस पर भी विचार होना चाहिये। कृपया आप उसको देख लें।

श्री अध्यक्ष—

वह मुझे आप या दिला दीजिये। सदन खत्म होने पर मैं अपने कमरे में चलूंगा आपके साथ। उस वक्त मार्क कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

श्री जगवीर सिंह।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

नियम ५१ के प्रश्नों का क्या हुआ? आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की जो हड़ताल एक महीने से चल रही है उसके संबंध में दिया था। हजारों विद्यार्थी आज कालेज से बाहर हैं। उनकी केवल एक मांग है कि किसी विश्वविद्यालय से उनके कालेज को सम्बद्ध कर दिया जाय। ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार मंजूर न कर सके। (व्यवधान) मैं आपके कमरे में दस बार आऊंगा, आप चाय पिलाइये। हजारों विद्यार्थी आज दर दर भटक रहे हैं। १९६६ में, १९६७ में सरकार आश्वासन दे चुकी है कि उनके कालेज को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायगा, लेकिन उस आश्वासन पर काम नहीं हो रहा है। विद्यालय बन्द पड़े है, विद्यार्थी भटक रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व का समझें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपका एक बड़ा भारी प्रश्न स्वीकार कर लिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा क्या कसूर है अगर इलाहाबाद में शस्त्रागार पकड़ा जाय। स्वीकार करके आपने बड़ी कृपा की लेकिन इस पर भी आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

मैंने नियम ५१ के अन्दर एक सूचना दी है। यह इतने महत्व का प्रश्न है। गन्ना इस समय लकड़ी के भाव से कम कीमत पर बिक रहा है। छोटा कृषक इससे बहुत परेशान है। सरकार कह रही है कि १० रुपये का रेट दिलवाया है और वहां ४ रुपया का रेट चल रहा है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। रामपुर रजा शुगर फैक्टरी रिजर्व एरिया के बाहर पंतनगर

यूनिवर्सिटी और प्राग फार्म का गन्ना भी ले रही है। जिसके फलस्वरूप क्रशर्स दो ढाई रुपये में किसानों का गन्ना परचेज कर रहे हैं। वहां की जनता के अन्दर बेचैनी फैली हुई है। यदि सरकार ने बहुत जल्द निर्णय नहीं लिया तो कृषकों की बहुत बुरी दशा होगी। गन्ने का सीजन खत्म हो रहा है। या तो गन्ना सूख रहा है या दो ढाई रुपये में क्रशर्स को बेचना पड़ रहा है। हमारे चौधरी साहब विशेष रूप से किसानों के हितैषी हैं। वह किसानों के हित में यह क्या कर रहे हैं? यह अन्याय है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह जो आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना है, आप उसको वक्तव्य के लिए रख दें। पिछली बार भी आयुर्वेदिक विद्यार्थियों ने एजिटेशन किया था। आप इस पर केवल वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

प्रश्न से यह हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेज दीजिये तो अच्छा होगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको वक्तव्य क लिये रख दिया जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसको वक्तव्य के लिये रख दिया जाय। यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बाद को विचार कर लेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने भी एक दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना भेजी थी चर्चा के लिये। उस सिलसिले में श्रीमान् जी का फैसला क्या है? पटेहरवा थाने में एक औरत को पकड़ कर बन्द कर दिया था, वह मर गई, तो उसी सिलसिले में था।

श्री अध्यक्ष—

इसी समय मैं उसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज के नेता विरोधी दल जायसवाल जी, जिनके भाषण को मैंने बहुत ही गौर से सुना था, इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि वह इस समय यहां सदन में होते। उनके पौने दो घंटे के भाषण में गान्धी शताब्दि की दुहाई दी गई और खान अब्दुल गफ्फार खां के विचार उन्होंने प्रकट किये। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं। उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि किसी विद्यार्थी को हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया जाता है वैसे ही उन्होंने

[श्री जगवीर सिंह]

हमको बताने की चेष्टा की। इतना ही नहीं बल्कि डाक्टर लोहिया की जीवनी की बहुत-सी घटनाओं को उन्होंने बताया लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने अपने पौने दो घंटे के भाषण में गान्धी शताब्दि के अवसर पर एक शब्द भी शराबखोरी को बन्द करने के सम्बन्ध में नहीं कहा। इस के कारण मैं नहीं जानता, उन्हें उससे क्यों विशेष प्रेम है कि वह एक शब्द भी उस सम्बन्ध में नहीं कह पाये। उनको गान्धी शताब्दि से जब इतना प्रेम हो गया था तो उस सम्बन्ध में उन्होंने क्यों नहीं कहा, वह स्वयं ही उसको जानते होंगे। एक बात मैं अवश्य जानता हूं कि गान्धी जी का अपना एक स्वप्न था और उसको वह अक्सर कहा करते थे कि इस देश का वह भाग्यशाली दिन होगा जब इस देश के किसान का बेटा इस प्रदेश या देश का मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति होगा। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का भाग्यशाली दिन है कि जब इस प्रदेश में किसान का बेटा यहां मुख्य मंत्री के आसन पर बैठा हुआ है। उधर के दोस्तों को इन्कार हो सकता है लेकिन कम से कम मैं कह सकता हूं कि जनता आज ऐसा ही मानती है।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बहुत छोटा-सा ही अभिभाषण है जिसमें किसी नीति का विस्तार से उल्लेख नहीं है। उसमें केवल संक्षिप्त मात्रा में ही बातें बताई गई हैं। मैं समझता था कि हमारे विरोधी मित्र कुछ सच्ची बातें इस सदन में कहना सीखेंगे लेकिन उन्हीं समाजवादी बातों को, जिनकी चर्चा वह दिन रात किया करते हैं, जिन नीतियों को अपना कर उनके दल काम करते हैं और समाजवाद की स्थापना की बात बतलाते हैं। यदि उन्हीं कार्यों को हमारी सरकार करती है तो वह समाजवाद की बातें नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चा थी इस बात की कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये शक्कर मिलों का। मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो मांग उन्होंने विरोधी दल के नेता की कुर्सी से की थी इस कुर्सी पर आने के बाद एक हफ्ते के अन्दर उसका ऐलान कर दिया और यही नहीं, उन्होंने एक कमेटी भी बिठा दी और रिपोर्ट के लिये टाइम लिमिट कर दी कि इस कमेटी को एक महीने के अन्दर रिपोर्ट देनी होगी। माननीय गेंदा सिंह जी बहुत समय से इस मांग के अगुवा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग भी यह मांग करते रहे हैं। इसी से नीयत का अन्दाजा होता है, एक विचार का अन्दाजा होता है। अब अगर उधर के बैठने वाले दोस्त यह कहने लगें कि यह कदम समाजवाद से दूर ले जाने वाला है तो इसका फैसला अध्यक्ष महोदय, आप कर सकेंगे। यह कदम उनका होता तो अच्छा था और हमने अगर यह कदम उठाया है तो अच्छा कदम नहीं है। जायसवाल जी ने अपने भाषण में एक शब्द कह दिया होता कि यह कदम समाजवाद की ओर ले जाने वाला है, कम से कम हमारी नीयत है समाजवाद के स्थापना की, तो सन्तोष होता।

यहां पर लगान की बात बहुत जोरों से की गयी। समाजवादी पार्टियों की मांग है कि अलाभकर जोतों से लगान माफ हो। यह ठीक है कि सवा छः एकड़ पर की जोत से लगान माफी हो जाय तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर उससे कम जोत पर माफ हो तो भी अच्छा ही कहा जायगा और तब वह बात समझ में आ सकती है लेकिन यह कहना कि यह तो कुछ नहीं है, तो बात समझ में नहीं आती। सब बात को इन्साफन मानना चाहिये। जैसा गेंदा सिंह जी कह चुके हैं, हमारे प्रदेश के अन्दर १ करोड़ २२ लाख परिवार हैं जो खेती करते हैं। इससे ८० लाख व्यक्ति मुक्ति पायेंगे और इसके लिये मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। आप लोग जब इन कुर्सियों को सुशोभित करते थे तो फर्टिलाइजर पर ३ प्रतिशत सेल्स टैक्स लगाया था। (शेम शेम) हमने उस सेल्स टैक्स को खत्म कर दिया तो क्या इससे छोटा किसान लाभान्वित नहीं होगा ?

श्री राजितराम पाण्डेय—

छोटे किसान को इससे फायदा नहीं होगा।

श्री जगवीर सिंह---

मेरा कहना है, होगा। हमारे मित्र कहते आये हैं कि किसान को इंसेटिव मिलना चाहिये और इसके लिये उसे मिनिमम इकोनामिक फेयर प्राइस मिलनी चाहिये। इस सरकार ने आते ही निश्चय किया कि रबी की फसल में ३ लाख टन गेहूं खरीदेंगे और इस नीयत से खरीदेंगे ताकि किसान के गेहूं की कीमतें नीचे न गिरने पायें। तो इससे क्या किसान को इंसेटिव नहीं मिलेगा? इस सरकार के इस ठोस कदम से किसान को उसकी पैदा की हुई चीज का उचित दाम मिल सकेगा।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में इस बात का जिक्र नहीं है कि किस कीमत पर गेहूं खरीदा जायगा। "उचित कीमत" की बात कही गयी है। मेरा निवेदन है कि जब उचित कीमत तय की जाय तो सब इन्स एंड पुट्स का हिसाब लगाया जाय ताकि किसान को उसकी मजदूरी ठीक तरह से मिल सके और किसान का इंसेटिव ज्यों का त्यों बना रहे। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस समय हमारे सामने बैठे हुये व्यक्ति जब यहां पर बैठे हुये थे तो उन्होंने पासबुकों के बांटने का ऐलान किया था। तो मेरी जहां तक मालूमात हैं, उनकी बिना पर कहता हूं कि उसकी कीमत एक रुपया आई थी। उस सरकार ने किसानों के साथ व्यापार किया था और एक के बजाय तिगुने पैसे लिये थे। जिस समय यह सरकार ताकत में आई और चौधरी साहब ने कुर्सी संभाली तो उन्होंने कहा कि जिस कीमत पर पासबुक तैयार कराई हैं वही पैसा गरीब किसानों से लिया जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जायसवाल साहब ने जहर फैलाने की बात की। उन्होंने पूरब और पश्चिम की बात कही। मैं आप के माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि यदि वे इस जहर को न फैलायें तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने चौधरी साहब को पूरब का दुश्मन और पश्चिम का दोस्त कहा। अगर मैं आप से यह कहूं कि चौधरी साहब के मुख्य मन्त्री होने से पश्चिम वालों को उल्टे नुक्सान रहा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। गरीबों के लिये उन अंचलों का जिक्र किया गया है जो पिछड़े हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐलान होने के बावजूद इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका कि पश्चिम के गरीब लोगों को कम पैसे में न्याय मिल सके। इस बार अवश्य उन्होंने ऐलान किया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

मुझे आशा है कि यह सरकार अच्छा शासन देगी। जायसवाल जी को उससे बड़ा डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी दमन नीति चलेगी। जब आप अच्छा काम करेंगे तो क्यों चलेगी? जिस दिन से उन्होंने कुर्सी संभाली है क्या उस दिन से बेईमान आदमी परेशान नहीं होने लगा है, क्या कोर्ट्स में रिश्वत आधी नहीं रह गई है? आज बेईमान आदमी कांप रहा है, बेईमान अफसर छुट्टी ले रहे हैं। हर बेईमान आदमी हर समय परेशान रहता है। (व्यवधान) कुछ ठेकेदार लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। चौधरी साहब का मंशा यह कभी नहीं हो सकता कि ईमानदार आदमी परेशान हो, गरीब जनता परेशान हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री द्वारा प्रश्नोत्तर के समय दिये गये अपने एक उत्तर का शोधन

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को एक सूचना देनी है। मैंने जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि श्री आर० एन० शर्मा कमीशन की रिपोर्ट समयाभाव के कारण पेश नहीं की जा सकती। इसके बाद मुझे दफ्तर से यह पता लगा कि यह रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन की मेज पर रखी जा चुकी है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मंत्री जी बिना एजेन्डा के ही बोल गये। यह किस नियम के अन्तर्गत उन्होंने सूचना दी है ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

प्रश्न के उत्तर का संशोधन तो इस तरह से अनायास मंत्री जी सदन म नहीं रख सकते। उसके लिये तो बाकायदा एजेन्डा में उनको लाना होगा। उसकी सूचना तो विधिवत् देनी होगी। जिस तरह से उन्होंने सूचना दी , वह अनियमित है।

खाद्य तथा रस : मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

आपको सूचना तो प्राप्त हो गयी। उस में अगर किसी नियम का पालन नहीं हुआ है सो वह भी हो जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

चाहे नियम के अन्तर्गत हो या न हो। इस सदन को तो आपने चौपाल ही बना दिया।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको संभवत: याद होगा कि प्रात:काल जब विकल जी ने उसको सदन के पटल पर रखने के लिए मंत्री जी से कहा था तो मंत्री जी ने कहा कि समय की कमी है। यह उनका बयान बिलकुल गलत था। आपके सचिवालय से उनकी गलती को बताया गया और उन्होंने एक स्टे मेंट दे दिया। उनको इसके लिये सदन से माफी मांगनी चाहिये थी। मित्थल साहब गये, उन्होंने एक कागज उनको दे दिया और उन्होंने उसको पढ़ दिया, यह सदन का अपमान है। क्या मन्त्री जी ने उस सूचना को पढ़ने से पहले आपसे कोई आज्ञा मांगी थी ?

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि मैंने समझा कि वह बोलने के लिये खड़े हुये हैं। इस स्टेटमेंट की बाबत मैं समझता था कि जब हाउस ५ बजे खत्म होगा, तब इजाजत लेकर इसको प्रस्तुत करेंगे। आप को भी इतना तो करना ही चाहिये कि कोई मंत्री नये हैं, किसी प्रथा को जानते नहीं हैं, आप बता दें। वह खड़े हो गये और मैंने समझा कि वह भाषण देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, बहुत से नये मंत्री अगर हाउस की पद्धति से अनभिज्ञ हैं, तो आप उनके लिये एक एक्स्ट्रा क्लास चलवा दें कि वे पद्धति को सीख लें।

श्री अध्यक्ष---

आपके ऊपर भी ऐसा प्रसंग आ सकता है। आपसे भी गलती हो सकती है।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला बिजनौर)---

मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके लिये वे खेद प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष---

अगर किसी की समझ में न आये तो मैं उनको समझा सकता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव---(क्रमागत)

श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष जी, आपकी कृपा है कि ५ मिनट का समय मझे दिया गया है। जो राजे महाराजे हैं वह गरीबों के बारे में इजहार करें यह ठीक नहीं है। श्री जगवीर सिंह हमारी पार्टी के टिकट पर आये थे और उनके पास हजार डेढ़ हजार बीघे का फार्म है। इसी कारण जब धन

धरती के बांटने का सवाल आया और यह कहा गया कि २० एकड़ से ज्यादा सीलिंग नहीं होगी तो पार्टी छोड़ कर चले गये थे और दल बदलू हो गये।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

प्वायन्ट आफ आर्डर, सर। मेरे पास हजार बीघा जमीन नहीं है।

श्री राजितराम पांडेय—

आपके पास नहीं होगी तो आपके बेटे के नाम होगी या पत्नी एवं अन्य परिवार वालों के पास होगी।

अध्यक्ष जी, आप ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं और जब मैं आप को देखता हूं तो माळवीय जी की शकल याद आ जाती है। इस आजादी की लड़ाई में जिससे स्वराज्य आया है, दलबदलू लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं की है, और वह उस समय अंग्रेजों के साथ रहे हैं, मैंने अंग्रेजों के ऊपर गोली चलाई है और जेल काटी है।

श्री अध्यक्ष—

व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री राजितराम पांडेय—

आज इन्दिरा जी दिल्ली से गान्धी जी का नाम पुकार रही हैं। कांग्रेस का ढिंढोरा पीट रही हैं। सन् १९३१ में कांग्रेस से गांधी जी ने कहा था कि लगान देना पाप है और इस बात को आपने भी कहा था और राजर्षि टन्डन ने भी कहा था। इसी बात को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि लगान की माफी होनी चाहिये लेकिन जब ६ १/४ एकड़ का सवाल आया तो क्या किया गया यह आप के सामने है। जब मैं लगान की बात सुनता हूं तो मेरा खून खौलता है। जब चौधरी चरण सिंह साहब आये तो ३ १/८ एकड़ की माफी की गई। तो अभी २० साल तक लगातार चौधरी साहब नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने गरीबों का गला नहीं घोंटा है। वह किसानों के वफादार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने खाद के दाम कम कर दिये हैं लेकिन कौन नहीं जानता है कि खाद फार्म वाले ही इस्तेमाल करते हैं। यह खाद जो हजार डेढ़ हजार बीघे हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। (सदस्यों की ओर इशारा करके —आप लोग हंसिये मत)।

श्री अध्यक्ष—

किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना ठीक नहीं है।

श्री राजितराम पांडेय—

जिसकी लगान देने की हैसियत नहीं है वह खाद इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चौधरी चरण सिंह पानी और बिजली की बहुत बात करते हैं, खाद की बात करते हैं। मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि २० साल तक लगातार पंडित जवाहर लाल नेहरू इसी तरह से प्रधान मंत्री बने रहे। उनको अपनी गद्दी बचानी थी और इसीलिये वह इलाहाबाद के रहने वाले होकर भी पूर्वी क्षेत्र के बारे में कभी नहीं बोले। लेकिन मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिले आजादी की लड़ाई में सब से आगे रहे हैं, चाहे वह बलिया हो, जौनपुर हो या इलाहाबाद ही हो। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भी पूर्वी जिलों का लोहा माना और उनको चाहे वह जौनपुर हो, बलिया हो या इलाहाबाद हो, सबने करारी टक्कर दी। इन पूर्वी जिलों को अंग्रेजों ने बर्बाद किया। हमारे मरहूम पन्त जी आज नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी यह बात मानी थी कि आजादी की लड़ाई में पूर्वी जिलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी एक सदस्य ने यह कहा कि एक हाई कोर्ट मेरठ में भी खुलने जा रहा है। क्या चौधरी चरण सिंह चाहते हैं कि हरियाणा और चंडीगढ़ की तरह से हमारे प्रदेश में भी हिस्से हो जायें। चौधरी साहब मेरठ में हाई कोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसके माने यह हैं कि उस भाग को प्रदेश से अलग करना चाहते हैं।

[श्री राजितराम पांडेय]

एक हाई कोर्ट लखनऊ में तो आ गया। इस तरह से मैं तो कहूंगा कि पूर्वी जिलों में भी एक हाई कोर्ट बनाया जाय, साथ ही साथ वहां पर एक असेम्बली भी बनाई जाय। अगर कांग्रेस की यही मंशा है कि प्रदेश का बटवारा करवा दे तो यही हो जाय। इसका नतीजा ज्यादा अच्छा नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरठ में हाई कोर्ट बनवाया जाय तो गोरखपुर में, बलिया में, रायबरेली में भी हाई कोर्ट बनाये जायें।

सवा ६ एकड़ के बारे में बताऊं। चौधरी चरण सिंह साहब दिल्ली में जो भवन बनवाने जा रहे हैं वह इन लोगों के रहने के लिये होगा जिसकी कीमत लाखों रुपयों में होगी। हमारे जो मंत्रीगण चुनकर आये ह उनके लिये काफी धन व्यय करके मोटर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इस प्रकार से धन का अपव्यय हो रहा है परन्तु हमारे चौधरी चरणसिंह साहब सवा ६ एकड़ का लगान माफी नहीं कर सकते। इसकी तरफ उनको अवश्य ध्यान देना चाहिये अन्यथा यह देश चलने वाला नहीं है।

आप किसानों की बात कहते हैं कि हम उनको राहत देंगे। और उनको बिजली आदि की राहत दी जायेगी। बिजली और पानी का दाम बढ़ाया गया। जब पिछली मर्तबा गुप्ता सरकार आई तो कमलापति जी के हाथ में बिजली विभाग दिया गया। उन्होंने पूर्वी जिलों को बिजली देने का आंकड़ा बांध दिया साथ ही बिजली की दरों को भी बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी कर दिया कि जो काश्तकार बिजली का कनेक्शन लेना चाहे वह पहले ५०० रु० दाखिल करे तब उसकी बिजली की दरख्वास्त कन्सीडर की जायेगी। यही नहीं, जिन सहायक इन्जीनियर को यह काम दिया गया वे भी बिजली देने के लिये दो-दो सौ रुपये घूस लेकर ही तभी काश्तकार को बिजली देते थे। इस प्रकार से यह हमारे गरीब काश्तकार को बिजली की राहत है और वह सब कमलापति जी के समय में उनके हाथों से हुआ। क्या कमलापति जी यह कह सकते हैं कि यह उनका काम नहीं था। दिल्ली में जवाहर लाल जी और यहां चौधरी चरण सिंह साहब और बहुगुणा साहब बड़े समाजवाद के ढिंढोरा पीटने वाले रहे हैं। बड़ा अत्याचार मचा हुआ है। चौधरी चरण सिंह भ्रष्टाचार मिटाना चाहते ह। अगर वे वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वे बतायें कि बहुगुणा साहब ने १४,००० आदमियों को ३ दिन तक खाना खिलाया है। वह पैसा उनके पास इलाहाबाद में कहां से आया ? जब कि इनके पास आय का कोई साधन नहीं है तब उन्होंने १ लाख रुपया लड़के की शादी में खर्च किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय हो गया। माननीय मदन मोहन मिश्र।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री राजित राम पाण्डेय—

मैं कहना चाहता हूं कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ हो।

(हल्ला मच गया)

श्री माता प्रसाद कानपुर के हैं। वे कांग्रेस में—पावर में रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

किसी का नाम न लें।

श्री राजितराम पांडेय—

वे बराबर हुकूमत में रहे हैं। हरिजन कमेटियों में क्या हुआ ? जितने उन कमेटियों में सदस्य थे वे सब हरिजन एम० एल० एज० थे। मैं यह कहता हूं कि इन लोगों ने हरिजनों का गला घोटा है।

(मेजें थपथपायी गयीं)

अध्यक्ष महोदय, मैं २ मिनट और चाहता हूं । डा० राम मनोहर लोहिया न इस समाजवाद के विषय में साफ-साफ कहा था । यहां हमारे गेंदा सिंह जी बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

पाण्डेय जी, अब आप बैठ जाइये--समय हो गया है ।

श्री राजित राम पाण्डेय---

मैं बताना चाहता हूं कि २५,००० रु० का दैनिक खर्च इन्दिराजी के घर का है । अगर वे इस रुपये को किसानों को दे दें तो कितना फायदा हो । २५,००० रु० में ३ ट्यूबवेल लगते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मदन मोहन मिश्र ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय सदस्य ने "चेयर सिंह" कहा था । क्या चेयर सिंह का मतलब किसी कुर्सी से है या और कुछ मतलब है ?

श्री राजित राम पाण्डेय---

मेरा मतलब चेयर यानी कुर्सी से है--कुर्सी से है ।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आपको मौका दूंगा ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मुझे यहीं बताना पड़ेगा कि मैंने जनसंघ क्यों छोड़ा ?

(विरोधी दल की बेंचों की ओर से किसी सदस्य ने जूता व चप्पलें श्री कन्हैयालाल सोनकर की ओर फेंकीं । तब अनेक सदस्य आवेश में अपने स्थान से उठकर सदन के बीच खाली स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री कन्हैया लाल सोनकर---

जूता फेंकते हो ।

(सदन में शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और २ मार्च, १९७० को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर सोमवार २ मार्च, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२७ फरवरी, १९७० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१–१०२ पर)

जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, मुरादनगर, मेरठ को स्वीकृत अनुदान

वर्ष	आवर्तक	अनावर्तक	योग
१९६४–६५..	..	..	..
१९६५–६६..	७१०१.००	५००.००	७६०१.००
१९६६–६७..	८९६१.८०	.. (पुस्तकालय अनुदान)	८९६१.८०
१९६७–६८..	९५७८.५०	४००.००	९९७८.५०
१९६८–६९..	१,२७११.००	(काष्ठोपकरण अनुदान)	१२,७११,००
योग ..	३८,३५२.३०	९००.००	३९,२५२.३०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५ पर)

तालिका 'क'

शिक्षण संस्था का वर्ग			संख्या	
			गढ़वाल कमिश्नरी	कुमाऊं कमिश्नरी
१—आधारिक विद्यालय	..	..	२३६३	२२७७
२—जूनियर हाई स्कूल	..	..	२६८	२९०
३—हाई स्कूल	..	..	६६	५४
४—इण्टर कालेज	..	..	४३	५०
५—डिग्री कालेज	..	..	४	५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर)

डी० ए० वी० इन्टर कालेज विल्थरा रोड, बलिया के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापकों की विवरण तालिका

क्रम० सं०	अध्यापक का नाम	पद का नाम	वर्तमान वेतन-क्रम	शैक्षिक योग्यता	विद्यालय में प्रथम नियुक्ति तिथि	प्रथम नियुक्ति का स्वीकृत वेतन-क्रम तथा प्रारम्भिक वेतन	स्थायीकरण की तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि को क्या पद को निम्नतम निर्धारित योग्यता थी	आयु के प्रमाण-पत्र क्या हैं
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु०			रु०			
१	श्री देवनाथ उपाध्याय	आचार्य	२५०–२५–४७५ –३०–६२५–५० –६७५	हाई स्कूल इण्टर, बी एस०सी। एम० ए०	१–४–१९४९	२५०–२०–४५० ३००–	३१–३–१९५०	जी हां,	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र
२	,, फतेहबहादुर सिंह	उपाचार्य, अर्थ	१७५–१०–२१५ १५–३५०	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए० एल० टी०	११–८–१९४८	१२०–६–१६८– ८–२००–	१–८–१९५१	,,	,,

उत्तर प्रदेश सभा

३	श्री वीरेन्द्र सिंह	प्रवक्ता इति०	१७५-१०-२१५-१५-३५०	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०	४–७–१९४९	१३०–००	१–८–१९५१			
४	,, अनिरुद्ध कुमार चतुर्वेदी	प्रवक्ता हिन्दी	१७५-१०-२१५-१५-३५०	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०, शास्त्री	१–१२–१९४८ अस्थायी १–७–१९४९ स्थायी	१२०–६–१६८–ई० बी०–८–२०० ९५-०० मासिक	१–७–१९५२	जी हां		प्रवेश परीक्षा प्रमाण-पत्र
५	,, ईश्वरशरण श्री०	प्रवक्ता मनोविज्ञान	,, ,,	हाई स्कूल, इण्टर बी० ए०, एम० ए०	७–७–१९५१	१५०–२५०–१३०	१–८–१९५२	,,		हाई स्कूल प्रमाण-पत्र
६	,, मो० रफीक	प्रवक्ता अंग्रेजी	,, ,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०, एल० टी०	८–७–१९५२	१२०–२००–१२०	१–११–१९५६	,,		,,
७	,, विश्वनाथ राय	प्रवक्ता गणित	,, ,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० एस० सी०, एम० एस० सी०एल०टी०	२०–७–१९५९	१२०–२०० १३२	१६–८–१९६१	,,	,,	
८	,, चन्द्रका प्रसाद सिंह	प्रवक्ता जन्तु-विज्ञान	,, ,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० एस सी०, एम० एस० सी०	७–११–१९६०	१२०–२०० १२०	६–७–१९६३	,,	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु०			रु०			
९	श्री नर्मदेश्वर मिश्र	प्रवक्ता संस्कृत	१७५–१०–२१५–१५–३५०	प्रथमा, साहित्य, शा० साहित्य रत्न	१–१–१९४६ १५–९–४९	२५-०० ७५–५–११०–६ १४०–७–१७५	१५–९–१९४९	जी हां,	प्रथमा परीक्षा
१०	,, फतला सिंह	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान	,, ,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० एस० सी०, एम० एस० सी०	१२–७–१९६६	१७५–३५०	१२–७–१९६७	,,	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र
११	,, दयाशंकर शुक्ल	प्रवक्ता गणित	,, ,,	हाई स्कूल इण्टर, बी० एस० सी०, एम० एस० सी०	१४–७–१९६६	१७५–३५० १७५	१४–७–१९६७	,,	,,
१२	,, रामअधार तिवारी	प्रवक्ता हिन्दी	१७५–३५०	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०, साहित्य रत्न	७–९–१९५५ अस्थायी ९–७–५८ स्थायी	१२०–२०० ८० ११०	८–७–१९५९	,,	जू० हा० स्कूल प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	श्री रामराज शुक्ल	प्रवक्ता, भौतिक-विज्ञान	२१५–५५०	हाई स्कूल, इण्टर, बी० एस० सी०, एम० एस० सी०	१६–८–१६६६	२१५–५५० २१५/–	..	जी हां		हाई स्कूल प्रमाण-पत्र	
१४	,, इन्द्रासनसिंह	प्रवक्ता, भूगोल	,, ,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए० एम० ए०, सी० टी०	१३–७–१६५३	७५–१७५ १०५/-मासिक	१–७–१६५५.	,,	,,	,,	
१५	,, कपिलदेव दुबे	सहायक अध्यापक	१२०–३००	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, बी० एड०	१३–७–१६५३	१२०–२०० १२०/–	१–११–१६५४	,,	,,	,,	नथिया.
१६	,, रामजन्म	,,	,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए, एल० टी०, एम० ए०	१३–७–१६५४	१२०–२०० १२०/–	१–१–१६५७	,,	,,	,,	
१७	,, रामचन्द्र सिंह	,,	,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एल० टी०	१–७–१६४७ अस्थाई ४–८–५५ अस्थाई	७५–१७५ का २/३ ५०/– १२०–२०० का दो तिहाई	६–७–१६५७	,,	प्रवेश परीक्षा प्रमाण-पत्र		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	रु०			रु०					
१८	श्री शम्भूनाथ मिश्र	सहायक अध्यापक	१२०–३००	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०, बी० एड०	९–७–१९५५ अस्थाई ५७–५८ में यहां नहीं थे	१२०–२००	८–७–१९५९	जी हां	हाई० स्कूल प्रमाण-पत्र
१९	,, दिवाकर	,,	,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, एम० ए०, सी० टी० साहित्य रत्न	८–७–१९४९	७५–१७५ ७५/–	१–८–१९५१	,,	,,
२०	,, मो० फकीम	,,	,,	आई० जी० डी० बम्बई	१२–७–१९५४	७५–१७५–५०/–	१–७–१९६०	,,	,,
२१	,, भोलानाथ सिंह	,,	,,	हाई कूल, इन्टर, शास्त्री	१–८–१९५१	७५–१७५ ७५/–	१–८–१९५२	,,	,,
२२	,, रामपरीखान यादव	,,	,,	हाई स्कूल, इन्टर, जे०टी०सी०	७–७–१९५९	७५–१७५ ७५/-	७–७–१९६०	,,	,,
२३	,, हृदय नन्दसिंह	,,	,,	बी० ए०, बी० एड०	१५–८–१९६० अस्थायी २–७–१९६५ स्थायी	१२०–३००–८०/–	४–७–१९६६	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२४ श्री गुलाबदत्तसिंह	स० अध्यापक	१२०–३००	हाई स्कूल, इन्टर, बी० एस-सी०, एम० ए०, एल०टी०	११–७–१९६० अस्थायी १–७–१९६५ स्थायी	१२०–३०० १२०।– १२०।–	१–७–१९६६	जी हां	हाई स्कूल प्रमाण पत्र	
२५ ,, कमलेश्वर शरण	,,	,,	हाई स्कुल इण्टर, बी० एस०सी०	२८–७–१९६२	१२०–३०० ११०।–	११–७–१९६५	,,	,,	
२६ ,, वंशीलाल राम	,,	,,	हाई स्कूल, इन्टर, बी० एस० सी०, पी० जी० डी	२२–७–१९६३	१२०–३०० १२०।–	२२–७–१९६४	,,	,,	
२७ ,, भुआल चौधरी	,,	,,	हाई स्कूल, इन्टर, बी० एस० सी०, बी० एड०	२१–८–१९६६ से ३०–६–६८ अस्थाई १४–८–६९ स्थायी	१२०–२४० १२०–। २५६	..	,,	,,	
२८ ,, गुलाबचन्द्रसिंह	,,	,,	हाई स्कूल, इन्टर, बी०एस०सी०	२०–७–६४ से ३०–६–६८ अस्थाई १४–८–१९६९ स्थाई	१२०–३०० १२०।–	,,	,,	,,	
२९ ,, गिरिश प्रसाद शुक्ल	,,	,,	हाई स्कूल, इण्टर, बी०एस०सी०	२ –७–१९६४ से १–७–१९६५ स्थायी	१२०।–	१–७–१९६६	,,	,,	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु०			रु०			
३०	श्री गुलाबचन्द्र मिश्र	स० अध्यापक	१२०–३००	हाई स्कूल, इन्टर, बी०एस०सी०	५–७–१९६६	१२०–३०० १२०।–	..	जी हां,	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र
३१	,, चन्द्रदीप प्रसाद मौर्य	,,	,,	,,	२३–७–१९६३	१२०–३००	२३–७–१९६४	,,	,,
३२	,, रामचन्द्र पाण्डे	,,	,,	,,	१३–७–१९६४ अस्थाई १–७–१९६५ स्थाई	१२०–३०० १२०।–	१–७–१९६६	,,	,,
३३	,, रामअवतार प्रसाद	पी० टी० अ०	७५–१७५	हाई स्कुल, शारीरिक शिक्षा	१–११–१९५९ १–११–१९६०	४०–०० मासिक ७५।– मासिक	१–११–१९६०	,,	,,
३४	,, बलरामजी	सं० अध्यापक	,,	हाई स्कूल प्रशिक्षण से मुक्ति	२६–८–१९४६ १–७–१९४८	७५–१७५ का दो तिहाई	१३–१–१९४९	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

उन जिलों के नाम जहां से वर्तमान सत्र में एल० टी० प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों का नामांकन किया है

फतेहपुर	जौनपुर
खीरी	हरदोई
फर्रुखाबाद	बस्ती
इलाहाबाद	सीतापुर
लखनऊ	मिर्जापुर
वाराणसी	गाजीपुर
उन्नाव	आजमगढ़
चमोली	पिथौरागढ़
टेहरी गढ़वाल	मेरठ
गढ़वाल	अल्मोड़ा
मुरादाबाद	बांदा
गोंडा	अलीगढ़
रायबरेली	मथुरा
पोर्टब्लेयर	प्रतापगढ़

नत्थो 'ड०'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११०–१११ पर)

जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६८–६९ में दिये गये अनुदानों का मदवार व व्यक्तिवार विवरण

मद	क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	स्वीकृत धनराशि	अनुपयुक्त धनराशि
			रु०	रु०
गृह निर्माण (अनुसूचित जाति)	१—श्रीमती भगवान देई	..	१,०००.००	
	२—श्री सोहन	..	१,०००.००	
	३—श्री पूरन	..	१,०००.००	
	४—श्री सुक्खन	..	१,०००.००	
		योग ..	४,०००.००	
गृह स्थल क्राय	१—श्री लोरी	..	२५०.००	
	२—श्रीमती दुलारी	..	२५०.००	
	३—श्री खूबी राम	..	२५०.००	
	४—श्रीमती भगवान देई	..	२५०.००	२५०.००
		योग ..	१०००.००	
कुटीर उद्योग (गृह उद्योग)	१—श्री गुलाब सिंह	..	२५०.००	
	२—,, राय सिंह	..	२५०.००	
	३—,, भन्ती	..	२५०.००	
	४—,, बुद्धू सिंह	..	२५०.००	
	५—,, सरदार सिंह	..	२५०.००	
	६— श्रीमती मृगा देवी	..	२५०.००	
	७—,, तेज पाल सिंह	..	२००.००	
	८—,, नवनिद्ध सिंह	..	२५०.००	
	९—,, राम कुंवर	..	२५०.००	
	१०—,, अयोध्या प्रसाद	..	२५०.००	
	११—,, लाल सिंह	..	२५०.००	
	१२—,, सामन्ती सिंह	..	२५०.००	
	१३—,, मंगला	..	२५०.००	
	१४—,, देवी सिंह	..	१५०.००	
	१५—,, परशुराम	..	२५०.००	
	१६—,, अनन्त राम	..	२५०.००	
	१७—,, भूप सिंह	..	२५०.००	
	१८—,, हर वंश	..	२५०.००	

१	२	३	४
		१६—श्री खचेड़ू सिंह ..	२५०.००
		२०—,, नन्द राम ..	२५०.००
		२१—, ओम प्रकाश ..	२५०.००
		२२—,, परसादी ..	२५०.००
		२३—,, गन सिंह ..	२५०.००
		२४—श्रीमती ओमवती देवी ..	२५०.००
		२५—श्री किशन लाल ..	२५०.००
		२६—,, नरायन सिंह ..	२५०.००
		२७—,, हरभजन ..	२५०.००
		२८—,, इकराम सिंह ..	२५०.००
		२९—,, धर्म पाल ..	२५०.००
		३०—,, मानदास सिंह ..	२५०.००
		३१—श्रीमती चन्द्रवती ..	२००.००
		३२—श्री हर प्रसाद ..	२५०.००
		३३—,, धनी राम ..	२५०.००
		३४—,, श्योराज सिंह ..	१७५.००
		३५—,, जगदीश ..	१७५.००
		३६—,, रम्मन लाल ..	१७५.००
		३७—,, राम सरन ..	१७५.००
		३८—,, बृजवासी ..	१७५.००
		३९—,, छोटे लाल ..	१७५.००
		४०—,, वीर सिंह ..	१५०.००
		४१—,, मुख राम ..	२५०.००
		४२—,, पुल्लू सिंह ..	२५०.००
		४३—,, श्रीमती नन्ही ..	२५०.००
		४४—श्री चन्द्र सेन ..	२५०.००
		४५—,, दया राम ..	२५०.००
		योग ..	१०,५००.०० रु०
पेय जल कूप (निर्माण)		१—श्री मोहन सिंह ..	३७५.००
		२—,, भगत सिंह ..	५००.००
		३—,, गंगू ..	५०० ००
		४—,, श्री जोधू ..	३७५.००
		५—,, बसन्त लाल ..	३७५.००
		६—,, मुकन्दी ..	१००० ००
		७—,, बाबू ..	१०००.००
		८—,, गोपाल सिंह ..	५००.००
		९—,, प्यारे ..	५००.००
		१०—,, परम सिंह ..	५००.००
		११—,, रोशन ..	५००.००

१	२	३	४
	१२—श्री नन्हू सिंह ..	३७५.००	
	१३—,, लीलाधर ..	५००.००	
	१४—,, बाबू राम ..	५००.००	
	१५—,, खचेड़ू सिंह ..	२५०.००	
	१६—,, बन्ने ..	३५०.००	
	१७—,, छोटे सिंह ..	३७५.००	
	१८—,, पूरन ..	३७५.००	
	१९—,, राम चरन ..	१,०००.००	
	२०—,, बुद्धा सिंह ..	७७५.००	४००.००
	२१—,, प्रेमराज सिंह ..	५००.००	
	२२—,, गोविन्द सिंह ..	५००.००	
	२३—,, ननवा ..	५००.००	
	२४—,, प्रधान, ग्राम सभा हेवतपुर	५००.००	
	२५—,, सरदार सिंह ..	३७५.००	
	२६—,, डोरी लाल ..	३७५.००	
	२७—,, राम प्रसाद ..	३७५.००	
	२८—,, झन्डू सिंह ..	३७५.००	
	२९—,, इतवारी लाल ..	५००.००	
	३०—,, डल्लू, पुत्र मल्लू ..	३७५.००	३७५.००
	३१—,, कालीचरन ..	५००.००	
	३२—,, मल्लू ..	५००.००	
	३३—,, केशरी ..	३७५.००	
	३४—,, बीघा ..	१,०००.००	
	३५—,, फुन्दन ..	५००.००	
	३६—,, धासी राम ..	५००.००	
	३७—,, मान सिंह ..	५००.००	
	३८—,, श्यो सिंह (नल निर्माण)	१२४.००	
	३९—,, झम्मन ..	२२५.००	
	४०—,, मटरू ..	२००.००	
	४१—,, सामले ..	२००.००	
	४२—श्रीमती लीलावती ..	२००.००	
	४३—श्री श्याम लाल ..	१७५.००	
	योग ..	२०,०००.००	७७५.००
हरिजन छात्रावास	१—श्री गांधी छात्रावास, अमरोहा	६,५९५.००	
	२—,, छात्रावास मालगोदाम रोड, चन्दौसी ।	४,२९९.६९	१,६८०.३१
	३—हरिजन छात्रावास, मुरादाबाद ।	१,४८०.००	१,४८०.००
	योग ..	१२,३७४.६९	३,१६०.३१

१	२	३	४
		रु०	
हरिजन प्राइमरी पाठशालायें	१—बाल्मीकी प्राइमरी पाठशाला, किसरौल ।	२,२१२.००	
	२—बाल्मीकी प्राइमरी पाठशाला, गलशहीद ।	१,०६२.००	
	३—बाल्मीकी प्राइमरी पाठशाला, पीरजादा ।	१,०६२.००	
	४—बाल्मीकी प्राइमरी पाठशाला, कठार ।	१,०६२.००	
		४,४८८.००	
समाज कल्याण मद (सिलाई मशीन के लिये)	१—श्रीमती साविरा ..	१६७.००	
	२— ,, मोहनियां ..	१६७.००	
	३— ,, पनविशरी ..	१६७.००	
	४— ,, फूलवती ..	१६७.००	
		६६८.००	

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

क्र० सं०	लिपिक का नाम व पद जो वर्ष १९६७–६८– व ६८–६९ में आगरा मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों से मंडल के बाहर स्थानान्तरित किये गये	कार्यालय जहां कार्य करते थे	कार्यालय जहां स्थानान्तरित किये गये	स्थानान्तरण आदेश की तिथि	आगरा मंडल के किस जिले में पुनः वापस किया गया	स्थानान्तरण आदेश की तिथि	आगरा मंडल में पुनः स्थानान्तरण करने का आधार
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, टीपा लेखक ।	जिला विद्यालय निरीक्षक एटा	जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत ।	२१–७–६७	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी	३१–१०–६८	उनकी पारिवारिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये अनुकम्पापूर्वक विचार करने पर ।
२	श्री एम०बी० जोशी टीपा लेखक	जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा	जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।	२१–७–६७	..	..	..
३	श्री राम निवास कटारा, टीपा लेखक	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा	मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक, बरेली ।	८–१०–६८	प्रधान लिपिक, राजकीय इन्टर कालेज, अलीगढ़	२१–४–६९	जनहित में ।
४	श्री पन्ना लाल शर्मा, शिविर लिपिक	जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा	जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर	८–१०–६८	जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा	२४–६–६९	जनहित में ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९–८० का उत्तर पीछे ११३ पर)

क्र० सं०	अनुदान ग्रहीता का नाम व पूरा पता	कार्य विवरण	भुगतान का धन	भुगतान की तिथि
१	२	३	४	५
			१९६५	
१	श्री भगेलू डोम, पुत्र श्री गोंगा डोम, ग्राम अमडोरिया, रामकोला ..	पेय जल कूप	२०० रु०	६–१२–६५
			१९६६	
२	श्री राम नाथ, पुत्र बादू हरिजन, ग्राम [illegible]रिया, रामकोला ..	हाथ नल	१३५ रु०	३१–३–६६
३	श्री सुकई, पुत्र चिखुरी, ग्राम खपहा, रामकोला	हाथ नल	७२ रु०	१७–२–६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२० पर)

तालिका 'क'

सहायता प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी स्कूलों को वर्ष ६८–६९ में अनुरक्षण अनुदान एवं महंगाई भत्ता अनुदान की तालिका

क्र० सं०	मण्डल का नाम	जिले का नाम	विद्यालय का नाम	वर्ष ६८–६९ में स्वीकृत अनुरक्षण अनुदान की राशि	वर्ष ६८–६९ में स्वीकृत महंगाई भत्ता अनुदान की राशि	स्तम्भ ५+६ का योग	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
				रु०	रु०	रु०	
१	मेरठ	मेरठ	नेहरू एकेडमी नर्सरी के० जी० स्कूल, नेहरु रोड ..	४,५२४	७५६	५,२८०	
२	,,	,,	नानक चन्द शिक्षा सदन, मान्टेसरी स्कूल, तिलक रोड	१,४८८	१६८	१,६५६	
३	,,	सहारनपुर	विश्व विद्यालय आदर्श बाल निकेतन, सिविल लाइन्स रुड़की ।	६,०१२	३००	६,३१२	
४	,,	,,	श्री गांधी बाल निकेतन, अम्बर तालाब, रुड़की ..	३,६६०	६३६	४,२९६	
५	,,	बुलन्दशहर	गांधी बाल निकेतन राजा बाबू पार्क के समीप ..	५,५५६	३४८	५,९०४	
६	,,	देहरादून	नन्हीं दुनिया, १० इन्द्र रोड ..	२,९१६	८६४	३,७८०	
७	,,	,,	लक्ष्मण भारतीय विद्यालय, ४ विष्णु रोड ..	१,७२८	६००	२,३२८	
८	,,	मुजफ्फरनगर	महिला सभा बाल मन्दिर नर्सरी स्कूल, नई मण्डी ..	४,३६८	४८०	४,८४८	
९	आगरा	आगरा	पं० बैजनाथ बाल मन्दिर मान्टेसरी स्कूल, देहली गेट	६,५१६	७२०	७,२३६	
१०	,,	,,	कमल शिशु मान्टेसरी स्कूल, १०७–ए, नार्थ विजय नगर कालोनी ।	५,२४४	५४०	५,७८४	
११	,,	,,	कस्तूरबा बाल मन्दिर महावीर नगर, फिरोजाबाद ..	५,१४८	५१६	५,६६४	

१२	आगरा	आगरा	श्री एम० एम० शर्मा बाल मन्दिर कुनियां, बारा लोहा मण्डी ।	२,४४८	३००	२,७४८
१३	,,	मथुरा	किशोरी रमन मान्टेसरी स्कूल	५,७४८	४९२	६,२४०
१४	,,	,,	चम्पा अग्रवाल बाल मन्दिर नर्सरी स्कूल डम्पियानगर	५,१८४	३६०	५,५४४
१५	,,	अलीगढ़	रघुवीर बाल मन्दिर रामघाट रोड	६,३६६	५६४	६,६६०
१६	,,	,,	श्री माहेश्वरी मान्टेसरी बाल मन्दिर, मदारगेट ..	७,५२४	६३६	८,१६०
१७	,,	बरेली	गुलाब राम मान्टेसरी स्कूल, नैनीताल रोड ..	३,७८०	४३२	४,२१२
१८	,,	,,	श्री विष्णु बाल सदन कालीबाड़ी	७,८६०	५६४	८,४२४
१९	इलाहाबाद	इलाहाबाद	जवाहर विद्यालय, ४३० सुभाषनगर ..	७,९४४	४४४	८,३८८
२०	,,	,,	नगर महापालिका नर्सरी स्कूल साउथ मलाका ..	१,७७६	..	१,७७६
२१	,,	कानपुर	महापालिका शिशु शिक्षा सदन, मैकानंगंज ..	८,९१६	..	८,९१६
२२	,,	जालौन	नेहरू बाल मन्दिर, उरई	३,८५२	३३६	४,१८८
२३	,,	इटावा	थियोसोफिकल मान्टेसरी इनफैन्ट स्कूल ..	४,१७६	४६८	४,६४४
२४	वाराणसी	वाराणसी	(दी वीसेन्ट थियासोफिकल स्कूल) शिशु विहार विभाग एनीबेसेन्ट, रोड कमच्छा	४,९०८	३३६	५२,२४४
२५	,,	मिर्जापुर	बाल शिक्षा, निकेतन तुर्री	..	..	..
२६	,,	जौनपुर	बाल शिक्षा निकेतन मान्टेसरी स्कूल, १३१, लाइन बाजार	६,५८८	३३६	६,९२४
२७	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ मान्तेसरी स्कूल, पुराना किला ..	५,११४८	१८०	५,३२८
२८	लखनऊ	लखनऊ उन्नाव	रानी शंकर (सहाय) मान्टेसरी स्कूल ..	५,०२८	३३६	५,३६४
२९	,,	हरदोई	बाल विहार नर्सरी स्कूल, महात्मा गान्धी मार्ग ..	६,४३२	२५२	६,६८४
३०	,,	सीतापुर	थियोसोफिकल मान्टेसरी स्कूल	८,५३२	३६०	८,८९२
३१	,,	सुल्तानपुर	नर्सरी स्कूल, सिविल लाइन	२,७८४	६१२	३,३९६
३२	,,	खीरी	श्री गांधी बाल उद्धन शिशु विद्यालय, बड़े डाकखाने के सामने ।	..	१५६	१५६
३३	,,	लखीमपुर खीरी	शिशु निकेतन गोला गोकरननाथ, लखीमपुर ..	२,८०८	३३५	३,१४४
३४	गोरखपुर	गोरखपुर	नर्सरी स्कूल सिविल लाइन्स	७,५००	६८४	८,१८४

१	२	३	४		५	६	७	८
					रु०	रु०	रु०	
३५	गोरखपुर	गोरखपुर	बी० एस० एस० नर्सरी स्कूल, बरहलगंज	..	४,१६४	४२०	४,५८४	
३६	,,	,,	दयानन्द शिशु सदन, बक्सीपुर ..	..	४,७२८	५१६	५,२४४	
३७	गोरखपुर	आजमगढ़	बाल निकेतन, मऊनाथ भन्जन ..	..	५,१९६	४९२	५,६८८	
३८	,,	बहराइच	मान्टेसरी स्कूल, मुहल्ला मेवतीपुर ..	..	४,४८८	३६०	४,८४८	
३९	नैनीताल	पौड़ी-गढ़वाल	माडल मान्टेसरी स्कूल, कोटद्वारा ..	..	२,१३६	४५६	२,५९२	
४०	इलाहाबाद	इलाहाबाद	लाजपत शिशु बिहार कल्याण देवी ..	..	१,९०८	३२४	२,२३२	
४१	बरेली	बरेली	बाल मन्दिर अन्तरिम जिला परिषद् ..	..	६,७०८	..	६,७०८	
				योग ..	१,९४,८२१	१६,६८०	२,११,५०१	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

नर्सरी एवं किंडरगार्टन हाईस्कूल को अनावर्तक पोषण अनुदान की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	स्कूल का नाम	स्वीकृत धन
			रु०
१	मुजफ्फरनगर	सरस्वती शिशु मन्दिर, मु० कुन्दनपुरा ..	२,०००
२	बुलन्दशहर	शिव लाल मंदिर, स्थाना ..	१,६००
३	अलीगढ़	बाल विद्यालय मान्टेसरी स्कूल, हरदुआगंज, कासिमपुर। ..	१,६००
४	सीतापुर	सुमित्रा मान्टेसरी शिशु विद्यालय ..	१,६००
५	आजमगढ़	मिल्लत नर्सरी स्कूल मऊनाथ भंजन ..	१,६००
६	बिजनौर	बाल सदन मान्टेसरी स्कूल नजीबाबाद ..	१,६००
		योग ..	१०,०००

तालिका 'ग'

शासन द्वारा स्वीकृत नर्सरी संस्थाओं को अनावर्तक अनुदान की तालिका

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत की गई धनराशि
			रु०
१	लखनऊ	राधा कमल मुकर्जी विद्यालय, मंदिर चन्द्रनगर, आलमबाग	५००
२	,,	सेंट मार्क्स स्कूल खवायर	१,५००
३	,,	चिल्ड्रेन स्कूल	१,५००
४	मथुरा	बाल शिक्षा विद्यापीठ	५००
५	मथुरा	अमर नाथ विद्या आश्रम	१,५००
५	मेरठ	मौलाना आजाब मेमोरियल मान्टेसरी स्कूल, हापुड़।	५००
७	,,	शिशु सदन, परीक्षितगढ़	१,०००

नत्थी 'अ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १४५ पर)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री रामकरन सिंह	१—प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि— १—जोत बही की कीमत एक रुपया से घटा कर निःशुल्क देने की घोषणा नहीं है।] २—प्रोफेशन टैक्स की समाप्ति की घोषणा नहीं है। ३—माध्यमिक शिक्षकों को वेतन सरकारी खजाने से दिया जाय, इसकी घोषणा नहीं है। ४—प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग को ध्यान में रख कर कोठारी आयोग लागू किया जायगा जिससे कम से कम प्रायमरी के अध्यापकों को १५० रुपये से कम वेतन नहीं मिलेगा, इसकी घोषणा नहीं है। ५—राज्य कर्मचारियों के वेतन सुधार के लिये आयोग के गठन की घोषणा भी नहीं है। ६—पंचायत मन्त्री की सेवा सरकारी की जाय तथा गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन में सुधार किया जाय, इसकी घोषणा नहीं है। ७—पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के विकास के लिये कोई विकास बोर्ड बने, इसकी भी घोषणा नहीं है। ८—सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध जांच आयोग के गठन की घोषणा नहीं है। ९—शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी की घोषणा नहीं है। १०—जिला परिषदों को भंग करके नये चुनाव की तत्काल घोषणा नहीं है। ११—स्वच्छ एवं सक्षम प्रशासन का सुधार कैसे हो, इसकी घोषणा नहीं है।"
श्री राम गोपाल संड	किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है :— १—राज्य कर्मचारियों को केन्द्र कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। २—माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगा। ३—प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कम से कम १५० रु० वेतन मिलेगा।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	४—सरकारी कर्मचारियों एवं अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के लिये प्रदेश के बड़े शहरों में मकान बनवाये जायेंग।
	५—इलाहाबाद की बाघम्बरा एवं ऐसी ही अन्य योजनाओं को पूरा कराया जायगा।
	६—इलाहाबाद के करेला बाग एवं नैनी की श्रमिक बस्तियों की समस्याओं का समाधान कराया जायगा।
	७—व्यवसाय कर को समाप्त कर दिया जायेगा।
	८—भूमि भवन कर की वापसी होगी।
	९—प्रयाग की पवित्र नदियों, गंगा एवं यमुना, में पड़ने वाले गन्दे जल की निकासी के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही होगी।
	१०—उत्तर प्रदेश की सीमा में स्वचलित संगणक (com utors) को किसी संस्थान में नहीं लगाने दिया जायेगा।
	११—सभी सरकारी कार्य हिन्दी में होंगे।
	१२—इलाहाबाद के मिन्टो पार्क में मालवीय जी की मूर्ति की स्थापना की जायेगी एवं पार्क का नाम महामना मालवीय उद्यान किया जायगा।
	१३—इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया जायेगा।
	१४—इलाहाबाद नगर महापालिका का चुनाव हो जाने पर चुने हुये प्रतिनिधि गृह मूल्यांकन करेंगे।
	१५—माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जायेगा।
	१६—पंचायत मन्त्रियों को कम से कम १२० रु० वेतन एवं सरकारी दर पर महंगाई भत्ता मिलेगा।
	१७—रामकृष्ण मिशन प्रयाग को चिकित्सालय भवन निर्माण के लिये ५० हजार का अनुदान देगी।
	१८—प्रयाग के क्षय अस्पताल में १०० शैय्या बढ़ाई जायेगी।
	१९—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा के नियम बनाये जायेंगे और उन्हें राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
	२०—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सभी परीक्षायें राष्ट्र भाषा हिन्दी के माध्यम से होंगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	२१—इलाहाबाद में अरैल घाट से श्री सच्चा आश्रम होती हुई श्री बल्लभाचार्य के आश्रम तक पक्की सड़क बनाई जायेगी।
	२२—बिजली कर्मचारियों को १९६६, १९६७, १९६८ का बकाया वेतन देने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय होगा।
	२३—इंजीनियरिंग कर्मचारियों, वस्त्र-उद्योग में लगे कर्मचारियों पर वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होंगी।
	२४—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा।
	२५—३० सितम्बर, १९६४ के पूर्व अवकाश प्राप्त करने वाले गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं कर्मचारियों को लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन दी जायेगी।
	२६—विधायक निवास के कर्मचारियों को भी महीने में ४ अवकाश एवं अन्य सेवा के नियम अन्य राज्य कर्मचारियों के समान करें जायेंगे।
श्री निर्भय नारायण सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
	किन्तु खेद है कि निम्नलिखित विषयों की चर्चा नहीं की गयी है:—
	१—जिला परिषद् तुरन्त भंग कर नये चुनाव की व्यवस्था करना।
	२—लेखपालों की नाजायज हरकतों को रोकने के लिये गैर-सरकारी जनवादी समितियों द्वारा नियन्त्रण।
	३—शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी कर प्रति व्यक्ति की परिवारिक सीमा १ लाख निश्चित करना।
	४—बिजली दरों को १० पैसे प्रतियूनिट के भाव से कृषि क्षेत्र में लागू करना।
	५—शिक्षकों को चेक द्वारा वेतन भुगतान करना।
	६—सभी पूर्वी जिलों में पटेल आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करना।
श्री रामधारी शास्त्री	अन्त में निम्न जोड़ दिया जावे :—
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा है कि :—
	१—सवा छः एकड़ या उससे कम के अलाभकर जोतों पर मालगुजारी की समाप्ति वाले अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित किया जायगा।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	२—कि वृत्ति-कर समाप्त करने वाले विधेयक को सदन में लाया जावेगा।
	३—कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतन देने का उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।
	४—कि दस दर्जे तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी।
	५—कि निम्नतम आय १५० रु० प्रतिमाह और अधिकतम आय १,५०० रु० प्रतिमाह के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जायगा।
	६—बेरोजगारों को बेकारी का भत्ता दिया जायगा।
श्री शिवदास	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—
	१—अलाभकर जोत (१० बीघे) का लगान माफ हो।
	२—किसी भी आवश्यक वस्तु की कीमत लागत के ड्योढ़ से ज्यादा न हो।
	३—अंग्रेजी भाषा समाप्त हो।
	४—पेशा-कर समाप्त हो।
	५—पचीस हजार रुपये तक की बिक्री पर से बिक्री-कर हटाया जाय।
	६—लाभकर जोत के तीन गुने से अधिक जमीन किसी के पास न हो।
	७—१५० रु० महीने से कम आमदनी किसी की भी न हो, १,५०० रु० महीने से अधिक आमदनी भी किसी की न हो।
	८—बेकारी समाप्त की जाय तथा बेकारों को बेकारी का भत्ता जीवन निर्वाह के लिये दिया जाय।
	९—जमीन उसी की हो जो जमीन को जोते-बोये, अन्य पेशा करने वालों की जमीन लेकर भूमिहीनों में वितरित की जाय। मिर्जापुर गोपालपुर फार्म जैसे कोआपरेटिव फार्म तोड़ कर भूमिहीनों में वितरित की जाय।
	१०—सिंचाई की दर घटाई जाय, बिजली किसानों को भी उसी दर पर दी जाय जिस दर पर हिन्डालकों में बिरला को दी जाती है।
	११—न्याय सस्ता, शीघ्र तथा सुलभ हो।
	१२—सिंचाई, खाद, बीज का प्रबन्ध किसानों के लिये किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री बेतराम गगवार]	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—
	१—संविधान एवं संसदीय परम्पराओं के विपरीत आचरण करके अल्पमत की किसान विरोधी सरकार गठित करने,
	२—सवा छः एकड़ तक की अलाभकर जोतों का लगान माफ करने तथा पास बुक (जोत बही) निःशुल्क देने,
	३—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करके तथा एक ओर मान्टेसरी किन्डर गार्टन जैसी संस्थायें और दूसरी ओर चुंगी और जिला परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों को बन्द करके प्रदेश के नागरिकों को एक जैसे स्कूलों की व्यवस्था करने,
	४—किसान को यह आश्वासन कि उसकी जोत की भूमि जो जमींदारी उन्मूलन कानून के पश्चात बची है, न लेवे।
	५—गन्ने का मूल्य प्रदेश में १५ रु० प्रति क्विन्टल करने,
	६—आयुर्वेद विद्यालयों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने,
	७—प्रदेश में सभी कर्मचारियों को कम से कम २०० रु० प्रतिमास वेतन देने,
	की घोषणा नहीं की।
श्री राम चन्द्र विकल	किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में—
	१—शहरी सम्पत्ति की सीमा पर कोई चर्चा नहीं की है।
	२—उद्योगों पर सीमा लगाने के सम्बन्ध में भी कोई चर्चा नहीं की है।
	३—परमिटों तथा बड़े वेतनों की सीमा लगाने पर कोई चर्चा नहीं की है।
	४—प्राइमरी अध्यापकों का वेतन १५० रुपया करने पर कोई चर्चा नहीं की है।
	५—हरिजन व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये कोई योजना नहीं रक्खी है।
	६—किसानों के गन्ने के दाम १५ रुपये क्विन्टल करने पर भी कोई चर्चा नहीं की है।
	७—मजदूरों को मिलों में बोनस तथा मकान आदि की सुविधा देने की चर्चा नहीं की है।
	८—किसानों की सिंचाई की दरें जिनमें नलकूप व नहरों की दरें सम्मिलित हैं कम करने पर कोई आश्वासन नहीं दिया।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री कल्यान सिंह	प्रस्ताव क अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण अभिभाषण में:— १—सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच का अधिनियम बनाने, २—प्रशासन को स्वच्छ, दक्ष, निष्पक्ष एवं सुदृढ़ बनाने की किसी व्यापक योजना तथा प्रशासन में व्याप्त फिजूल-खर्चों को समाप्त करने की योजना, ३—मन्त्रि-मण्डल के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सदन के पटल में रखने, ४—प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु 'प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि पर कार्य करने वालों की संख्या घटान के मूलभूत सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की व्यावहारिक योजना, ५—प्रदेश का औद्योगीकरण करने की स्पष्ट रूप रेखा। ६—उद्योगों और कारखानों के लाभ, प्रबन्ध, संचालन एवं उनके स्वामित्व की दृष्टि से "पैसे के समान पसीने" को पूंजी की मान्यता प्रदान करने के मजदूरों और तन्त्रज्ञों (टेक्नीशियन्स) को भी उद्योगों का स्वामी बनाने, ७—दैवी प्रकोपों (ओला, पाला, अतिवृष्टि, अना-वृष्टि तथा अग्निकान्ड आदि) और लोगों (रतुआ, चेंपा तथा पायरीला आदि) से फसलों को होने वाली महती क्षति से किसानों को त्राणें प्रदान करने हेतु फसलों का बीमा करने, ८—कृषि उत्पादनों (अनाज, गुड़ आदि) के मूल्यों और कल-कारखानों में निर्मित कृषि उपयोगी तथा दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में सन्तुलन, एकरूपता तथा समा ता (पैरिटी) बनाये रखने के लिये किसी योजना, ९—खाद्यान के न्यूनतम (लोएस्ट) तथा (हाइऐस्ट) मूल्यों जिनका अधिकतम अन्तर १५ प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न हो, के स्थिरीकरण की योजना। १०—अनाज और गुड़ आदि कृषि उत्पादकों के स्वच्छन्द स्वतन्त्र तथा निर्बाध आवागमन की नीति, ११—बढ़ी हुई सिंचाई की दरों, बीज, सिंचाई के साधनों, कृषि औषधियों कृषि उपयोगी यन्त्रों का मूल्य कम करने, १२—कृषि कार्य और लघु उद्योग-धंधों के लिये सस्ती दर पर बिजली प्रदान करने में प्राथमिकता देने,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	१३—निजी नलकूपों से अन्य किसानों को राजकीय नलकूप के सिंचाई क्षेत्र में भी पानी बेचने की छूट देने,
	१४—किसानों को सस्ती दर की व्याज पर ऋण देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखायें खोलने,
	१५—गन्ना उत्पादकों, मजदूरों और तन्त्रज्ञों (टेक्नीशियन्स) को गन्ना मिलों के प्रबन्ध, संचालन और स्वामित्व में साझीदार बनाने की दृष्टि से गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण (सरकारीकरण) करने के बजाय सहकारीकरण (कोआपरेटिवाइजेशन) करने,
	१६—किसानों को दी जाने वाली पास बुक के मूल्य ५० पैसा करने,
	१७—शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू करने,
	१८—हर हाथ को काम, हर खेत को पानी तथा हर रोगी को दवाई, हर बालक को पढ़ाई की योजना,
	१९—प्रदेश के बड़े पूंजीपतियों पर बकाया करोड़ों रुपये के टैक्सों को वसूल करने तथा कर वंचना की प्रवृत्ति को रोकने
	२०—बिक्री-कर को एक पदीय (सिंगिल प्वाइंट) करने,
	२१—हाई स्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क करने तथा प्रधानाचार्यों के पद का प्रान्तीयकरण करने,
	२२—२०० रुपये से कम आमदनी वालों के बच्चों को उच्चस्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,
	२३—समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त स्वरूप प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य परिलाभों के समान करने ।
	२४—वर्तमान भ्रष्ट प्रबन्ध समितियों के निरंकुश चंगुल से शिक्षा को मुक्त करने शिक्षा का शिक्षकीकरण करने,
	२५—प्राइमरी अध्यापक का न्यूनतम वेतन १५० रुपये मासिक करने,
	२६—प्राइमरी शिक्षा को जिला परिषदों के विनाशकारी चंगुल से मुक्त करके उसके संचालन एवं प्रबन्ध हेतु जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करने,
	२७—प्रदेश के सभी स्तरों के विद्यालयों में काम करने वाले गैर शिक्षक कर्मचारियों (चपरासी, जमादार, माली, दफ्तरी, लाइब्रेरियन, लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

के वेतन-क्रम, महंगाई भत्ता के मूल्य सूचकांक के अनुरूप संशोधित करके चपरासी आदि की सेवा नियमावली बनाने,

२८—सरकारी कोष से अध्यापकों के वेतन वितरण की प्रणाली चालू करने,

२९—अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के विकास के लिये विशेष सुविधा का सिद्धान्त लागू करने, योजना का २५ प्रतिशत भाग व्यय करने और उनके समुचित उत्थान के लिये निर्धारित एक करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर दस करोड़ रुपये करने तथा उन्हें भूमि प्रदान करने,

३०—६ १/४ एकड़ तक की भूमि वाले निर्धन किसानों का लगान माफ करने,

३१—गन्ना का मूल्य १५ रुपये प्रति क्विन्टल करने,

३२—पंचायत मन्त्रियों की सेवा नियमावली बनाने एवं उनके वेतन मान वर्तमान स्थिति की आवश्यकतानुसार संशोधित करने,

३३—ग्राम पंचायतों के आर्थिक साधन स्रोत बढ़ाने के लिये लगान का ५० प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को देने,

३४—शस्त्रास्त्र (बन्दूक, पिस्तौल एवं रिवाल्वर आदि) के लाइसेन्स स्वीकार करने की नीति को अधिक उदार बनाने,

३५—चोरी, डकैतियों और हत्याओं के बढ़ते हुये अपराधों की चिन्ताजनक स्थिति पर काबू पाने की प्रभावी योजना,

३६—नक्सलपंथियों, समाजविरोधी तत्वों, राष्ट्रद्रोही गति विधियों और साम्प्रदायिक शक्तियों की अराजकतापूर्ण तथा हिंसक कार्यवाहियों को समाप्त करने,

३७—दल बदल, वचन भंग और अवसरवादी राजनीति की प्रवृत्ति को रोकने की किसी प्रभावी योजना,

३८—चौकीदारों, कांस्टेबुल और थानेदारों के वेतन-क्रम संशोधित करने, कांस्टेबुल के रहने के लिये फेमिली क्वार्टर्स की व्यवस्था करने, और थानों के कार्य में कुशलता तथा तीव्रता लाने के लिये प्रत्येक थाने में जीप और टेलीफोन लगाने,

३९—पुलिस मैनुअल और कोड आफ पुलिस कण्डक्ट को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने,

४०—पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी, १९४७-४८ और यू० पी० पुलिस कमीशन, १९६०-६१ के प्रतिवेदनों में की गई अनुसंशाओं के अनुसार पुलिस विभाग को (१)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	शांति एवं व्यवस्था कायम रखने वाली और (२) इंवेस्टी-गेशन करने वाली दो अलग-अलग शाखाओं में पुनर्गठित करने, ४१—अलीगढ़ जिले की उपेक्षित और पिछड़ी हुई तहसील अतरौली के अन्तर्गत निम्नांकित सड़कों का आधु-निकीकरण (माडर्नाइजेशन) एवं नव निर्माण करने:— (क) अलीगढ़-राम घाट रोड, (ख) बिजौली-छर्रा रोड, (ग) अतरौली–कासगंज रोड, (घ) पनेटी–साकुंर रोड, (ङ०) अतरौली से अतरौली स्टेशन रोड (च) अतरौली से पालीमुकीमपुर हरदोई, आलमपुर, फतेहपुर, रोड, (छ) अतरौली गनियावली बरला रोड, (ज) नरौना चड़ौला–भवीगढ़, बरला रोड, (झ) हारनपुर कला से सांकुररा रोड, ४२—आर्थिक विकास और उन्नति करने के लिये अत-रौली तहसील में किसी उद्योग धंधे की स्थापना करने, ४३—धुर धारा क़े कानून में यथोचित संशोधन कर क़े अतरौली तहसील के हारनपुर कलां, किरतोली, अलिया नगला आदि ग्रामों में गंगा की धारा से उजड़े एवं पीड़ित किसानों को गंगा की दूसरी पार की भूमि प्रदान करने, ४४—प्रदेश की गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने और उसका विकास करने के लिये किसी ठोस कदम और व्यापक योजना, की घोषणा नहीं की है।"
श्री शिवानन्द नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित की चर्चा नहीं की :— १—अन्तरिम जिला परिषदों तथा जिला परिषदों को तत्काल भंग कर नये चुनाव करना, २—शिक्षा का राष्ट्रीयकरण तथा अध्यापकों को चेक द्वारा वेतन देना, ३—पहाड़ी क्षेत्र में संचार व्यवस्था को महत्व देना, ४—प्रस्तावित उत्तराखंड विश्वविद्यालय को श्रीनगर (गढ़वाल) में स्थापित करना, ५—उत्तराखण्ड की भांति शेष पर्वतीय जिलों में सभी समान सुविधायें प्रदान करना, ६—अखिल भारतीय पैटर्न पर आधारित होमगार्ड की व्यवस्था करना ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री अहमद उल्ला खां, श्री शमीम आलम, श्री काजी जलील अब्बासी. श्री मुमताज मोहम्मद खां, श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री अब्दुल गफार हाशमी तथा श्री रियासत हुसैन । (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उर्दू के विकास, प्रसार, प्रचार तथा उसके सरकारी व अदालती काम-काज में इस्तेमाल का कोई उल्लेख नहीं किया।"
श्री जगदीश गांधी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को १५० रुपया मासिक वेतन देने, २—अध्यापकों का वेतन नियमित रूप में सरकारी खजाने से देने, ३—प्रधानाचार्यों के पदों को स्थानान्तरित करने, ४—स्कूल व कालेजों में स्काउटिंग की शिक्षा को अनिवार्य करने, ५—शराब के कारखानों, दुकानों एवं बिक्री को समाप्त करने, ६—अश्लील साहित्य, सिनेमा एवं पोशाक को बन्द करने, ७—पेशा-कर को समाप्त करने, ८—भूमि-भवन कर को समाप्त करने, ९—दण्डित राज्य कर्मचारियों को पुनः काम पर वापिस लेने की घोषणा नहीं की गयी है ।
श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—नये प्रवेश पाने वाले एडवोकेटों के लिये ५०० रुपया की प्रवेश शुल्क से मुक्त करने, २—पेशा-कर की समाप्ति, ३—प्रदेश में व्याप्त बेकारी को दूर करने के उपायों, ४—प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों, ५—बदायूं जिले में किसी उद्योग-धंधे को खोलने, ६— बदायूं नगर में आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत भवन निर्माण योजना लागू करने, तथा

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	७--प्रदेश में अभारतीय एवं अराष्ट्रीय तत्वों का भारतीयकरण करने की घोषणा नहीं की है।
श्री रियासत हुसैन, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--- किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है:--- १--किसानों के गन्ने के मूल्य में वृद्धि अथवा उनके सुचारु रूप से बिकने की व्यवस्था, २--हरिजन एवं आदिवासियों के लिये सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ३--शिक्षा प्रणाली में हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा, ४--अलाभकर जोत सवा छः एकड़ तक से लगान की समाप्ति, ५--शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना, ६--शिक्षा प्रणाली में अध्यापकों को उचित समय व उचित ढंग से वेतन मिलना, ७--सरकारी कर्मचारियों को पे कमीशन रिपोर्ट आने तक उचित अन्तरिम रिलीफ दिया जाना तथा उनके रहने के लिये मकानों की व्यवस्था किया जाना, ८--दिन प्रति दिन बढ़ती हुई महंगाई का रोका जाना, ९--जनता को निःशुल्क और कम से कम समय में न्यायालय से न्याय का मिलना, १०--किसानों की खड़ी फसलों का बीमा किया जाना, ११--पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास परिषद् की स्थापना, १२--प्रदेश के घाघरा आदि नदियों में बाढ़ और कटान प्रतिवर्ष हुआ करती है, उसके रोक-थाम का प्रबन्ध, १३--गरीब जनता को निःशुल्क चिकित्सा, सहायता एवं दवा की व्यवस्था का प्रबन्ध होना १४--प्रदेश में उर्दू भाषा के विकास।
श्री राम प्यारे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--- किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:--- १--प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु, किसी ठोस कार्यक्रम की चर्चा नहीं की है।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	२—अल्प संख्यक समुदायों के हितों की सुरक्षार्थ कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है,
	३—बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु विकास परिषदों की गठन अथवा उनके विभिन्न समस्याओं को हल करके असन्तुलन दूर करने की चर्चा नहीं की है,
	४—राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किये जाने एवं उसके विकास की चर्चा नहीं की है,
	५—मिर्जापुर जनपद में गंगा नदी एवं कनहर नदी (दुद्धी) पर पुल निर्माण की योजना का समावेश नहीं किया है,
	६—मिर्जापुर जनपद के दक्षिणांचल स्थित दुद्धी एवं राबर्टसगंज की वर्षों से कब्जे में चली आ रही जोत की वर्ग–४ भूमि पर लगान लगाकर किसानों को काश्तकारी अधिकार दिये जाने की चर्चा नहीं की है,
	७—हरिजनों एवं आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य समस्याओं को हल करने हेतु 'हरिजन कल्याण परिषद्' एवं 'आदिवासी कल्याण परिषद्' की गठन की चर्चा नहीं की है,
	८—मिर्जापुर जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में जोत हदबन्दी में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अनुपजाऊ भूमि को देखते हुये भूमि दुगनी करने की चर्चा नहीं की है।
श्री चौधरी रामपालसिंह यादव, श्री गया प्रसाद, श्री रामचरण त्रिपाठी, श्री अवधेश कुमार, श्री जयराम यादव (प्रतापगढ़), श्री हरिवंश सहाय, श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री रामधारी शास्त्री, श्री शिव कैलाश, श्री भगेलू सिंह, श्री भाभी यादव, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:— १—पेशा-कर की समाप्ति का, २—माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को नियमित रूप से सरकारी खजाने से वेतन देने का, ३—गांव समाज की तराई भावर की और सीलिंग से प्राप्त जमीन को तथा वन विभाग की वन रहित भूमि को भूमिहीन हरिजनों व खेतिहर मजदूरों में बांटने का, ४—१८ प्रतिशत के उनके संरक्षण कोटे की पूर्ति के समय तक राजकीय सेवाओं में ४५ प्रतिशत हरिजनों की भर्ती का, ५—२५,००० रुपये तक का क्रय-विक्रय करने वाले किरानियों का बिक्री-कर का लेखा रखने से मुक्त करने का, ६—अल्पतम वेतन भोगी पंचायत मन्त्रियों का वेतन, भत्ता बढ़ाने का,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	७--सरकारी व उच्च न्यायालय तक के अदालती कामकाज से अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी को चलाने और उर्दू के उचित विकास के लिये सभी प्रकार की सहायता देने का,
	८--चीनी मिलों के समाजीकरण का,
	९--प्रदेश के प्रशासन को भ्रष्टाचार से पाक साफ करने के उपायों का,
	१०--प्राइमरी अध्यापकों का वेतन १५० रुपये मासिक करने का, और
	११--सस्ती सिंचाई और खाद की व्यवस्था करने का तथा ७ साल की निश्चित अवधि के भीतर सभी खेती लायक जमीन को पानी देने का उल्लेख नहीं किया।
श्री हिम्मत सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:
	किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में---
	१--संविधान तथा संसदीय परम्पराओं के विपरीत प्रदेश में वर्तमान सरकार गठित करने पर स्वयं खेद प्रकाश करने,
	२--अलाभकर जोतों (सवा छः एकड़) को लगान मुक्त करने तथा किसानों को पासबुक दिये जाने सम्बन्धी अध्यादेशों के वैधीकरण के लिये अधिनियम बनाने,
	३--सिंचाई की जो दरें कुछ दिन पूर्व बढ़ी थीं उन्हें वापस लेने,
	४--भूमि भवन-कर तथा पेशा-कर समाप्त करने,
	५--प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियमित वेतन देने का दायित्व ग्रहण करने,
	६--नौकरियों में हरिजनों के लिये सुरक्षित १८ प्रतिशत स्थानों के सिद्धान्त को कठोरता से पालन करने,
	७--हरिजनों, भूमिहीनों के लिये भूमि की व्यवस्था करने हेतु प्रभावी एवं समुचित पग उठाने,
	८--उत्तर प्रदेश से गोवंश की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने,
	९--राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन में दण्डित कर्मचारियों को बहाल करके पुनः नौकरी देने,
	१०--प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का न्यूनतम वेतन १५० रुपये प्रतिमास करने,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	११——गन्ने का न्यूनतम मूल्य १५ रुपये प्रति क्विन्टल करने तथा खेतों में खड़ा सभी गन्ना खरीदने की गारन्टी देने,
	१२——प्राइमरी शिक्षा को जिला परिषदों से मुक्त करके तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध की वर्तमान पद्धति को समाप्त करके प्राइमरी शिक्षा के लिये जिला स्तर पर तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रदेश स्तर पर स्वायत्त-शासी निकायों की स्थापना करने की
	घोषणा नहीं की है ।
श्री नित्यानन्द स्वामी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :
	१——पेशा कर की समाप्ति,
	२——दण्डित राज्य कर्मचारियों को पुनः बहाल करने,
	३——राज्य कर्मचारियों एवं स्वायत्त शासन कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने,
	४——अध्यापकों को सरकारी कोष से वेतन वितरण करने,
	५——प्राथमिक (प्राइमरी) अध्यापकों का न्यूनतम वेतन १५० रुपये प्रतिमास करने,
	६——नए प्रवेश पाने वाले एडवोकेटों के लिये ५०० रुपये की प्रवेश शुल्क से मुक्त करने,
	७——देहरादून में उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना करने,
	८——देहरादून में उत्तराखण्ड के लिये हाई कोर्ट बेंच की करने,
	९——हरिजनों को नौकरियों में १८ प्रतिशत सीटों को सुरक्षित करने,
	१०——श्रमिकों को महंगाई के अनुरूप जीवन निभाने योग्य वेतन दिलाने,
	११——बिक्री कर को एक सूत्रीय एवं सरल बनाने, तथा
	१२——बिजली की बढ़ी दरों को कम करने की घोषणा नहीं की गई ।
श्री मोतीलाल यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :
	किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में——
	१——प्रदेश के आर्थिक पिछड़ापन के कारणों तथा उसके समाधान पर समुचित प्रकाश नहीं डाला ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	२—श्री चन्द्रभानु गुप्त की जनप्रिय एवं प्रगतिशील सरकार द्वारा सवा छः एकड़ जोत वाले कृषकों को मालगुजारी से छूट देने तथा अन्य जनहितैषी जारी किये गये अध्यादेशों को विधेयक का रूप देकर कार्यान्वित करने का कोई संकेत तक नहीं किया।
	३—उत्तर प्रदेश के किसानों की सर्वतोमुखी उन्नति एवं उनकी समस्याओं के समाधान के उपायों का कोई जिक्र नहीं किया।
	४—सवा छः एकड़ तक जोत वाले किसानों तथा १०० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों की विश्व-विद्यालय स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया।
	५—मुसहर जाति के सर्वतोमुखी विकास एवं उनके बच्चों को शिक्षित करने की कोई विशेष योजना का जिक्र नहीं किया।
	६—प्रदेश के प्रत्येक ग्राम के विद्युतीकरण की योजना का उल्लेख नहीं किया।
	७—प्रदेश की पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में ४० प्रतिशत रिजर्वेशन देने की किसी योजना का जिक्र नहीं किया।
	८—प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व को प्राप्त करने हेतु हल जोतने वाले किसानों के प्रोत्साहन हेतु किसी योजना का जिक्र नहीं किया।
	९—जिला परिषद से प्राथमिक शिक्षा को अलग करने की कोई व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।
	१०—भ्रष्टाचार को रोकने एवं शिक्षा स्तर को ऊंचा करने हेतु गैर सरकारी मान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण करने की किसी योजना का जिक्र नहीं किया।
	११—प्रदेश के पूर्वी जिलों में सबसे पिछड़े जौनपुर जिले के विकास एवं जिलान्तर्गत प्रत्येक ग्रामों को शीघ्र विद्युत् कनेक्शन देने तथा सिंचाई के साधन के किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं किया।
श्री विजय बहादुर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—किन्तु
	१—पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में व्याप्त भीषण बेकारी, बेरोजगारी और असमानता दूर करने के लिये सरकार द्वारा उपेक्षा और भेद की नीति बरतने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में वहां की जनता में "तेलंगाना" (प्रवृत्ति) बढ़ रही है। पूर्वी प्रदेश के विकास के लिये महामहिम राज्यपाल

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	ने अपने अभिभाषण में कोई ठोस कार्यक्रम सरकार को अपनाने का उल्लेख नहीं किया है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों में यह भावना जोर पकड़ रही है कि क्यों न एक पृथक् राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्थापित किया जाय ।
	२—मिर्जापुर जनपद में आए दिन अवर्षण से अकाल का प्रकोप होता रहता है, वहां बेकारी, बेरोजगारी जनता में व्याप्त है, बेकार युवकों को नौकरी न मिलने के कारण निराश होकर आत्म हत्या करने के लिये विवश होना पड़ता है, रोटी के टुकड़ों के लिये माताओं को अपने नन्हें मुन्नों को चन्द रुपयों के लिए पशुओं की तरह बिक्री करने के लिये बिवश होना पड़ता है, वहां की विकट समस्या को हल करने के लिये राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बेकारों को नौकरी देने के लिये, भुखमरी से बचाने के लिये सामरिक स्तर पर कोई योजना का उल्लेख नहीं किया है ।
	३—मिर्जापुर जनपद में ओबरा विद्युत तापगृह तथा रेणु कोट बिजली घर है किन्तु बिजली की दरों में मिर्जापुर की जनता को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई इसलिये न तो यहां सिंचाई के साधनों का तथा लघु उद्योगों का विकास हो पा रहा है, नगरपालिका मिर्जापुर में बिजली वितरण एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा हो रही है, हां १-२-७० से बिजली कंपनी को सरकार अपने अधीन ले, इसके लिए जन आन्दोलन चल रहा है, ऐसी कंपनियों को जो जनहित में सरकार के आधीन होना चाहिये, इस प्रकार का उल्लेख राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है ।
	४—मिर्जापुर के दक्षिणांचल में राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी क्षेत्र में वर्ग ४ से तथा उससे उत्पन्न अनेक विवादों से हजारों गरीब किसान पीड़ित हैं, ऐसी समस्या के हल के लिये अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।
	५—जिला चिकित्सालय सदर मिर्जापुर में दिनांक १६ फरवरी, १९७० को एक अध्यापक श्री आशाराम यादव के भतीजे की मृत्यु अस्पताल के भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही से हो गई, वह बालक छठीं दर्जा का विद्यार्थी था। उसे अस्पताल के डाक्टरों ने कुत्ते काटने की नकली सुई दी, कुत्ते का विष नहीं हटा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई, ऐसे डाक्टरों के जघन्य अपराध की सजा सजाए मौत होनी चाहिये। इस प्रकार की नीतियों का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हुआ ।
	६—मिर्जापुर जनपद में व्याप्त बेकारी दूर करने के लिये जनपद की स्थिति देखते हुए यह आवश्यक है कि चुर्क सीमेंट

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	फैक्टरी, डाला सीमेंट फैक्टरी तथा सरकारी, अर्द्ध गैरसरकारी संस्थानों में जनपद के युवकों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाय और वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किसी भी आदेश का कड़ाई से पालन हो, इस प्रकार का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है ।
	७--पूर्वी उत्तर प्रदेश का साधन संपन्न जनपद जो कि अपार खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है, जहां एशिया का सबसे बड़ा विद्युत् तापगृह ओबरा और रेणुकूट हो, अपार वन संपदा हो, जिसका विकास राज्य और केंद्रीय स्तर पर किया जाय, तो समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद के विकास की आधार शिला बन सकता है उसका संबंध अन्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से जोड़ने के लिये मिर्जापुर में गगा पर पुल का निर्माण राष्ट्रहित में आवश्यक है, इस प्रकार के ठोस कदम उठाने का महामहिम राज्यपाल के भाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।
श्री त्रिवेणी सहाय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में-- १--गत वर्ष संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आए हुए भीषण बाढ़ में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त गोंडा जिले के बलरामपुर क्षेत्र जो उजाड़ होकर सरकार की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, पुरः हरा-भरा करने,
	२--गत वर्ष सरकार के इस निर्णय से कि इन्टर की परीक्षाओं में ५ विषय होंगे, लाखों फेल हुए विद्यार्थियों को प्रभावित होना पड़ा, जिसे लेकर प्रदेश में जबरदस्त हड़ताल व आन्दोलन किये गये, कितने ही विद्यार्थियों पर मुकदमें चलाए जा रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों पर से मुकदमे वापस लेने के संबंध में,
	३--राजनैतिक दलों में दल बदलने की प्रवृत्ति से हो रहे ह्रास से उत्पन्न समस्या के संबंध में,
	४--सवा छः एकड़ पर से लगान हटा लेने की घोषणा गुप्त सरकार द्वारा की जा चुकी है, उसको वर्तमान सरकार द्वारा लागू कराये जाने के संबंध में तथा जोतबही को निःशुल्क किसानों में वितरित किये जाने के संबंध में,
	५--दस साला लगान को बढ़ा कर २० गुना कर दिया गया है, उसे समाप्त करे बिना दस गुना अथवा बीस गुना लगान जमा किये हुए भूमिधर बनाये जाने के संबंध में,
	६--जिला परिषद् व सहकारिता विभाग में जनधन का अपव्यय हो रहा है, इन दोनों विभागों को तत्काल समाप्त किये जाने के संबंध में,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	७—मंत्रिमण्डल में अथवा किसी मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दिये गये आदेशों को मंत्रिमण्डल परिवर्तन होते ही परिवर्तन कर देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् तथा मंत्रियों के प्रति आस्था गिरती जा रही है, गत किसी मंत्रिमण्डल द्वारा दिये गये समस्त निर्णयों को यथा पूर्व लागू करने के संबंध में, ८—आयुर्वेदिक कालेजों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने तथा छात्रों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के संबंध में, कोई जिक्र या कोई घोषणा नहीं की गई है।
श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री राजितराम पांडेय तथा श्री राम चरण त्रिपाठी।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—सवा छः एकड़ तक की अलाभकर जोतों से लगान समाप्त करने के अध्यादेश को अधिनियम बनाने, २—इलाहाबाद जिले में जंघई–बारी रोड सैदाबाद-असढ़िया रोड, फूलपुर–सैदाबाद रोड, सिरमा–इमामगंज रोड तथा बस्ना–जंघई रोड को शीघ्र पक्का कराने, ३—इलाहाबाद जिला में फूलपुर एवं हंडिया में जनाना अस्पताल खोलने, ४—हंडिया तहसील के गंगा नदी के किनारे की जमीन को सिंचाई साधन उपलब्ध कराने, ५—फूलपुर एवं हंडिया तहसील में पर्याप्त नलकूप लगवाने, ६—जिला इलाहाबाद के जलविद्युत् विभाग के सहायक इंजीनियर के स्थानान्तरण एवं उसके खिलाफ आरोप की जांच कराने, ७—भूमि भवन कर एवं पेशाकर समाप्त करने, ८—जिला इलाहाबाद के धूनूपुर ब्लाक, जो टूट गया है, के भवन में अस्पताल खोलने, ९—फूलपुर–हंडिया क्षेत्र में गवर्नमेंट इन्टर कालेज खोलने, १०—प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन १५० रु० माहवार करने, ११—सस्ती सिंचाई की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री प्यारे लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि [अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया गया : १—कक्षा दस तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो, २—सभी शिक्षकों का वेतन राज्य कोष से दिया जाय, ३—रोडवेज के रनिंग कर्मचारियों को भी सभी छुट्टियां मिलें या ओवर टाइम मिले तथा उनके वेतन में बढ़ोत्तरी हो, ४—सिंचाई विभाग के छोटे कर्मचारी से जिलेदार तक के वेतन बढ़ें, ५—राज्य कर्मचारी, विधान सभा के कर्मचारी आदि का वेतन बढ़े, ६—परती व बंजर तथा जंगलात व सिंचाई विभाग की भूमि का भूमिहीनों में बंटवारा हो, ७—प्रत्येक खेत को पानी, बिजली व सड़कों से जोड़ा जाय, ८—रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५१ तक के बने मकानों पर लागू होने के बजाय १९६९ तक के बने मकानों पर लागू हो, ९—प्रदेश के पश्चिमी जिलों की ओगल व चौपे की समस्या सुलझाने हेतु बड़े पैमाने पर नाले खुदवाए जाएं, १०—श्रम यूनियनों की मान्यता कानून के बजाय मतदाता पेटी से हो, ११—निजी उद्योगों में तथा सभी तरह से छोटे से छोटे मजदूर व कर्मचारी का वेतन १५० रु० से कम न हो; १२—मिलों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, १३—गाजियाबाद नगरपालिका बहाल हो व जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार कमेटी बने, १४—इंप्रूवमेंट ट्रस्ट प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के कार्यों की देख-रेख हेतु एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी बने, १५—गन्ना ग्राम सेवक संघ की मांगों की पूर्ति के लिये भूतपूर्व कृषि एवं गन्ना मंत्री की घोषणा लागू हो ।
श्री छांगुर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया गया— १—ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के खत मजदूरों व गरीब किसानों पर होने वाले नित्य प्रति

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	के सामाजिक अत्याचारों, मारपीट व गाली-गलौज, इस प्रकार की घटनाओं के प्रति पुलिस तथा अधिकारियों की उपेक्षा और अक्सर अत्याचार करने वाले के साथ सहयोग, मजदूरों की कम, नाममात्र की मजदूरी व आवास इत्यादि की समस्या, जिसकी पराकाष्ठा ६ जनवरी, १९७० को सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाने के अन्तर्गत ग्राम संहिगिया की वह निन्दनीय तथा लज्जाजनक घटना है जिसमें भूतपूर्व जमींदारों ने पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े पूरी हरिजन बस्ती को जलाकर राख कर दिया,
	२—गांव समाज की भूमि व जोतों की हदबन्दी से प्राप्त भूमि आदि के भूमिहीन खेत मजदूरों एवं छोटी जोत वाले गरीब किसानों में १९५३ से अब तक हुए वितरण में होने वाली अनियमितताओं को दूर कर के उसके सही वितरण की ठोस योजना,
	३—सरकार द्वारा जोतों की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिये ३० एकड़ निर्धारित करना, सामाजिक न्याय तथा ग्रामीण जनता के सबसे उपेक्षित हिस्से के कल्याण की दृष्टि से अत्यधिक तथा अन्यायपूर्ण है, और इस सीमा को घटाकर १५ एकड़ तक ले आने की घोषणा,
	४—लगान की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करके उसकी जगह पर ऐसी भूमि-राजस्व व्यवस्था को लागू करना जिसके अन्तर्गत सवा छः एकड़ अथवा पक्के १० बीघे तक की जोतें सर्वथा लगान से मुक्त हों तथा उसके बाद भूमि के आकार और उससे प्राप्त होने वाली आय के आधार पर क्रमिक रूप से बढ़ती हुई दरों से लगाये जाने वाले नये भूमि राजस्व की व्यवस्था,
	५—अस्पृश्यता निवारण कानून का राज्य में सख्ती से पालन न किया जाना,
	६—सवा छः एकड़ तक की जोतवाले किसानों को सिंचाई के जल, उन्हें अपनी खेती उत्पादन में वृद्धि के लिये आवश्यक खाद, उन्नत बीज, कृषि उपकरण तथा यंत्र, कृषि कार्यों के लिए विद्युत्, ऋण, आदि की पर्याप्त मात्रा में तथा उचित और सस्ते दरों पर व्यवस्था की ठोस योजना,
	७—गन्ने तथा गुड़ के उचित मूल्य दिलवाने के लिये आवश्यक कदम।
	८—माध्यमिक शिक्षकों को सरकारी कोषागारों से वेतन दिलवाने, सी० टी० ग्रेड का वेतन अन्य प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापकों को दिलवाने तथा सरकारी और गैरसरकारी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में विभेद को समाप्त

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	करने तथा प्राथमिक शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की घोषणा, ९—हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, १०—पुलिस की मनमानी व राजनैतिक, सामाजिक कायकर्त्ताओं और जन आन्दोलन के प्रति दमनात्मक नीति को बदलने की घोषणा, ११—१९६७ के आन्दोलन के समय निकाले गये सरकारी कर्मचारियों को काम पर पुनः वापस लेने तथा सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों की पूर्ति, १२—आवश्यकता पर आधारित वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करके उसे लागू करने के उपाय, १३—बढ़ती हुई बेकारी व बेरोजगारी के निराकरण के लिये ठोस योजना, १४—हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान की ठोस योजना,
श्री राम पूजन पटेल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है : १—अलाभकर जोत ६। एकड़ तक की मालगुजारी की समाप्ति वाले अध्यादेश को अधिनियम बनाया जायगा, २—कृषि उत्थान हेतु बढ़ी हुई सिंचाई, खाद, बीज तथा कृषि संबंधी यंत्र की दरों के मूल्य में कमी की जायेगी, ३—प्रत्येक वस्तु के दामों में समानता लाई जायेगी, ४—हाई स्कूल तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । ५—शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को प्रबन्धकों के चंगुल से बचाने के लिये राष्ट्रीयकरण किये जाने की योजना। ६—अध्यापकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी करके शिक्षा स्तर ऊंचा करने । ७—जनपद इलाहाबाद के आनापुर इन्टरमीडिएट कालेज तक मंसूरबाद से तथा कल्यानपुर इन्टरमीडिएट कालेज तक सोरांव से पक्की सड़क बनवाने की योजना । ८—१९ फरवरी, १९७० ई० को जनपद इलाहाबाद के तहसील सोरांव के अन्तर्गत पड़े ओला से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के सहायतार्थ उल्लेख किया जाना ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	९——जोत बही की कीमत ५० पैसे करके कृषकों की सुविधा हेतु उसमें खेतों का मूल्यांकन करना,
	१०——पेशाकर समाप्त करने का अधिनियम,
	११——ग्राम पंचायत मंत्रियों के वेतन मान कम से कम १२० रु० किया जाना,
	१२——जनपद इलाहाबाद के शृंगवेरपुर जल पंप योजना इस वर्ष चालू करना ।
डाक्टर हरि प्रसाद साहो	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——
	खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदे । के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड और पूर्वी जिलों के विशेष विकास के लिये किसी ठोस योजना की चर्चा नहीं है।
श्री मोती लाल देहलवी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——
	किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न-लिखित बातों का उल्लेख नहीं है——
	१——हरिजनों को विशेष अवसर देने के सिद्धान्त की स्वीकृति का कोई संकेत नहीं है,
	२——लगान के संबंध में समान अवसर वाले सिद्धान्त के उल्लेख से असमानता दूर करने का उल्लेख असंगत होते हुए भी असमानता कैसे दूर होगी, इसका स्पष्टीकरण नहीं है।
श्री मोहन लाल कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :
	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में——
	१——माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन राजकीय कोषागार से वितरण कराने,
	२——पेशाकर को समाप्त करने,
	३——पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर मेरठ में हाई-कोर्ट की बेंच की स्थापना करने,
	४——प्राइमरी अध्यापकों का न्यूनतम वेतन १५० रु० मासिक करने,
	५——दण्डित कर्मचारियों को फिर से काम पर लेने,
	६——रोडवेज कर्मचारियों के सेवा अधिनियम बनाने,
	७——स्वायत्त शासन कर्मचारियों के वेतनमान पुनः निर्धारित करने,
	८——किसानों के लिये अच्छा खाद व बीज उपलब्ध कराने तथा

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	९—समस्त मिश्रित पद्धति आयुर्वेदिक कालेजों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की घोषणा नहीं की।"
श्री राम निहोर राय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अभिभाषण में— १—किसानों के निजी नलकूप पर से मिनिमम चार्ज समाप्त किया जावे और बिजली का रेट भी घटाया जाय, २—किसानों के हित के लिये और उत्पादन बढ़ाने हेतु खाद पर से बिक्री कर समाप्त किया जाय। ३—आधुनिक ढंग से कृषि उत्पादन के लिये जनपद मिर्जापुर के सरकारी नलकूपों की आबपासी एरिया घटा कर २०० एकड़ कर दिया जाय। ४—सवा ६ एकड़ वाले किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिये संपूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाय तथा सरल किस्तों में वसूल किया जाय। ५—सवा ६ एकड़ तक वाले किसानों के नये बीज व खाद के लिये विशेष सुविधा दी जावे। ६—मिर्जापुर के संपूर्ण सरकारी एवं गैरसरकारी उद्योग में नौकरियों के लिये कोटा ७० प्रतिशत निश्चित किया जाय। ७—मिर्जापुर के जिले में गंगा में अधिक से अधिक सिंचाई डाल योजना लागू किया जाय और मिर्जापुर के गंगा लिफ्ट योजना की सिंचाई दर में कमी की जाय, उसकी कोई चर्चा नहीं की।
श्री सूबेदार प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की— १—मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज के परगना अगोरी जो कि वर्षों से गैर पैमाइसी क्षेत्र रहा है उसके काश्तकारों को वर्ग ४ के अधीन करके बेदखल किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के समाधान के लिये उक्त काश्तकारों को सीरदार बनाने, २—मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज को मिलाकर राबर्ट्सगंज में एक पृथक जिला बनाने, ३—मिर्जापुर जिले के असिंचित क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हेतु नगवार-घंघरौल बांध तथा लोंगा देवाटन कोन बांध सोन लिफ्ट योजना का कार्यारंभ कराने,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	४—मिर्जापुर जिले में चोपन कोटा कौन विन्ढमगंज तथा राबर्ट्सगंज एवं पन्नूगंज खलियारी मार्ग के निर्माण करना,
	५—संपूर्ण राबर्ट्सगंज तहसील के विद्युतीकरण,
	६—तहसील राबर्ट्सगंज दक्षिण कैमूर परगना अगोरी एवं विजयगढ़ क्षेत्रों की अनुपजाऊ भूमि को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में भूमि दुगुनी करने,
	७—तहसील राबर्ट्सगंज के पिछड़े क्षेत्र कोन ब्लाक चोपन तथा रामगढ़ ब्लाक चतरा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा
	८—मिर्जापुर जिले में चलने वाले औद्योगिक संस्थानों की नौकरियों में जिले के निवासियों के लिये एक निश्चित प्रतिशत सुरक्षित करना।
श्री वासुदेव सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में १—उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध करने एवं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने, २—राजकीय चिकित्सालयों में निर्धन रोगियों के लिये विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा बढ़ाने एवं चिकित्सालय कर्मचारियों द्वारा रोगियों एवं रोगियों के संरक्षकों के साथ व्यवहार करने, ३—चीनी मिलों का सहकारीकरण (किसानी करण) करने, ४—गन्ना का दाम १५ रु० प्रति क्विंटल करने एवं गन्ना बिक्री में उचित व्यवस्था करने, ५—किसानों की सिंचाई की दरों में कमी करने एवं गन्ना बिक्री में उचित व्यवस्था करने, ६—बहराइच जिले के महत्वपूर्ण सड़क बहराइच से हजूरपुर होते हुए करनेलगंज तक जाने वाली सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र बनवाये जाने, ७—हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर रोगी को दवाई, हर बच्चे की योजना को बढ़ाई करने, ८—प्राइमरी अध्यापकों को वेतन १५० रु० प्रतिमाह देने, की घोषणा नहीं की गई।"

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री पारसनाथ सिंह तथा श्री भगौती प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— 'किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:— १—नेपाल की सीमा से संलग्न बहराइच तथा खीरी आदि जिलों में नक्सलपन्थी गतिविधियों को कड़ाई के साथ रोकने तथा क्षेत्र का सम्यक् विकास करने, २—शहरी क्षेत्रों की संपत्ति की हदबन्दी करने, ३—चीनी मिलों का सहकारीकरण करने, ४—राज्य कर्मचारी आन्दोलन में दण्डित कर्मचारियों की बहाली, हिंदी आन्दोलन के संबंध में नागरिकों तथा छात्रों पर चल रहे मुकदमों की वापसी तथा अध्यापकों को नियमित वेतन दिलाने का दायित्व ग्रहण करने, की घोषणा नहीं की है।"
श्री पारसनाथ सिंह, तथा श्री वासुदेव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:— १—बाढ़ ग्रसित क्षेत्र की सहायता के लिये तथा उनकी लगान माफी के पुराने रुढ़िवादी नियमों के सुधार के लिये, २—ग्राम समाज की बंजर परती भूमि को हरिजन तथा भूमिहीनों में बांटने के लिये, ३—सीलिंग से निकली हुई जमीन पर गलत पट्टे कराके उनके मालिकों द्वारा फिर किये हुए कब्जे जो अवैध घोषित करने तथा इसे भूमिहीनों में बांटने के लिये, कोई घोषणा नहीं की है।
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : 'किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणाएं नहीं कीं :— १—पेशाकर एवं भूमि भवन कर समाप्त होगा, २—माध्यमिक अध्यापकों को राजकोष से वेतन प्राप्त कराने का दायित्व सरकार ग्रहण करती है, ३—पंचायत मंत्रियों की सेवाएं सरकारी होंगी तथा गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन में वृद्धि की जायेगी, ४—ग्राम पंचायतों के आय के साधन बढ़ाने हेतु लगान का एक निश्चित् प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जायगा, ५—प्राइमरी शिक्षा को जिला परिषद् से मुक्त करा के उसका प्रबन्ध जिलास्तर पर गठित स्वायत्तशासी निकाय को दिया जायगा

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	६—सवा छः एकड़ जोत को लगान मुक्त किया जायगा, ७—गन्ने का न्यूनतम मूल्य १५ रु० प्रति क्विंटल होगा, ८—इन्टर तक के छात्रों को यह सुविधा निःशुल्क दी जायेगी कि वे यदि घर से विद्यालय तक चाहें तो किसी भी राजकीय तथा निजी बस से जा सकते हैं, यदि वहां बस मार्ग पहले से है, ९—इन्टर तक के छात्रों के लिए एक निश्चित गणवेश तय किया जायगा, १०—पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के विकास के लिये विशेष सुविधाएं दी जायेंगी, ११—छात्रों के ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग करने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा बढ़े पैमाने पर पाठ्योत्तर कार्यक्रमों की रचना की जायगी । १२—तराई के जिलों में बढ़ रही नक्सलपन्थी गतिविधियों को रोकथाम के लिये कड़ी कार्यवाही की जायेगी, १३—रामपुर जिले में नये उद्योग प्रारंभ कराये जायेंगे, १४—सरकार का जो धन बड़े व्यापारियों, संस्थाओं एवं अन्य लोगों के ऊपर बकाया है उसे वसूल करने के लिये कड़ी कार्यवाही होगी, १५—प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देने के लिये विशेष प्रयास किया जायगा । इसके लिये सार्वजनिक व्यक्तियों के लिये जांच का अधिनियम बनाया जायगा, १६—औद्योगिक तथा कृषि उत्पाद के मूल्यों में बढ़ते हुए असन्तुलन को ठीक किया जायगा, १७—काश्तकारों को उर्वरक सहायता प्राप्त दरों पर दिये जायेंगे, १८—रामपुर जिले के वर्तमान लगान जो कि अन्य स्थानों की तुलना में अधिक है उसके युक्तिकरण के लिये शीघ्र ही बन्दोबस्त कराया जायगा । जिससे वहां का लगान कम होकर अन्य जिलों के समान हो सके, १९—रामपुर को भी प्रदेश के अन्य पिछड़े हुए जिलों की सूची में शामिल किया जायगा, २०—सिंचाई एवं बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम किया जायगा, २१—रामपुर जिले में लगभग २ हजार विस्थापित भूमिहीन परिवार जो कि अधिकारियों की आज्ञानुसार २० वर्ष पूर्व वन विभाग की भूमि पर बसाये गये थे अब तक

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	स्थायी अधिकार न दिये जाने के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु उन्हें उक्त भूमि पर सीरदार बनाया जायगा,
	२२—शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में इस हेतु क्रांतिकारी परिवर्तन किये जायेंगे जिससे समाज में गिरते हुए जीवन मूल्यों तथा चारित्रिक गिरावट एवं अराष्ट्रीय भावना की वृद्धि आदि को रोककर समाजोन्मुख जीवन निर्माण हो सके तथा नागरिकों में भारतीयकरण की भावना बढ़े।"
श्री राम सागर, श्री जंग बहादुर यादव, श्री उमा नाथ सिंह तथा श्री जगन्नाथ राव।	"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में— १—प्रदेश के आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई स्पष्ट संकेत देने, २—समान कार्य के लिये समान वेतन निर्धारित करने, ३—शिक्षा से सर्वांगीण विकास तथा अध्यापकों को आर्थिक संकट से दूर करने के लिये माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन देने एवं प्राथमिक शिक्षकों का वेतनक्रम कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू करने, ४—गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में सुधार करने, ५—पंचायत मंत्रियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने एवं उनकी वेतन-वृद्धि करने, ६—प्रदेश में लघु उद्योग-धन्धों का विकेन्द्रीकरण कर हर हाथ को काम एवं सिंचाई की सघन योजना चलाकर हर खेत को पानी देने, ७—पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये एक विकास बोर्ड की स्थापना करने या पटेल आयोग की सिफारिशों को पुनः लागू करने, ८—पंप नहर के बढ़े हुए रेट को कम कर सिंचाई की सस्ती सुविधा सुलभ कराने, ९—पंपिंग सेट लगाने के लिये कार्माशियल योजना के अन्तर्गत ५०० (पांच सौ) रुपया सरकारी खजाने में जमा करने की योजना को रद्द कराने, १०—सवा छः एकड़ तक की लगान माफ करने एवं उसे कानूनी रूप में परिवर्तित करने, ११—जौनपुर जिले में आवागमन की सुविधा हेतु जौनपुर से औड़िहार तक की सड़क को पिच रोड कराने तथा केराकत से पेसारा, केराकत से अमिहित, मड़ियाहूं से जलालपुर थाना

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	गद्दी होते हुए रामगढ़ा, बजरंग नगर से मेहनाजपुर एवं खुज्मी से तरांव तक की सड़क को पक्की कराने, १२--हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के लिये ग्राम समाज की ऊसर, परती तथा चकबन्दी की जी० एस० एवं अधिकतम जोत सीमा से निकली हुई जमीन भूमिहीन एवं पिछड़े वर्गों में बांटने, १३--अनूसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले १८ प्रतिशत स्थान को दिलाने के लिये कड़ाई से पालन करने, १४--साधन विहीन तथा लंगड़े-लूले अपाहिज अपंग व्यक्तियों के लिये गुजारे लायक पेंशन की व्यवस्था करने, १५--हरिजनों के आर्थिक उत्थान तथा पेय जल की सुविधा के लिये प्रथम वर्ष में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने, १६--अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिये अधिकतम और न्यूनतम आय निर्धारित करने, १७--एडवोकेट होने के लिये ५०० (पांच सौ) रुपये फीस की समाप्ति, १८--गन्ने का मूल्य १५ रु० प्रति क्विन्टल करने, १९--चीनी मिलों में गन्ना उत्पादकों तथा मजदूरों को लाभ में साझीदार बनाने, २०--किसानों को उनकी पैदावार का प्रोत्साह मल्य दिलाने, २१--किसानों की फसल का बीमा करने, की घोषणा नहीं की ।"
श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी तथा श्री केशोराम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में-- १--भूमि-भवन कर को समाप्त करने, बिक्री-कर और पेशा कर समाप्त करने, २--कृषि योग्य ऊसर भूमि, परती, बंजर जमीन को मुफ्त बांट देने और वितरण में खेतिहर मजदूर हरिजन आदिम जाति को प्राथमिकता देने, ३--अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये विशेष रूप से संरक्षण देने की कोई समुचित योजना बनाने, ४--देहातों में यातायातों की साधन व्यवस्था करने, विशेषकर, बलेसर जिला एटा से फिरोजाबाद को पक्की

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	सड़क का निर्माण तथा जलेसर आगरा व अलेसर-सिकन्दरा-राऊ को पक्की सड़क का निर्माण करने, ५--जब तक प्रदेश में अनुसूचित जातियों का सरकारी नौकरियों में उनके अनुपात के अनुसार संरक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक केवल अनुसूचित जाति के ही लोगों की भर्ती जारी करने के संबंध में, ६--जूता उद्योग से कर हटाने के लिये बिक्री-कर समाप्त करने, का कोई जिक्र नहीं किया।"
श्री डुंगर सिंह विष्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निम्न बातों का समावेश नहीं है-- १--प्रदेश के पिछड़े भाग बुन्देलखण्ड पूर्वी जिलों तथा सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये कोई बात नहीं कही है, २--उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय नैनीताल के लिये कुछ नहीं कहा है, ३--सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, में यातायात की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये कुछ नहीं कहा है, ४--पर्वतीय क्षेत्र भूमिहीनों को बसाने तथा सैंकड़ों वर्षों से आबाद गोठों तथा खेतों की समस्या हल करने के लिये कुछ नहीं कहा है, ५--नैनीताल की तराई में मुस्ताजरी ग्रामों में भूमिधर अधिकार देने की बात नहीं कही गई है, ६--पर्वतीय क्षेत्रों में डाल की सिंचाई, बिजली प्रसार तथा उद्योग धन्धों के खोलने के बारे में कुछ नहीं कहा है, ७--पर्वतीय क्षेत्रों की जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने तथा शेष की धनराशि को बढ़ाये जाने के बारे में कुछ नहीं कहा है, ८--नैनीताल जिले के शक्ति फार्म में पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों के जो पांच ग्राम सूखी नदी की बाढ़ से आठ साल से लगातार रेतीले हो गये हैं उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं गया, ९--गुप्त सरकार द्वारा निकाले गये प्रगतिशील अध्यादेशों को कानूनी रूप दिये जाने के लिये स्पष्टतया कुछ नहीं कहा गया।"

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री सियाराम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में चर्चा नहीं की— १—चीनी मिलों का सरकारीकरण न कर सहकारीकरण किया जाय और किसान तथा श्रमिक को भागी बनाना, २—भूमिहीन तथा भूमि हरिजनों की जिलेवार लिस्ट बनाकर परती भूमि, चकबन्दी से छूटी तथा बंजर भूमि के वितरण हेतु जिलाधीशों को आदेश दिया जाना, ३—भूमिहीन तथा मजदूर किसानों के लिये देहातों में छोट-छोटे कुटीर उद्योग-धन्धों की व्यवस्था करना, ४—सिंचाई के साधनों में तथा छोटे-छोटे उद्योगों में काम आने वाली बिजली की दरों में कमी करना, ५—गल्ले की पैदावार बढ़ाने हेतु अच्छे बीज तथा खाद को किसानों को सस्ते मूल्य पर देने की व्यवस्था करना, ६—जिला एटा में तहसील कासगंज में सिंचाई के अभाव में सरकारी नलकूप तथा नहरी पानी की समुचित व्यवस्था करना, ७—जिला एटा में तहसील कासगंज में प्राइवेट नलकूप तथा देहातों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग-धन्धों के हेतु बिजली सप्लाई बहुत कम है, जन-कल्याण हेतु पूरी करना, ८—जिला एटा में तहसील कासगंज पक्की सड़कों की दृष्टि में बड़ी उपेक्षा बरती गई है। निम्नलिखित सड़कों का आधुनिकीकरण तथा नव-निर्माण किया जाना, ९—एटा सहावर ख—अमापुर कासगंज ग—सोरों सहावर घ—सोरों महमूदपुर साकुरा ङ—अमापुर सिडपुरा च—सहावर मोहनपुर ज—मोहनपुर गंडनवारा झ—बोहनपुर सिदूपुरा ट—मोहनपुर पड़का ठ—मोहनपुर अमापुर ढ—सहावर से सहबाजपुर। १०—जिला एटा में एटा सहावर सड़क पर काली नदी के पुल का निर्माण किया जाना, ११—शिक्षा का शिक्षकीकरण और हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा तथा अध्यापकों को राज्यकोषागार से वेतन वितरण किया जाना।"
श्री रामवचन यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—निजी नलकूपों पर जितनी बिजली खर्च हो उतना ही वसूल करने के संबंध में,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	२--पंचायत आडिटरों के वेतनवृद्धि के संबंध में, ३--हाई स्कूल तक नि:शुल्क शिक्षा के संबंध में, ४--साढ़े १२ एकड़ तक की जोत वाले किसानों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के संबंध में, ५--उद्योगों के औद्योगीकरण के संबंध में, ६--भूमिहीनों को उद्योग में लगाने हेतु उनको आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में, कोई चर्चा नहीं किया ।"
श्री अनिसुर्रह-मान शेरवानी	राज्यपाल के अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में : भारतीयकरण प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष के वाद-विवाद से हिंसक मनोवृत्ति प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, शुद्ध प्रशासन के अन्तर्गत ऐसी मनोवृत्ति न पनपने देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है ।"
चौधरी रामपाल सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है : १--सवा छः एकड़ तक अलाभकर खेती से मालगुजारी का खात्मा किया जायगा तथा किसानों को जोत बही भी मुफ्त दी जायेगी और जमीन का बंटवारा किया जायगा, २--बेकारों को काम या बेकारी का भत्ता दिया जायगा, ३--१०वीं कक्षा तक शिक्षा नि:शुल्क दी जायगी, ४--सीलिंग से निकलने वाली भूमि ग्राम समाजों के पास पड़ी जमीन तथा वन विभाग की वन रहित भूमि को शीघ्र भूमिहीनों में बांट दिय जायेगा, ५--कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में वन-विभाग की ८,००० एकड़ १७ वर्ष से बेकार पड़ी वन रहित भूमि को भूमिहीनों में खेती के लिये बांट दिया जायगा, ६--सीमेंट की पक्की सड़कों का बनाया जाना रोक कर कंकड़ की सड़कों का देहात के गांवों में जाल बिछाया जायगा, ७--हरिजनों को पीने के पानी तथा रहने के मकानों की व्यवस्था की जायेगी, ८--बंजारा, नट,कंजड़, जोगी आदि जातियों को मकान तथा खेती के लिये भूमि देकर बसाया जायगा, ९--कानपुर जिले की डेरापुर तहसील का तुरन्त विद्युतीकरण किया जायगा,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	१०--कानपुर जिले के सिकन्द्रा से मंगलपुर-झींझक सूलाबाद असालतगंज बिल्हौर वाली पी० डब्लू० डी० की सड़कों को शीघ्र पक्का कर दिया जायगा तथा महरगंग साख इटावा की सर्विस रोड को रूरा से सिठमरा-झींझक कंचौली होते हुए दिवियापुर तक कंकड़ की पक्की सड़क बना दिया जायगा ।
श्री नेतराम सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न-लिखित का उल्लेख नहीं किया है-- १--प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी के निराकरण हेतु तथा सही व्यवस्था, २--प्रदेश में ग्राम समाज द्वारा अवैधानिक दिये गये पट्टों को खारिज कराने तथा ग्राम समाज की भूमि पर अवैधानिक कब्जा हटाना, ३--प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करना, ४--प्रदेश में ग्राम समाज की भूमि को हरिजनों तथा भूमिहीन किसान मजदूरों को देना, ५--प्रदेश में गरीब किसानों, मजदूरों के साथ किये जाने वाले पुलिस अत्याचार, ६--प्रदेश में दिन-ब-दिन बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों, अपहरण, अराजकता, ७--प्रदेश में हाई स्कूल तक के सभी वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को नि:शुल्क करना, ८--परिगणित जातियों का सरकारी नौकरियों में १८ प्रतिशत का कोटा पूरा किया जाय, ९--पिछड़े हुये (बैकवर्ड) जातियों को भी जिनका स्थान न के बराबर है, इनकी जन संख्या के आधार पर इनका भी कोटा निश्चित् किया जाना, १०--जिला एटा, तहसील कासगंज में निज नलकूपों की बिजली की सप्लाई बढ़ाना और बिजली की दरें कम करना, ११--जिला एटा, तहसील कासगंज में सरकारी नलकूपों की संख्या बढ़ाया जाना तथा नहरों में पानी की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था करना और सिंचाई की दरें कम करना, १२--जिला एटा में प्रतिवर्ष खरीफ की फसल में हजारों एकड़ भूमि बरसाती पानी की उचित व्यवस्था तथा खुदाई न होने के कारण फसल का नष्ट हो जाना, नवीन नलों तथा मौजूदा नालों के खुदवाने की व्यवस्था करना, १३--जिला एटा, तहसील कासगंज में सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है अतः निम्नलिखित सड़कों का नव-निर्माण किया जाना (अ) अतरौली--अमापुर--कासगंज,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(ब) कासगंज-इस्माइलपुर, (स) ढोलना से गढ़ी, (द) कासगंज से सहावर, (य) वजीरपुर से बढ़ारी कला ।
श्री रामपूजन पटेउ	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है-- १--किसानों के सिंचाई हेतु विद्युत्-कर और उद्योग धन्ध तथा कारखानों में उपभोक्ताओं के विद्युत् दर समान करके कृषक की उन्नति की रूप रेखा, २--जनपद इलाहाबाद के सोरांव स्थान पर एक महिला व पुरुष अस्पताल बनाया जाना, ३--जिला परिषद् के शिक्षा विभाग के लिपिक का वेतनमान जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक के समान होना, ४--सोरांव से होलागढ़ तक की पक्की सड़क, जो निर्माणाधीन है, कब तक बन कर तैयार होगी यह निश्चित् करना, ५--सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को निर्मूल करना, ६--विधायकों के दल बदल को रोकने की कोई रीतिनीति का समावेश किया जाना, ७--हरिजन एवं भूमिहीन को बंजर ग्राम समाज की फालतू जमीन देने में विशेष अवसर देने की सुविधा देना, ८--नौकरी में सुरक्षित स्थानों की पूर्ति हेतु हरिजनों को विशेष अवसर देने की सुविधा, तथा ९--बढ़ती हुई महंगाई को रोकने की व्यवस्था ।
श्री राम देव दुबे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में-- १--सवा छः एकड़ की अलाभकर जोत को राजस्व मुक्त करने के अध्यादेश के वैधीकरण के लिये अधिनियम बनाने, २--बढ़ती हुई सिंचाई दरों को वापस लेने, ३--जिला परिषदों को समाप्त करने, ४--अल्पवेतन भोगी पंचायत मन्त्रियों का वेतन भत्ता बढ़ाने एवं उनकी सेवा शासकीय करने, ५--प्राइमरी अध्यापकों का वेतन १५० रुपया प्रति मास करने,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	६--माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को नियमित रीति से राज कोष से वेतन दिलाने,
	७--शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने,
	८--प्रतापगढ़ जनपद में रानीगंज से पट्टी तक सड़क निर्माण एवं जामतासी में सई नदी पर पुल निर्माण करने,
	९--सस्ती सिंचाई व्यवस्था करने,
	१०--कक्षा दस तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने,
	११--गरीबों एवं भूमिहीनों में भूमि वितरण करने,
	१२--अधिकतम जोत सीमा २० एकड़ मात्र करने,
	१३--हरिजन बस्तियों में पेय-जल कूपों का निर्माण करने,
	१४--प्रतापगढ़ के असिंचित गौरा ब्लाक में पर्याप्त नलकूप लगवाने, का उल्लेख नहीं किया है।
श्री सतीश चन्द्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :
	१--प्रदेश के सब से अधिक जन-संख्या वाले वर्ग किसान के बारे में उसके हित के लिये उचित सुझावों का उल्लेख नहीं किया,
	२--सवा छः एकड़ तक की अलाभ कर जोतों को लगान मुक्त करने के लिए अधिनियम बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया,
	३--जोत बही के निःशुल्क वितरण के लिये कोई घोषणा नहीं की,
	४--किसानों का भूमि की उन्नति के लिये बैंकों में यथोचित तथा यथाशीघ्र ऋण मिलने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया,
	५--गन्ने का उचित मूल्य १५ रुपये प्रति क्विंटल देने का कोई उल्लेख नहीं किया,
	६--मिल मजदूरों के लिये आवास व्यवस्था उचित तथा त्वरित करने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है,
	७--देश के लाखों बेरोजगारों जिनमें पढ़े-लिखे तथा बिना पढ़े-लिखे सभी लोग शामिल हैं, को काम देने की किसी भी व्यवस्था अथवा योजना का उल्लेख नहीं है,
	८--अध्यापकों का वेतन खजाने से सही समय पर दिलाने की व्यवस्था की कोई घोषणा नहीं की,
	९--भ्रष्टाचार को समाज से समूल मिटाने का कोई उल्लेख नहीं किया,
	१०--राजनैतिक भ्रष्ट आचरण तथा दल बदल को रोकने के किसी प्रभावशाली कदम उठाने का उल्लेख नहीं किया,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

११—नक्सलपंथियों के देशद्रोही व समाज विरोधी कार्यों को रोकने का कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया,

१२—देश के प्रति अन्याय, निष्ठा न रखने वाले तथा दूसरे देश से प्रेरणा लेने वाले तथा उनकी हित कामना रखने वाले सभी व्यक्तियों के भारतीयकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया,

१३—एटा जिले की सब से पिछड़ी हुई तहसील अलीगंज के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़क के आधुनिकीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया है,

(क) अलीगंज एटा रोड, (ख) अलीगंज कायमगंज रोड, (ग) अलीगंज दरियागंज रोड, (घ) अलीगंज सराय अकिल रोड, (ङ) अलीगंज नवाबगंज रोड, (च) अलीगंज कम्पिल रोड, (छ) अलीगंज से मनऊघा, (ज) जैथरा से दरियागंज रोड, (झ) कुरावली से जथरा,

१४—एटा फर्रुखाबाद के सामान्य जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बदमाशों और डकैतों को समाप्त करने के लिये, प्रभावी पग उठाने का उल्लेख नहीं है।

श्री भगौती प्रसाद — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :

१—जिला बहराइच इकौना क्षेत्र में सड़कों तथा पुलों के निर्माण की व्यवस्था करने,

२—जिला बहराइच ग्राम बलापुर चरागाह पर हरिजन बस्ती का निर्माण करने,

३—जिला बहराइच इकौना विधान सभा क्षेत्र के हरिजनों के मकान बनाने व पेयजल कूप के हेतु अनुदान की विशेष व्यवस्था करने,

४—चकबन्दी से निकाली भूमि पर अवैध कब्जा हटाने,

५—निजी सिंचाई के साधनों में ट्यूबवेल लगाने हेतु दूरी की छूट देने की तथा,

६—ग्रामों को पुलिस दलालों की रोकथाम करने की घोषणा नहीं की है।

श्री शिव प्रसाद पांडिय। — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की गई—

१—अलाभकर जमीन सवा छः एकड़ (१० बीघे) का लगान माफ हो,

२—किसी भी आवश्यक वस्तु का दाम लागत से ड्योढ़े से ज्यादा न हो,

३—अंग्रेजी भाषा समाप्त हो व उर्दू भाषा की भी रक्षा हो,

४—अलाभकर जोत के तीन गुने से अधिक जमीन किसी के पास न हो,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	५——१५० रुपये महीने से कम आमदनी किसी की भी न हो, १,५०० रुपये महीने से अधिक आमदनी भी किसी की न हो, ६——बेकारी समाप्त की जाय तथा बेकारों को भत्ता दो, ७——जमीन उन्हीं किसानों को दी जाय जो अपने हल बैलों से जोतते व बोते हों, ८——न्याय सस्ता तथा शीघ्रता से होना चाहिये, ९——सस्ती खाद व सिंचाई की व्यवस्था हो, १०——सरकारी कर्मचारियों, तहसीलदार, कलेक्टरों तथा बी० डी० ओ० लोगों को नसबन्दी इत्यादि के काम में नहीं लगाना चाहिये, इससे जनता को महान आतंकवाद का शिकार होना पड़ता है, ११——जोत बही की कीमत ५० पैसे से अधिक न हो, १२——प्राइमरी अध्यापकों को जिला परिषदों के विनाशकारी चंगुल से शीघ्र से शीघ्र मुक्त करा देना चाहिये, १३——सलोन से रसूलपुर तक की कच्ची सड़क पक्की की जाय, सलोन से जगतपुर तक की सड़क पक्की की जाय, बछौला से गोकनाघाट तक की सड़क पक्की की जाय, ऊंचाहार से खरौला तक सड़क पक्की की जाय तथा ऊंचाहार से कुसुवापुर तक यातायात हेतु पक्की सड़क का निर्माण हो, १४——सलोन व ऊंचाहार ब्लाक में शीघ्र बिजली के कनेक्शन नल-कूपों हेतु देने की व्यवस्था हो, १५——गंगा लिफ्ट योजना के नहरी रेट को काफी सस्ती करने की व्यवस्था हो ।
श्री हरिवंश सहाय, श्री गया प्रसाद, श्री राजित राम, श्री शिव कैलाश, श्री शिव प्रसाद, पांडिया, श्री भगेलू सिंह तथा श्री राम चरण त्रिपाठी ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया कि—— १——सरकार द्वारा एक स्थायी आयोग बैठाना जो बड़े से बड़े लोगों से शुरू करता हुआ, चाहे वे सरकारी अथवा गैर-सरकारी लोग हों, राज्य शक्ति के दुरुपयोग से इकट्ठा किये गये धन की जांच करें, और २——सन् १९६६ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण अपने-अपने विभाग द्वारा दण्डित कर्मचारियों की सजायें खत्म कर दी जायंगी और सेवा से अलग किये गये कर्मचारियों को तुरन्त बहाल कर दिया जायगा ।
श्री राम गोपाल सण्ड	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है—— १——जोत बही की कीमत एक रुपये से घटाकर २५ पैसा कर दी जायगी, २——न्याय सस्ता, शीघ्र तथा सुलभ किया जायगा,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

३——बेकारों को भत्ता दिया जायगा,

४——समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धान्त लागू किया जायगा,

५——नक्सलपंथी तथा समाज विरोधी तत्वों की हिंसक कार्यवाहियों को समाप्त करने की योजना बनायी जायेगी,

६——पुलिस मैनुअल में संशोधन किया जायगा,

७——रोडवेज रनिंग कर्मचारियों को सभी अवकाश दिये जायेंगे तथा ओवरटाइम दिया जायेगा,

८——१९ फरवरी, १९७० को जनपद इलाहाबाद के तहसील चायल, सोरांव आदि में पड़े ओला से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के सहायता का उल्लेख किया जाय,

९——प्राइमरी शिक्षा को जिलास्तर पर गठित स्वायत्त शासी निकायों को दिया जायगा,

१०——उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जायगा,

११——बिजली तथा सिंचाई की बढ़ी दरों को कम किया जायगा,

१२——प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दिया जायगा,

१३——एडवोकेट होने के लिये ५०० रुपये की फीस को समाप्त किया जायगा,

१४——प्रयाग विश्वविद्यालय के ऋण को समाप्त करने के लिये विशेष अनुदान दिया जायगा ।

श्री हिम्मत सिंह, श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज तथा श्री मोती लाल देहलवी ।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर० बी० ओ० ऐक्ट के विभेदात्मक ढंग से लागू किये जाने, उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी अपीलों और पुनरीक्षणों के नौ मासों से अधिक समय से अधिक लम्बित होने के कारणों की चर्चा नहीं की और स्थगन आदेश के होते हुये नियत अधिकारी द्वारा देवस्थानों के तोड़ने की निन्दा नहीं की, जिनमें गुप्तकालीन त्रिभंग मुद्रा में शंकर, गंधर्व मिथुन, राम और लक्ष्मण को बांहों पर लेकर उड़ते हुये महावीर हनुमान तथा चन्ड कपाली की मूर्तियां स्थापित थीं ।

श्री मोती लाल देहलवी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्न बातों का स्पष्ट संकेत नहीं किया कि :—

१——ग्रामीण अञ्चलों के प्राइमरी अध्यापकों का वेतन बढ़ाने तथा निश्चित समय पर वेतन मिलने का,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	२—पंचायत सेक्रेटरियों की सेवा स्थायी करने और उनके वेतन बढ़ाने का,
	३—ग्रामीणों को समान रेट पर बिजली देने का,
	४—सिंचित क्षेत्रों में सरकारी नलकूप लगवाने का,
	५—२२ वर्षों में सरकारी नौकरियों में हरिजनों का १८ प्रतिशत का कोटा पूरा होने तक ४५ प्रतिशत के हिसाब से कोटा पूरा करने का,
	६—जीवनोपयोगी वस्तुओं के दामों की सीमा बांधने और आमदनी की सीमा बांधने का ।
श्री सूरज लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जावे :—
	किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है :—
	१—बेकारी समाप्त की जावेगी तथा बेकारों को भत्ता दिया जायगा,
	२—कस्बा उतरौला, जिला गोंडा में जनाना अस्पताल शीघ्र स्थापित किया जावेगा,
	३—जनपद गोंडा में उतरौला से गौरा चौराहा तक की कच्ची सड़क को पक्की तथा राप्ती नदी पर पिपरा घाट पर पक्का पुल बनाया जावेगा,
	४—जनपद बाराबंकी में घाघरा घाट पर पक्का पुल बनाया जायगा ।
	५—गोंडा जनपद में सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर बड़ी फैक्ट्री खोली जावेगी ।
श्री शिव प्रसाद पांडिया	प्रस्ताव में अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :
	किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित की चर्चा नहीं की है :—
	१—चीनी, कपड़ा तथा सभी बड़े निजी उद्योगों का तुरन्त समाजीकरण किया जायगा,
	२—छोटे कर्मचारियों, चपरासियों, चौकीदारों को १५० रु० मासिक वेतन दिया जायगा,
	३—राजनैतिक पीड़ितों की पेन्शन कम से कम ५० रु० मासिक की जायगी,
	४—नसबन्दी के काम में किसी भी हालत में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तथा बी० डी० ओ० लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जायगा,
	५—जिला रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक ऊंचाहार में ग्राम मुस्तफाबाद में एक मरदाना व जनाना अस्पताल खोला जायगा तथा अर्खा के जिला बोर्ड के अस्पताल को तुरन्त सरकारी कब्जे में ले लिया जायगा,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	६--जो काश्तकार अपने हल बैलों से जोतते व बोते हों उनको तुरन्त सीरदारी का हक मिलेगा और जो केवल इन्दराज के आधार पर काश्तकार हैं उनको प्राथमिकता किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी,
	७--सलोन से रसूलपुर, जिला रायबरेली की सड़क को जो मीरजहांपुर होकर जाती है उसे पक्की किया जायगा । सलोन से जगतपुर, बधौला, गोकना घाट, ऊंचाहार से खरौली, ऊंचाहार से कुसुवरपुर आदि सड़कों को तुरन्त पक्का किया जायगा । इलाहाबाद से लखनऊ आने वाली सड़क में देसौली से मुंशीगंज, रायबरेली की तिपुलिया से जहानाबाद पुलिस चौकी तक तारकोल पड़ेगा,
	८--हाई स्कूल तक के बालकों की फीस माफ की जायगी तथा हरिजन व पिछड़े गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायगी,
	९--भूमिहीनों को परती जमीन शीघ्र वितरित की जायगी तथा चकबन्दी से निकली भूमि को केवल भमिहीनों में ही वितरित किया जायगा,
	१०--गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये सस्ते बीज, खाद तथा पानी की व्यवस्था की जायगी,
	११--कलेक्टर या तहसीलदार से कम के पदाधिकारियों को किसानों को खाद, बीज, हल या रुपया आदि वितरण करने का काम नहीं दिया जायगा ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ४ एल० ए०--१९७०--८४५ ।